लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1968/15 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 20, Friday, December 6, 1968/Agrahayana 15, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

572. मीर मुहम्मद जीलानी से प्राप्त पत्र	Letter from Shri Mir Mohammed Jilani	..	1551—1553
573. भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा सोवियत संघ का दौरा	Visit by Indian Scientists' Team to USSR	..	1553—1555
574. धर्मपरिवर्तन सम्बन्धी कानून	Law on Conversions	..	1555—1558
575. साम्प्रदायिकता उन्मूलन समिति	Sampradaikta Unmoolan Samiti	..	1558—1560
576. कोचीन पत्तन के लिये विकास योजना	Development Plan for Cochin Port	..	1560—1565
581. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	..	1565—1568

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

571. मैसूर में राजपथ	Highways in Mysore	..	1569
577. दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये स्वायत्तता की मांग	Demand for Autonomy for Hill Areas of Darjeeling	..	1569
578. मोटर गाड़ियों पर नम्बर प्लेटों के बारे में मोटर गाड़ी अधिनियम का संशोधन	Amendment to Motor Vehicles Act Regarding Number Plates in Vehicles	..	1570
579. एयर इंडिया	Air India	..	1570
580. दिल्ली परिवहन उपक्रम	Delhi Transport Undertaking	..	1571

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
582. राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C. B. I. Investigations Against Political Leaders ..	1571
583. दिल्ली विश्वविद्यालय तथा राजस्थान की पालिटैक्निक इन्स्टीट्यूटों का बन्द किया जाना	Closure of Delhi University and Polytechnic Institutes of Rajasthan ..	1571—1572
584. मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन	Mangalore and Tuticorin Ports	1572
585. हिन्दुस्तान शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Hindustan Shipyard ..	1572—1573
586. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं का विस्तार	Extension of IAC Services	1573
587. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work ..	1573—1574
588. दिल्ली प्रशासन के साथ भेद-भाव	Discrimination Against Delhi Administration ..	1574
589. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ..	1574—1575
590. आसाम में स्वायत्तशासी पहाड़ी राज्य के बारे में सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन की प्रतिक्रिया	Reaction of All Party Hill Leaders Conference regarding autonomous Hill State in Assam ..	1575
591. उड़ीसा में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Orissa ..	1575—1576
593. मंत्री द्वारा आय व्यय की गोपनीयता का भंग किया जाना	Leakage of Budget by Minister ..	1576
594. दिल्ली देहरादून विमान सेवा	Delhi-Dehra Dun Air Service ..	1576—1577
595. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)	Mithila University, Darbhanga (Bihar) ..	1577—1578
596. भारतीय जहाजों के लिये माल	Cargo for Indian Ships	1578
597. हिन्द महासागर में द्वीप	Islands in Indian Ocean ..	1578—1579
598. इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन को अपने अधिकार में लेना	Acquisition of India Office Library, London ..	1579

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
599. विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grant to Different Universities ..	1579—1580
600. कलकत्ता पत्तन में किंग जार्ज विस्तार	Expansion of King George Dock at Calcutta Port ..	1580
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3493. संट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक का त्यागपत्र	Resignation by Director, C. M. E. R. I...	1580
3494. पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या	Population of Sch ool going Children in West Bengal ..	1581
3495. भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से वापिस बुलाने की योजना	Plan to recall Indian Scientists from Abroad	1581
3496. मैसूर राज्य परिवहन निगम	Mysore Road Transport Corporation	1582
3497. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया के लिये स्नातक इंजीनियर (मेकेनिकल) प्रशिक्षुओं का चयन	Graduate Engineers (Mechanical) selected as apprentices for IAC and Air India ..	1582—1584
3498. पत्तनों पर प्रशिक्षुओं के रूप में स्नातक इंजीनियर (मेकेनिकल) की भर्ती	Recruitment of Graduate Engineers (Mechanical) as apprentices at port ..	1584—1585
3499. आई.सी.एस./आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. पदालि के अधिकारी	Officers in I. C. S./I. A. S. and I. P. S. Cadres ..	1585
3500. अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवायें	All India and Central Services ..	1585—1586
3501. सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services ..	1586
3502. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	Hindi Sahitya Sammelan, Prayag ..	1586—1587
3503. उत्तर प्रदेश में रमणीय स्थलों का विकास	Development of places of scenic Beauty in U. P. ..	1587

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3504. भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	I. A. S./I. P. S. Scheduled Tribes Candidates ..	1587—1588
3505. एयर इंडिया के कर्मचारियों को मुफ्त टिकट	Free Ticket for Employees of Air India ..	1588—1589
3506. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Asoka Hotels Ltd., New Delhi ..	1589—1590
3507. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को मुफ्त टिकट	Free Ticket for IAC Employees ..	1590—1591
3508. दिल्ली में विभिन्न आरापों के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां	Arrests in Delhi on various Charges ..	1591—1592
3509. शक्ति चालित स्टीमरों का निर्माण	Manufacture of powered steamers	1592
3510. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्कूलों को मान्यता प्रदान करना	Recognition to schools in Hilly Districts of U. P. ..	1592
3511. त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों का बसाना	Settlement of Ex-servicemen in Tripura..	1593
3512. त्रिपुरा में सड़क विकास	Road Development in Tripura ..	1593—1594
3513. त्रिपुरा में सड़क विकास	Road Development in Tripura ..	1594
3515. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश	Additional Judges in Madhya Pradesh High Court ..	1594—1595
3516. तमिलनाडु में कुछ प्राचीन स्थानों का नियंत्रण	Control of Certain Ancient Places in Tamilnad ..	1595
3517. प्राचीन स्मारकों की रक्षा	Protection of Ancient Monuments	1595
3518. द्वारका (गुजरात) में प्राचीन मंदिरों का नवीकरण	Renovation of Ancient Temples in Dwarka (Gujarat) ..	1596
3519. लघु उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C's Report on Small Scale Industries ..	1596

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3520. अन्तर्जातीय, अन्तर्प्रान्तीय तथा अन्तंधर्मी विवाह	Inter-Caste, Inter-Provincial and Inter-Religious Marriages ..	1597
3521. महिला पोलिटेक्निक, दिल्ली की महिला प्रोफेसर	Lady Professors in Women's Polytechnic, Delhi ..	1597
3522. दिल्ली की महिला पोलिटेक्निकों में प्रशिक्षणार्थी	Trainees in Delhi Women's Polytechnic ..	1597—1598
3523. दिल्ली में विभिन्न पोलिटेक्निकों में लेक्चरार प्रोफेसर	Lecturers/Professors in Polytechnics in Delhi ..	1598—1599
3524. उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट	Report Against Education-cum-Publicity officer of U. P. Registrar of Cooperative Societies Office ..	1599—1600
3525. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अधिकारियों के विदेश के दौरे	Foreign Tours of Officers of National Book Trust ..	1600
3526. पश्चिमी जर्मन समाचार एजेंसी द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां	Anti-Indian Activities by West German News Agency ..	1600
3527. मनीपुर तथा आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों की सीमाओं को बन्द करना	Sealing of Hill Areas of Manipur and Assam ..	1601
3528. न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण	Separation of Judiciary and Executive ..	1601—1602
3529. एयर इंडिया	Air India ..	1602
3530. इंडिया टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	India Tourism Development Corporation Ltd. ..	1602—1603
3531. गृह-कार्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी और फौजदारी के मामले	Cases of Corruption, Bribery, Theft and Criminal Offences in Ministry of Home Affairs ..	1604
3532. विभिन्न संग्रहालयों तथा प्राचीन भवनों में चोरी	Theft in Various Museums and Ancient Buildings ..	1604—1605
3533. विश्वविद्यालयों का भारतीयकरण	Indianisation of Universities ..	1605—1606

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3534. लास्ट सरस्वती शीर्षक वाला अनुसन्धान	Research Work on Lost Saraswati	1606
3535. उत्तर प्रदेश में काली नदी पर पुल	Bridge over Kali River in U. P. ..	1606
3536. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित द्विभाषी पुस्तकें	Books in Diglot form Published by Central Hindi Directorate ..	1607
3537. हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग	Kothari Commission Regarding Scales of Himachal Pradesh Teachers ..	1607
3538. महावीर जयन्ती के लिये राजपत्रित अवकाश	Gazetted Holiday for Mahavir Jayanti ..	1608
3539. चण्डीगढ़ में भूमि का आवंटन	Land Allotments in Chandigarh ..	1608—1609
3540. चण्डीगढ़ के कुछ कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों का वितरण	Distribution of Cash Awards to Employees of Chandigarh ..	1609
3541. "विश्व नेता" दिल्ली में नेताओं के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations Against Leaders in 'Vishva Neta', Delhi ..	1609
3542. उड़ीसा में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Excavations in Orissa ..	1610
3543. उड़ीसा के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान	Grants to Universities and Colleges in Orissa ..	1610
3544. उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का सीमांकन	Demarcation of U. P. Bihar Boundary ..	1610—1611
3545. राजनीतिक हत्याएं	Political Murders	1611
3546. विद्रोहियों के साथ हुई मुठभेड़ में वफादार नागाओं, मिजो तथा कुकी लोगों का मारा जाना	Loyal Nagas, Mizos and Kukis killed in Clashes with Rebels ..	1611
3547. दिल्ली में चालान किये गये टैक्सी तथा स्कूटर ड्राइवर	Taxi and Scooter Drivers Challaned in Delhi ..	1612
3548. 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान गिरफ्तार तथा सजा पाये गये व्यक्ति	Persons Arrested and Convicted during 1965 Indo-Pak. Conflict ..	1612

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3549. गोहाटी (आसाम) में कामरूप सेना	Kamrup Sena in Gauhati (Assam) ..	1612—1613
3550. एक शिशु का अपहरण	Kidnapping of Baby	1613
3551. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों में नियुक्तियां	Appointments in Colleges Under Delhi University ..	1613
3552. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित तथा व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned and Spent by IAC ..	1613—1614
3553. केन्द्रीय जांच विभाग को प्राप्त शिकायतें	Complaints Received by C. B. I. ..	1614—1615
3554. शिवपुरी में गृह मंत्रालय द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Home Ministry at Shivpuri ..	1615
3555. लखनऊ में दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Delhi Police Official in Lucknow ..	1615—1616
3556. जखीरा (दिल्ली) में गोला-बारूद का पाया जाना	Ammunition Found in Zakhira, Delhi ..	1616
3557. उद्योगों में ईंधन व्यवस्था	Fuel Practices in Industries	1617
3558. एयर इंडिया द्वारा यातायात विभाग में कुछ पदों पर नियुक्ति के लिये ली गई प्रतियोगी परीक्षा	Competitive Examination for Appointment to Certain Posts in Traffic Department Held by Air India ..	1618
3559. बम्बई विश्वविद्यालय में सिन्धी भाषा के लिए चेयर	Chair for Sindhi Language in Bombay University ..	1618
3560. बौद्धों के धार्मिक महत्व के स्थानों का विकास	Development of Places of Buddhist interest	1619
3561. नवम्बर, 1968 में हुआ राज्यपालों का सम्मेलन	Governors' Conference held in New Delhi in November 1968 ..	1619
3562. पुलिस और जनता के बीच मतभेद	Gulf between Police and Public ..	1619—1620
3563 संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बल का प्रयोग	Use of Police Strength in Union Territories ..	1620
3564. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेज लेखन केन्द्र	Indian National Scientific Documentation Centre ..	1620—1621

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3565.	आसाम में अन्तर्देशीय परिवहन सेवा	Inland Water Transport Services in Assam ..	1621—1623
3566.	दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति	Finances of Delhi Municipal Corporation ..	1623—1624
3567.	सार्वजनिक पुस्तकालयों की कमी	Dearth of Public Libraries	1624
3568.	राजधानी में अश्लील पत्रिकाओं की बिक्री	Sale of Obscene Magazines in Capital ..	1625
3569.	विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं द्वारा किये गये धर्म परिवर्तनों के बारे में सूचना	Intimation of Conversions by Foreign Christian Missions ..	1625
3570.	ईसाई धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti-National Activities by Christian Missionaries ..	1625—1626
3571.	राष्ट्रीय पुस्तकालय	National Libraries ..	1626
3572.	जम्मू और काश्मीर में हुल्लड़बाजी और उसका पर्यटन पर प्रभाव	Hooliganism in J and K and its effect on Tourism ..	1626—1627
3573.	नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों के नामांकन	Nomination of Members to New Delhi Municipal Committee ..	1627
3574.	निकटवर्ती स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति योजना	Compulsory Attendance in Neighbourhood Schools ..	1627—1628
3575.	सोफिया में विश्व युवक समारोह के बारे में भारतीय प्रतिनिधि की टिप्पणियां	Comments by Indian Delegate to World Youth Festival in Sofia ..	1628
3576.	आन्ध्र प्रदेश में हरिजन की हत्या	Murder of Harijan in Andhra Pradesh ..	1628—1629
3577.	विमानों के फालतू पुर्जे	Surplus Aircraft Spares ..	1629
3578.	पब्लिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Public Schools	1629
3579.	पर्यटक केन्द्रों पर पानी की सप्लाई	Supply of Drinking water at Tourist places ..	1629—1630
3580.	संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल	Schools in Union Territories	1630

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3581. बम्बई तथा दुर्गापुर केन्द्रों में श्रमिकों के लिए स्कूल	School for Labourers in Bombay and Durgapur Centres	1630—1631
3582. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चन्यायालयों में भाषा	Langauge in Supreme Court and High Courts ..	1631
3583. उत्तर प्रदेश की जेल पुस्तक में उपबन्ध	Provisions in U.P. Jail Manual ..	1631—1632
3584. दक्षिण कनारा जिला (मैसूर) में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Bus Routes in South Kanara District (Mysore) ..	1632
3585. केन्द्रीय स्कूलों में सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction for Social studies in Central School ..	1632
3586. पाठ्य पुस्तक योजना को परामर्शदात्री सेवा का रूप देना	Text Book Scheme as Consultancy service	1633
3587. सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो विवाह	Bigamy by Government Employees ..	1633—1634
3588. काश्मीर के बारे में गोलमेज सम्मेलन	Round Table Conference on Kashmir ..	1634
3589. "माहे" भारवाहक जहाज का डूबना	Sinking of Freighter 'Mahe' ..	1634—1635
3590. शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड	National Advisory Board on Education ..	1635
3591. लद्दाख में प्राचीन स्मारकों का सर्वेक्षण	Survey of Ancient Monuments in Ladakh	1635
3592. भारत तथा अर्जेन्टाइना के बीच पर्यटन तथा पारगमन वीजा	Tourist and Transit Visas between India and Argentina ..	1636
3593. हल्दिया पत्तन परियोजना	Haldia Port Project ..	1636—1637
3594. उड़ानों में वस्तुओं की बिक्री के लिये एयर इंडिया द्वारा भारतीय मुद्रा का स्वीकार न किया जाना	Non-acceptance of Indian Currency during Flights by Air India for items of Sale ..	1637

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3595. भोजनालयों में खाद्यपदार्थों के मूल्य	Prices of Food stuffs at Restaurants ..	1637—1638
3596. सड़क परिवहन उद्योग	Road Transport Industry	1638—1639
3597. रनकपुर मन्दिर, राजस्थान का पर्यटकों के लिये विकास	Development of Ranakpur Temple Rajasthan for Tourists	1639
3598. हुगली पर दूसरा पुल	Second bridge over the Hooghly in Calcutta ..	1639—1640
3599. हरिजनों की कठिनाइयां	Suffering of Harijans ..	1640—1641
3600. मौलिक शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Basic Education	1641
3601. सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां	Public sector appointments ..	1641—1642
3602. चौथी योजना में शिक्षा के लिये राशि का नियतन	Allocation for Education during Fourth Plan ..	1642
3603. कोचीन पत्तन	Cochin Port ..	1642—1643
3604. लखनऊ में अल्पसंख्यकों का सम्मेलन	Minorities Conference in Lucknow	1643
3605. विदेशी नागरिकों के दार्जिलिंग जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Foreign Nationals visiting Darjeeling ..	1644—1645
3606. हिप्पियों की गिरफ्तारी के लिये औपचारिकताओं का पालन किया जाना	Compliance of formalities for arrest of Hippies ..	1645—1646
3607. एक मस्जिद को मन्दिर में बदलना	Conversion of a Mosque into Temple ..	1646
3608. कलकत्ता में हुए झगड़ों के बारे में प्रतिवेदन	Report on clash in Calcutta ..	1646—1647
3609. 24 परगना जिला में लाठी प्रहार	Lathi charge in 24 Parganas	1647
3610. पश्चिमी बंगाल की सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against IAS/IPS Officers serving in West Bengal ..	1647—1648

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3611. डा० खुराना को नोबल पुरस्कार मिलना	Nobel prize won by Dr. Khorana ..	1648—1649
3612. बिहार के लिये सलाहकार समिति	Consultative Committee for Bihar ..	1649
3613. मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का पढ़ाया जाना	Teaching of Hindi in schools in Madras..	1649—1650
3614. सिल्वर औक्साइड जिंक सैल प्रणाली का विकास	Development of silver Oxide Zinc cell System ..	1650
3615 तमिलनाड में मन्दिरों का पुनरुद्धार	Renovation of temples in Tamilnad ..	1650—1651
3616. दिल्ली प्रशासन का लापता अवर सचिव	Missing under secretary of Delhi Administration	1651
3617. राज्यों को अधिक शक्तियां देना	More Powers for States ..	1651
3618. कलकत्ता में सशस्त्र डकैतियां	Robberies in Calcutta ..	1651—1652
3619. चुराई गई पुस्तकों सम्बन्धी जांच समिति	Stolen Books Enquiry Committee	1652
3620. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से पुस्तकों का गायब हो जाना	Books Missing from National Library, Calcutta ..	1653
3621. पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and order Situation in West Bengal	1653
3622. उड़ीसा में महा नदी पर पुल	Bridge on river Mahanadi in Orissa ..	1653—1654
3623. सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देना	Greater Representation to Minorities Community in services ..	1654
3624. सेंट्रल रिजर्व पुलिस को मुकदमे चलाने का अधिकार देना	Power for Central Reserve Police to Launch Prosecutions ..	1554
3625. उत्तर प्रदेश हरिजन परिवहन समिति को बस का परमिट दिया जाना	Bus permit to Uttar Pradesh Harijans Transport Society ..	1555

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3626.	जम्मू में एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप	Alleged Criminal Assault on a Girl in Jammu	1656
3627.	भारत में नगरीय अनुसंधान कार्यक्रम	Urban Research programme in India ..	1656—1657
3629.	राज्यों के राज्यपालों को अधिक शक्तियां दिये जाने के पक्ष में प्रशासनिक सुधार आयोग	ARC for More Powers to State Governors ..	1657
3630.	नेफा में सिविल प्रशासनिक पदों पर इन्फीरियर ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति	Manning of Civil Administrative posts in NEFA by officers of inferior grade ..	1657—1658
3631.	आसाम में उपराज्य	Sub-state in Assam ..	1658—1659
3632.	हिमालय में भूतत्वीय अनुसंधान संस्था	Institute of Research in Himalayan Geology	1659
3633.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार देने की योजना	Scheme of FICCI to absorb unemployed Engineers ..	1659—1660
3634.	पारादीप पत्तन पर अतिरिक्त माल गोदी	Additional Cargo Berths at Paradeep Port	1660
3635.	शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत	Dialogue with Sheikh Abdullah ..	1660—1661
3636.	सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of seniority of Government employees ..	1661
3637.	विरोधी दलों के नेताओं की गतिविधियों पर गुप्तचर पुलिस द्वारा निगरानी	CID watch on movement of opposition Leaders ..	1661—1662
3638.	संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों की पदालि	Cadres of officers in Union territories ..	1662
3639.	इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में पठन सामग्री अथवा समाचार-पत्रों की अपर्याप्त व्यवस्था	Inadequate reading Material, News papers on IAC Plants ..	1662—1663
3640.	पर्यटन विकास परिषद	Tourist Development Council ..	1663

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	Pages
3641.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा यूगोस्लाविया की संघीय परिषद के बीच वैज्ञानिक सहयोग का कार्यक्रम	Scientific cooperation between CSIR and Yugoslav Federal Council	1663
3642.	केरल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के सिपाहियों की डाकुओं से सांठ-गांठ	Defection by CRP constables in Kerala ..	1663—1664
3643.	मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल की पराजय	Rout of Indian Teams in Mexico Olympics	1664
3644.	उत्प्रवासी वैज्ञानिकों का भारत लौटना	Return of Emigrant Scientists to India ..	1664—1665
3645.	बम्बई-पूना प्रदेश में भूकम्प	Earthquakes in Bombay-Poona Region ..	1665
3646.	ग्रामों की सड़कों का विकास	Development of Rural Roads ..	1666
3647.	पालम हवाई अड्डे पर (लौंज) विश्राम-कक्ष	Lounge at Palam Airport ..	1666—1667
3648.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा दिये जाने वाले भोजन के बारे में शिकायतें	Complaints re. food served by IAC	1667
3649.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किराये में वृद्धि	Freight rates increased by Indian Airlines Corporation ..	1668
3650.	त्रिपुरा में कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of staff in Tripura ..	1668—1669
3651.	नजफगढ़, नई दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र के विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का प्रयोग	Use of Central Reserve Police in Najafgarh New Delhi Industrial Area Disputes ..	1669
3652.	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान तथा शेख के समर्थकों के पास हथियार	Arms with Pro-Pak and Pro Sheikh Elements in J and K	1670
3653.	न्यूयार्क में एयर इण्डिया का माल कार्यालय	Air India Cargo Office in New York ..	1670
3654.	रक्षित पदों को भरने के लिये विज्ञापन	Advertisements for filling up reserved posts ..	1671

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3655. सेंट्रल रिजर्व पुलिस को राज्यों में भेजने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC on sending of Central Reserve Police to States ..	1671—1672
3656. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक को दिल्ली में भूमि का नियतन	Allotment of land in Delhi to RSS Sar Sangh Chalak ..	1672
3657. कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को सहायता की मात्रा	Aid to states for implementation of Kothari Commission recommendations ..	1672—1673
3659. सर्वे आफ इण्डिया	Survey of India ..	1673
3660. आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के विरुद्ध दमनचक्र का समाचार	Alleged Repression of Harijans in Andhra Pradesh ..	1674
3661. केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध	Centre State Relations ..	1674
3662. केरल में हड़तालें	Strikes in Kerala ..	1675
3663. केरल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस का भेजा जाना	Sending of Central Reserve Police to Kerala ..	1675
3664. मिजो लोगों और विद्रोही नागाओं का आत्म-समर्पण	Surrender of Mizo and Naga Hostiles ..	1675—1676
3665. भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का नामजद किया जाना	Nominations of IAS/IPS Officers	1676
3666. मेक्सिको में ओलम्पिक खेल	Olympic Games at Mexico ..	1676—1677
3667. भारत के मुख्य पुरालेख विद (एपीग्राफिस्ट) मैसूर द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	Periodicals etc. published by Chief Epigraphist of India, Mysore ..	1677—1678
3668. दिल्ली कलकत्ता रात्रि विमान सेवा	Delhi-Calcutta Night Air Service	1678
3669. दीमापुर, नागालैंड में हवाई अड्डा	Air Field at Dimapur, Nagaland ..	1678—1679

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3670. दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परीक्षा की नई प्रणाली	New System of Examination in Higher Secondary Schools in Delhi ..	1679
3672. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श	Consultation Between Centre and States ..	1679—1680
3673. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति	NCERT Review Committee ..	1680
3674. नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Nagas ..	1680
3675. प्रेस पर सामाजिक नियंत्रण	Social Control on Press ..	1680—1681
3676. इम्फाल (मनीपुर) में डेटोनेटरों का पकड़ा जाना	Detonators recovered in Imphal (Manipur)	1681
3677. आसाम में सशस्त्र विद्रोह के लिये विदेशी प्रोत्साहन	Foreign incitement for armed action in Assam ..	1681
3678. सीमावर्ती लद्दाख जिले पर व्यय	Expenditure on Border District of Ladakh ..	1681—1682
3679. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा रियायती किराया	Concessional Fare by Indian Airlines Corporation ..	1682
3680. नयी दिल्ली में नेशनल फिटनेस कोर के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of National Fitness Corps in New Delhi ..	1682—1683
3681. विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियां	Activities of Mizo Rebles ..	1683
3682. दिल्ली परिवहन उपक्रम के ड्राइवरों को कम दिखाई देना	Defective visions of DTU Drivers ..	1683—1684
3683. नौकरानी के रूप में भारतीय स्त्रियों को विदेशों में भेजना	Indian women sent a maid servants to foreign countries ..	1684
3684. भारत के गिरजाघरों का विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्था के नियंत्रण तथा अधीनता से मुक्त किया जाना	Freedom of Churches in India from Subordination and Control of Foreign Christian Missions ..	1684
3685. मनीपुर को राज्य का स्तर देना	Statehood for Manipur ..	1684—1685

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3686. मध्य प्रदेश में डाकुओं की समस्या	Dacoit Problem in Madhya Pradesh	1685
3687. अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा	Compulsory Free Education	1686
3688. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा-प्रशिक्षण परिषद्	Prices of Publications Published by NCERT ..	1686
3689. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम	Service Rules for Employees of NCERT..	1687
3690. हिप्पियों द्वारा जासूसी	Espionage Activities of Hippies	1687
3691. स्कूल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड	National Board of School Education ..	1687—1688
3692. अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in All India and Central Services ..	1688—1689
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
ब्रिटेन द्वारा आयात जमा योजना का लागू किया जाना	Imposition of Import Deposit Scheme by Britain ..	1690—1691
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1692—1693
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	1693
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	1693—1694
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Presidents' Assent to Bills	1694
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक	Delhi Rent Control (Amendment) Bill ..	1694
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	Report of Joint Committee and Evidence..	1694
सभा का कार्य	Business of the House	1695
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	1696—1697
26वां प्रतिवेदन	Twenty-sixth Report ..	1696—1697
बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill ..	1697—1705

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported, by Joint Committee ..	1697—1698
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	1698
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	1698—1699
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	1699—1704
खंड 2 से 6	Clause 2 to 6	1705
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ..	1706
41वां प्रतिवेदन	Forty-first Report	1706
जम्मू तथा काश्मीर की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी संकल्प—वापस लिया गया	Resolusion re. status of Jammu and Kashmir—withdrawn ..	1706—1719
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	1706—1708
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	1708
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi ..	1708—1709
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan ..	1710—1711
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ..	1711—1712
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	1712—1713
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	1713
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	1713—1314
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	1714—1717
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	1717—1719
विदेशी व्यापार नीति के बारे में संकल्प	Resolution re. foreign trade policy ..	1719—1721
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia ..	1719—1721
आसाम में सरकारी क्षेत्र में दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re : Second Public Sector refinery in Assam ..	1721—1724
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita ..	1721—1722
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah ..	1722—1723
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	1723
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	1723
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	1723
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	1723—1724

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1968/15 अग्रहायण, 1890 (शक)
Friday, December 6, 1968/Agrahayana 15, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Letter from Shri Mir Mohammad Jilani

*572. **Shri Kameshwar Singh :** + **Shri J. B. Singh :** **Shri Shardanand :** **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Kedar Paswan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether one, Mir Mohammad Jilani, who is living in the Pak-occupied area of Kashmir has sought permission from Government to enter Kashmir ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य रावलपिण्डी में रह रहे मीर मकबूल गिलानी द्वारा सरकार से किये गये उस अनुरोध का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने शेख अब्दुल्ला द्वारा निमंत्रित 46 अन्य व्यक्तियों के साथ अक्तूबर, 1968 में श्रीनगर में बुलाये गये सम्मेलन में भाग लेने के लिये स्वीकृति देने के लिये किया था। सरकार ने स्वीकृति न देने का निश्चय किया था।

Shri Kameshwar Singh : May I know whether it is not clear that Shri Sheikh Abdullah is keeping contact with his accomplices in Pakistan, and is busy in anti-India activities ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये।

Shri Kameshwar Singh : The Hon. Minister always claims that we are wrong but the truth always prevails. Will the Hon. Minister assure that he would make full inquiries in this behalf and lay a report on the Table of this House?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

श्री स्वैंल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पिछली बार श्री शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक सम्मेलन किया था तथा वह चाहते थे कि पाक-अधिकृत काश्मीर में रहने वाले कुछ व्यक्ति भी वहां आकर इस सम्मेलन में भाग लें; परन्तु उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी; और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पाक-अधिकृत काश्मीर को भारत का ही एक अंग समझती है; और यदि हां, तो क्या वहां के लोगों के लिये यह आवश्यक है कि वे भारत अथवा काश्मीर में प्रवेश करने के लिये सरकार की अनुमति लें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य इस मामले में बड़ा ही कड़ा कानूनी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह प्रदेश निश्चय ही भारत का एक अंग है, यह हमारा दावा है। परन्तु इसी आधार पर यह भी कहा जायेगा कि घुस-पैठिये भी तो यहां आने के लिये किसी की अनुमति नहीं मांगते।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे लोग जिन्हें श्री शेख अब्दुल्ला ने आमंत्रित किया था, श्रीनगर के सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक थे तथा क्या पाकिस्तान सरकार उन लोगों को भी श्रीनगर आकर इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता। यहां हम पाकिस्तान सरकार के रवैये पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : जम्मू तथा काश्मीर का जो वर्तमान गठन है उसमें काश्मीर की घाटी इस राज्य के अनेक भागों में से एक बहुत ही छोटा भाग है तथा श्री शेख अब्दुल्ला स्वयं को वहां के नेताओं में से एक समझते हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पाक-अधिकृत काश्मीर के लोग भी उनके साथ हैं। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हमारी ओर के काश्मीरी मुसलमान भी उन्हें अपना नेता नहीं मानते। वे लोग शेख अब्दुल्ला से घृणा करते हैं। पुंच आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काश्मीरी कहना गलत है। वे पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं। इन लोगों को काश्मीर घाटी में लाने का उनका प्रयत्न केवल एक कपटपूर्ण चाल थी जिसे वह पाकिस्तानी अधिकारियों की सहायता से चलाना चाहते थे ताकि लोग समझें कि सभी लोग उनको अपना नेता बनाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान इन लोगों को काश्मीर भेजना चाहता था क्योंकि वह स्वयं इस प्रपंच में शामिल था ? इन सब बातों को देखते हुये क्या सरकार विशिष्ट रूप से यह आश्वासन देगी कि जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, युद्ध विराम रेखा समाप्त नहीं हो जाती, और जब तक वे क्षेत्र जो कि भारत के अंग हैं, भारत में शामिल नहीं कर लिये जाते; तब तक वहां ऐसे किसी व्यक्ति को भारत में प्रवेश

नहीं करने दिया जायेगा जो कि इस देश में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने हेतु पाकिस्तान द्वारा साधन बनाया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक बड़ा मामला छेड़ दिया है तथा वह मुझसे आश्वासन भी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल के दौरान नहीं हो सकता, इस अवधि में केवल जानकारी ही मांगी जाती है ।

श्री बलराज मधोक : आपने उन्हें बीच में ही रोक दिया है श्रीमन् ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : अब तक हमने केवल पाकिस्तान से ही बातचीत की है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पाक-अधिकृत काश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिये क्या उपाय किये हैं ताकि हम उन्हें सहमत कर सकें ? क्या इस दिशा में कुछ करने का प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बलपूर्वक पाक-अधिकृत प्रदेश के लोगों से आप कैसे बात कर सकते हैं ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर के सम्मेलन में दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से हिंसा भड़काने वाला भाषण था ? उस सम्मेलन में उन्होंने पाक-अधिकृत काश्मीर के लोगों को भी आमंत्रित किया था । इससे स्पष्ट होता है कि वह पाक-अधिकृत काश्मीर में भी हिंसा भड़काना चाहते थे । इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो कि एक स्वतंत्र काश्मीर राज्य की मांग कर रहे हैं जैसा कि इस सम्मेलन से स्पष्ट होता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह तो इस सम्मेलन का राजनैतिक दृष्टि से अनुमान लगाने तथा इसके प्रभाव को जानने का मामला था । हम बेकार में इधर-उधर कार्यवाही करने के लिये उत्तेजित नहीं होना चाहते थे । क्योंकि इस सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये जाने थे अतः हमने यही उचित समझा कि अनुमति दे दी जाये तथा इससे उत्पन्न परिणामों का अध्ययन किया जाये ।

श्री हेम बरुआ : वह भाषण स्पष्ट रूप से हिंसा को भड़काने वाला था कि नहीं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक सम्मेलन में दिये गये भाषण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा सोवियत संघ का दौरा

*573. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-रूसी सहयोग के अन्तर्गत प्राकृतिक उत्पादों के रसायन

सम्बन्धी विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल रूस गया था;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से वैज्ञानिक सोवियत संघ गये थे; और

(ग) उनका दौरा भारतीय वैज्ञानिकों के लिये किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हां।

(ख) जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने गोष्ठी में भाग लिया था उनकी सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2559/68]

(ग) गोष्ठी में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान के विनिमय का तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के उन विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ जिन क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (ग) भाग के लिये विस्तृत उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया था, और यदि हां, तो क्या उस दल ने कोई सुझाव दिया था ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। वर्ष 1967 में, सोवियत संघ की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक प्रतिनिधि मण्डल ने सुझाव दिया था कि दो देशों के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त समिति गठित की जानी चाहिए। वह हमने कर दिया। इसकी पहली बैठक दिल्ली में दिनांक 31 जनवरी, 1968 को हुई। दूसरी विचार-गोष्ठी रसायन-शास्त्र पर ताशकन्द में हुई थी। उन्होंने भी एक प्रतिवेदन पेश किया है। उनकी सिफारिश है कि हमें दोनों देशों से सम्बन्धित इन विषयों में विशिष्ट अध्ययन करना चाहिए तथा उसके बाद हमें विशेष संयंत्र भी लगाने चाहिये।

श्री नि० रं० लास्कर : इस सम्मेलन से हमारे देश को स्पष्ट रूप में क्या लाभ होगा ?

श्री भागवत झा आजाद : ताशकन्द में हुई इस गोष्ठी में रसायन-शास्त्र पर विचार किया गया था। अब उन्होंने निश्चय किया है कि हमें रसायन-शास्त्र और जीव-विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिये। इसी प्रकार उन्होंने यह भी निर्णय किया है कि हमें गणित शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, खगोल-भौतिका तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अध्ययन करना चाहिये।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Out of 15 scientists who visited the USSR, five were from Delhi University only and belonged to the same Department of Chemistry. Why was it so when there are other Universities also in the country ? Why other scientists were also not given a chance ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is true that they belonged to a particular subject. As it was a symposium on chemistry persons connected with this subject only were in majority.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Sir, he has not answered my question as to why so many persons were sent from Delhi University only. Why persons from other Universities were also not sent there ?

Shri A. B. Vajpayee : Do not we have persons connected with Chemistry outside Delhi ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is true that more persons were from Delhi University, but there were persons from other Universities too.

श्री नन्द कुमार सोमानी : भारत सरकार काफी समय से व्यापारी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक अथवा इंजीनियरों के दलों को, जो विश्व कांग्रेस तथा अन्य सम्मेलनों में विचारों के आदान-प्रदान तथा ज्ञान के प्रसार के लिए विदेशों में भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं, अनुमति नहीं दे रही है और निरुत्साहित कर रही है। इस तथ्य को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार का विदेशों में प्रतिनिधि मण्डल भेजने का विवेकयुक्त मापदण्ड क्या है ? क्या उनकी कोई निर्धारित नीति है अथवा यह परीक्षण द्वारा मूल सुधार अथवा स्वेच्छा पर आधारित है ? इसका आधार क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस विस्तृत प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इस मामले में वैज्ञानिक प्रतिनिधि मण्डल ने संयुक्त समिति स्थापित करने का सुझाव दिया था। यह पूरा कर दिया गया था। इसमें भारत और सोवियत रूस के वैज्ञानिक थे और इनकी गोष्ठी ताशकंद में हुई। अब उन्होंने यह निर्णय किया है कि अगली गोष्ठी दिल्ली में दिसम्बर, 1969 अथवा जनवरी, 1970 में होनी चाहिए।

श्री वि० ना० शास्त्री : मैं जान सकता हूं कि क्या आगामी वर्षों में आगे भी गोष्ठी होगी और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय दिल्ली के अलावा अन्य विश्व विद्यालयों के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों को उस दल में शामिल करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : ताशकन्द में हुई गोष्ठी में यह निश्चय किया गया था कि दिल्ली में 1969 से अन्त अथवा 1970 के आरम्भ में प्राकृतिक पदार्थ और भेषज विज्ञान पर एक गोष्ठी होनी चाहिए। जहां तक वैज्ञानिकों के चयन का प्रश्न है, इस सम्मेलन में भी लखनऊ और हैदराबाद के वैज्ञानिक हैं। आगामी सम्मेलन में भी अन्य विश्व विद्यालयों के वैज्ञानिक होंगे।

धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कानून

*574. **श्री कार्तिक उरांव :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों ने एक कानून बनाया है

जिसमें 21 वर्ष की आयु से कम के लोगों के धर्म परिवर्तन को एक दांडिक अपराध माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) : उड़ीसा धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1967 तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की एक-एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2560/68]

श्री कार्तिक उरांव : धर्म तथा अन्य कोई भी कानून जनता के दबाव के कारण बनाया जाता है। चाहे यह गलत ही हो परन्तु हम चाहते हैं कि यह अधिकार बना रहे। हमारी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं हुई जहां कहा जा सके कि धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हो रहा है तथा यह मजबूरी के कारण नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण थे जिनसे मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में धर्म परिवर्तन सम्बन्धी अधिनियम बनाये गये, तथा क्या वही परिस्थितियां भारत के अन्य भागों में नहीं हैं विशेषकर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में जहां भारी संख्या में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मैं समझता हूं ये प्रश्न धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के बारे में हैं। यह गतविधियां चल रही हैं और आगे भी चलेंगी तथा गत पांच वर्षों में वह अधिक तीव्र नहीं हैं। यह कई राज्यों में चल रही हैं परन्तु विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में चल रही हैं।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेदों की ओर दिलाया गया जिनमें दो अलग-अलग विपरीत बातें कही गई हैं। एक उपबन्ध तो ये है कि अपने धर्म का प्रचार आदि कोई कर सकता है परन्तु दूसरी ओर यह कहा जाता है कि दूसरे के धर्म में घुसपैठ न करे। परन्तु दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय चर्चा नहीं हो रही है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई विधेयक लाने जा रही है जिससे धर्म का प्रचार करने के अधिकार को समाप्त किया जाये ? जब तक विदेशी धर्म प्रचारकों को भारत में कार्य करने दिया जायेगा, यहां धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में संविधान में जो दो अनुच्छेद हैं, हमें उनमें कोई प्रतिवाद दिखाई नहीं देता, इस कारण किसी संशोधन की अभी आवश्यकता नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि वह मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करे। दूसरे यह भी केन्द्र की जिम्मेदारी है कि कानून स्पष्ट हो तथा उससे किसी के हितों की

हानि न हो। इस अधिनियम से न केवल ईसाईयों अपितु मुसलमानों, सिखों तथा आर्य समाजियों पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे प्रश्न अनुसूचित जातियों के अधिकारों का भी है। उन्हें अधिकार है कि वे जो धर्म चाहें अपना लें। क्या सरकार की इच्छा यह है कि उन कानूनों की अनुमति दे जिनसे किसी की हानि हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने विधि-मंत्रालय से परामर्श किया है और उनके विचार में संविधान के किसी भी उपबन्ध का इसमें उल्लंघन नहीं होता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, I congratulate the Governments of Orissa and Madhya Pradesh for passing legislation against conversion. Will Central Government pass such a legislation in respect of union territories?

Shri Vidya Charan Shukla: Sir, we have considered it fully and we have been advised that such objects can be realised by the use of sections 352, 506 and 508 of the Indian Penal Code. So far as the question of principle is concerned, we find no contradiction.

श्री वी० शंकरानन्द : लोग अपना धर्म परिवर्तन उस समय करते हैं जब एक धर्म के अनुयायी उन्हें अपने में मिलाने को तैयार नहीं अथवा दूसरों को समान व्यवहार नहीं करते हैं। क्या सरकार किसी एक विशेष धर्म के संरक्षण के लिये तथा धर्म परिवर्तन रोकने के लिये अपने शासन तन्त्र का प्रयोग करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो हम उसे रोकने वाले नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale: Sir, some foreign powers are converting poor people by using the resources at their command. I would endorse what Shri Vajpayee stated and ask the Government to bring about legislation for the whole country.

Shri Vidya Charan Shukla: I have already replied to this question.

श्री रा० ढो० भण्डारे : यह बुद्ध का देश है। क्या उस धर्म का मानना अपराध है तथा क्या इस अधिनियम के अनुसार बुद्ध धर्म का मानना निषेध है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस अधिनियम के द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तन पर रोक लगाई जा रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने प्रतियां सभा-पटल पर रख दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी राय उसके बारे में बना सकते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। यदि हिन्दू ऐसा समझें कि उनके भाईयों की गरीबी के कारण दूसरे अनुचित लाभ उठा रहे हैं तो वह एक आन्दोलन चलायें कि उन्हें ऊंचा उठाया जा सके। ऐसा तरीका अपनाना ठीक नहीं है जो हिन्दू धर्म के लिये ही ठीक

नहीं है । इसलिये क्या सरकार हिन्दुओं से कहेगी कि वह कानून पास करने की बजाय आन्दोलन से यह समस्या हल करें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार की नीति यह है कि दूसरों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे ।

साम्प्रदायिकता उन्मूलन समिति

*575 **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'कल्याण' पत्रिका के अक्तूबर 1967 के अंक में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निरन्जन देव तीर्थ के कुछ लेखों के विरुद्ध नई दिल्ली की भारतीय साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद उन्मूलन समिति से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारतीय साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद उन्मूलन समिति, नई दिल्ली तथा अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं कि गोरखपुर की एक हिन्दी पत्रिका कल्याण के अक्तूबर, 1967 अंक में प्रकाशित एक लेख के विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिसमें गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निरन्जन देव तीर्थ के विचार जाति समुदाय के पक्ष में हैं । यह भी निवेदन किया गया था कि शंकराचार्य के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय । सरकार शंकराचार्य के विचारों को बिल्कुल अस्वीकार करती है और समझती है कि ऐसे लेख राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकारक हैं फिर भी सरकार को सलाह दी गई है कि लेख कानून के अधीन कार्यवाही करने योग्य नहीं है ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, kindly excuse me, this is not his article but an interview, from which I will like to read out a few sentences so that the House may know the views of Shri Shankaracharya on various issues.

I will like to add that I was also one of the persons who demanded his release when he was on fast and was arrested and we had agitated this point.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, आप इन सब बातों को पढ़ कर नहीं सुना सकते । इसमें बहुत अधिक समय लगेगा । हम आशा करते हैं कि सबने इसे पढ़ा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका सम्बन्धित भाग.........**(व्यवधान)**

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, while putting a question I will have to read a sentence or two. He has expressed in it his views not only on caste system but also on nationalism. I want to put the same before the House. He has said in his reply :

"It is necessary to be a lover of Hindu Sanatan Dharma, which is a true religion before being a patriot. You should first of all respect your Dharma, Culture, Civilisation, parents, temples, dieties, scared cow, Brahmin, Saints and pilgrimages. You show respect your **Tilak**; and sacred **Choti** and only then you will be able to respect your nation."

Mr. Speaker, Sir, it is just the issue of caste system. He has dealt with the country, religion and patriotism and has expressed the view that women, **shudras**, muslims and christians etc. do not fit into Indian culture and as such they can not be patriots. Shri Shankaracharya also declares it a sin to invite women, **shudras**, muslims and christian to participate in processions and meetings. The food touched by them should also not be taken. He says that they take food touched by dog, horse and donkey without any thought. They do not know food touched by whom should be taken and the food touched by whom should not be taken. Similarly if people take the food worked or touched by people of other religions or castes without giving any thought, there will not be any difference between animals and such persons. These are the views expressed by Shri Shankaracharya.

Since you have passed a legislation throwing open all the restaurants and other places to people of all the religions, castes and faiths, do you not consider the such statements and behaviour of Shri Shankaracharya against the constitution and the law ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : दो भिन्न बातें हैं। एक तो कोई विचार रखना और दूसरे उसके अनुसार आचरण करना। यदि वे ऐसा आचरण करते हैं अथवा इकट्ठे भोजन करने आदि से किसी को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। जैसा मैं कह चुका हूं, जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, वह उनकी मर्यादा को शोभा नहीं देते। मैं व्यक्तिगत रूप में उनके विचारों और उनके व्यक्त करने के तरीके को नापसन्द करता हूं।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Shri Shankaracharya has placed the backward class people—all those not belonging to Brahmin, Kshatriya and Vaish communities—in the category of dogs and cats. This type of publicity is being carried on through 'Kalyan' monthly with a monthly circulation of 1.50 lakh and the readers are likely to mould their views on these lines. Will Government give a serious thought to it and consider any new step against it, which may be deemed necessary ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। वर्तमान कानून के अन्तर्गत हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन एक समिति है, जो इस पर विचार करती है।

श्री स० मो० बनर्जी : 22 तारीख के बाद आप एक अध्यादेश.........

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे प्रसन्नता है कि आप समझते हैं कि कभी-कभी अध्यादेश आवश्यक होते हैं। हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिए अधिनियम में कोई संशोधन करना आवश्यक होगा। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। क्योंकि शंकराचार्य ने अभिप्रेत अर्थों में शूद्रों तथा अन्य अस्पृश्य लोगों को छोटे

पशुओं कुत्ते आदि से तुलना की है। मनुष्यों की पशुओं से इस प्रकार की तुलना से हमें समझ लेना चाहिए कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं।

Shri Shashi Bhushan : May I know the steps proposed to be taken to ban such religious books of Hindus, Muslims or Christians in the country—whether it may be **Manusmriti, Ramayana** or any other religious book—which contains references against **shudras, Harijans** or women or carry on such propaganda against them ?

Secondly, the Adi Shankaracharya was a great man and **Brahmachari** but the present incumbent of seat was installed on it while he was father of five children. Since he is using his position for political purposes, may I know the action proposed to be taken by Government against heads of such **Maths** ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम शंकराचार्य नियुक्त नहीं करते। इसलिए मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Home Minister just now said that no legal action can be taken against such articles and on the other side Shri Golvalkar has made speeches that people who wish to live India, you should live here as Hindus and keeping a beard is not proper...........

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statement of the Hon. Member about beard completely wrong since Shri Golvalkar himself keeps a beard.

Shri Sarjoo Pandey : When our Government have decided in favour of a secular State, what effective action is going to be taken against publication of such statements and articles, which have a bad effect on the minds of the people ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसे कुछ लोगों द्वारा दिये जा रहे अत्यन्त गैर-जिम्मेदार वक्तव्यों को हम पसन्द नहीं करते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं ? देश में गैर-जिम्मेदार वक्तव्य देने का मूलभूत अधिकार है।

Shrimati Lakshmi Kantamma : Will Government advise the Shankaracharya to read the relevant chapter of **Bhagwat Gita,** wherein it has been said that women and **chandal** have a right to listen religious discourages and practise religious acts.

कोचीन पत्तन के लिए विकास योजना

+

*576 **श्री वासुदेवन नायर : श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री प० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कोचीन पत्तन के विकास के लिए कोचीन पत्तन-न्यास द्वारा प्रस्तुत की गई 30 करोड़ रुपए की योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा

रद्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए एक छोटी योजना की मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में पत्तन-न्यास द्वारा तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या था ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कोचीन पत्तन के विकास के लिए अब कुल कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2561/68**]

श्री वासुदेवन नायर : एक समय था जब कोचीन पत्तन पश्चिमी तट की रानी थी। परन्तु आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। पत्तन अधिकारियों ने चौथी पंचवर्षीय योजना की विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए उस पत्तन के विकास हेतु 33 करोड़ रुपये की योजना भेजी थी। परन्तु अध्ययन दल ने उसमें 50 प्रतिशत कटौती कर दी है और वह योजना अब लगभग 15 करोड़ रुपये की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस गम्भीर स्थिति की जानकारी है कि कोचीन पत्तन के ड्रेजर पुराने और बेकार हैं तथा उनका बदला जाना आवश्यक है ? मैं प्रस्तावों का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहता, परन्तु पत्तन अधिकारियों ने यह प्रस्ताव किया था कि लॉर्ड विलिंगडन ड्रेजर को एक नये हुप्पर सकन ड्रेजर से बदला जाना चाहिए और लेडी विलिंगडन के स्थान पर एक नया हुप्पर बारज होना चाहिए तथा उन्होंने प्रस्ताव किया था कि लेडी विलिंगडन तथा लॉर्ड विलिंगडन इत्यादि के स्थान पर बक्ट ड्रेजर खरीदने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रस्ताव अध्ययन दल द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय उन प्रस्तावों पर विचार करते समय इस स्थिति पर पुनर्विचार करेगा, क्योंकि कोचीन पत्तन पर गाद मिट्टी आदि जमने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक गाद तथा मिट्टी आदि जम जाने की समस्या का प्रश्न है, हमें न केवल इस समस्या की जानकारी है, बल्कि इस सम्बन्ध में हमने सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क भी स्थापित किया हुआ है। मैं समझता हूं गाद तथा मिट्टी जम जाने के बारे में लगभग तीन अथवा चार महीने पहले कार्यवाही की गई थी। जब मैं कोचीन गया था, तो पत्तन-न्यास ने मुझे बताया था कि गाद तथा मिट्टी आदि जमने की अविलम्बनीय समस्या तथा उन सब कठिनाइयों को, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, दूर कर दिया गया है। गाद तथा मिट्टी जमने की दीर्घकालीन समस्या अभी उपस्थित है। जहां तक पुराने ड्रेजरों का प्रश्न है उनको बदलने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय सदस्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली कोचीन पत्तन न्यास

की रिपोर्ट किस प्रकार प्राप्त हुई, क्योंकि यह एक बिल्कुल आन्तरिक दस्तावेज है । प्रत्येक व्यक्ति जब प्रथम अनुमान लगाता है, तो वह केवल अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और संसाधनों तथा अन्य दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देता । इस बड़ी मद जिसके कारण 10 करोड़ रुपये का अन्तर हुआ है, वह है सुपरटैंकर बर्थ । कोचीन पत्तन ने 10 करोड़ रुपए का उपबन्ध स्वयं किया है । मैं वहां स्वयं गया था तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि उस पत्तन के आस-पास बहुत सी अन्य चीजों के होने के कारण, वहां सुपर टैंकर बर्थ लगाना बहुत कठिन है । अब हम तट दूर टरमिनल स्थापित करने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं और इसके लिए सम्भाव्यता प्रतिवेदन मांगा गया है । यदि तट-दूर टरमिनल सम्भव हुआ, तो वहां तट-दूर टरमिनल लगाया जायेगा ।

जहां तक लॉर्ड और लेडी विलिंगडन का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताने में खुशी अनुभव कर रहा हूं कि उन दोनों को बदला जा रहा है । वास्तव में पुरानी योजनायें केवल 2.8 करोड़ रुपये की हैं तथा सब नई योजनायें 12.74 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की हैं । मैं सम्पूर्ण सूची बता कर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी के लिए उन्हें सम्पूर्ण सूची दे सकता हूं ।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में कहा गया है कि ये योजनाएं संचालक दक्षता के वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान संचालक दक्षता से संतुष्ट है अथवा पत्तनों की संचालक दक्षता में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई योजनायें बनाई गई हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक पत्तन की गहराई का प्रश्न है इस पत्तन को गहरा करने का जैसा कि मद्रास अथवा गोआ अथवा विशाखापत्तन को किया जा रहा है, कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक पत्तन की संचालक दक्षता का प्रश्न है, उसकी संचालक दक्षता में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मैंने माननीय सदस्य को वह सूची देने का वचन दिया है, जिसकी कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई सब योजनाओं को स्वीकार किया जायेगा, क्योंकि योजना आयोग भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेगा और संसाधनों तथा अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जायेगा । परन्तु मैं उन्हें वह सूची देने को तैयार हूं, जिससे वह इस बात से सहमत हो जायेंगे कि कार्यकारी दल ने संचालक दक्षता में सुधार करने के लिये योजनायें बनाई हैं ।

श्री प० गोपालन : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कोचीन पत्तन सम्बन्धी विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित न करके तथा कोचीन पत्तन की अवेहलना करके मंगलौर तथा तूतीकोरिन आदि पत्तनों का विकास करके, जानबूझकर कोचीन पत्तन के विकास में रुकावट डाल रही है ।

एक बर्थ पर लगभग $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये खर्च करके मंगलौर पत्तन पर चार बर्थों के

निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, जब कोचीन पत्तन पर उन्हें 1 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा सकता था ।

बड़े पत्तन की अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार बड़ा पत्तन वह है जिसमें हर समय दिन हो अथवा रात और हर मौसम में 30 फुट की गहराई चाहने वाले जहाजों में लदान किया जा सकता हो अथवा उनसे सामान उतारा जा सकता हो । पहले कोचीन पत्तन पर 30 फुट की गहराई चाहने वाले जहाजों का लदान करने तथा उनसे सामान उतारने की व्यवस्था थी, परन्तु अब स्थिति बहुत दयनीय है, तथा केवल 25 फुट की गहराई चाहने वाले जहाजों का ही लदान किया जा सकता है अथवा उनसे सामान उतारा जा सकता है । कोचीन पत्तन की यह दयनीय दशा होने का कारण यह है कि सरकार द्वारा उसकी लगातार अवहेलना की गई है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोचीन पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत की गई 30 करोड़ रुपये की मूल योजना को स्वीकार करेगी ताकि कोचीन पत्तन को पुनः बड़े पत्तन के न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानदण्ड के अनुसार बड़ा पत्तन बनाया जा सके ?

डा० वी० के राव० वी० राव : जहां तक 30 फुट की गहराई का प्रश्न है, मैंने पहले कहा है कि क्योंकि ये दो ड्रेजर बहुत पुराने हैं, इसलिये उतनी गहराई तक तलकर्षण नहीं किया जा सका, जितनी गहराई तक किया जाना चाहिये था । हमने हाल में गंगा नामक एक दूसरा पुराना ड्रेजर प्राप्त किया है, जो इस समय वहां काम कर रहा है । यह ड्रेजर पत्तन में पहले जितनी गहराई तक तलकर्षण करने में बहुत हद तक सफल हुआ है । मैं समझता हूं कि उन बहुत पुराने दो ड्रेजरों में से, शायद लेडी विलिंगडन को भी 24 घण्टे की पारी पर तलकर्षण कार्य पर लगाया जाता है, ताकि तलकर्षण का अधिक कार्य किया जा सके । अब न केवल लार्ड विलिंगडन अपितु लेडी विलिंगडन को भी बदलने का निर्णय किया गया है । हम चाहते हैं कि दोनों को बदला जाये । लार्ड विलिंगडन के स्थान पर एक हुप्पर सकन ड्रेजर की मंजूरी दी गई है तथा इसके लिये ठेका भी दे दिया गया है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या ड्रेजर का नाम रख दिया गया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : ड्रेजर प्राप्त होने पर ही इस बारे में विचार किया जायेगा।

श्री प० गोपालन : विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कोचीन पत्तन की अवहेलना की गई है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में विधि मंत्री के कथन का इतना सम्मान करते हैं । मैं आशा करता हूं कि अन्य मामलों में भी वह ऐसा ही करेंगे ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है जहां तक लार्ड विलिंगडन के बदलने का प्रश्न है उसका ठेका गार्डन रीच वर्कशाप को दिया गया है । एक नये ग्रेब हुप्पर ड्रेजर की मंजूरी भी दी जा रही है ।

श्री शारदानन्द : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री शारदानन्द : आप इस बात पर बल देते रहे हैं कि प्रश्न छोटे होने चाहिए क्या उत्तर छोटे नहीं होने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में मंगलौर पत्तन पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में प्रश्न पूछा गया था । परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है । केवल लार्ड विलिंगडन और लेडी विलिंगडन का ही उल्लेख किया गया है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं । जहां तक मुझे याद है मैंने यह नहीं कहा है कि मंगलौर के विकास पर हमने 30 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । मैं कोई अन्तर प्रादेशिक विवाद नहीं खड़ा करना चाहता और न ही मैं इस बात का कोई उल्लेख करना चाहता हूं । यह कहना गलत है कि हम कोचीन की अवहेलना करके मंगलौर का विकास कर रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : इस योजना को पूरा करने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा क्या विदेशी मुद्रा के खर्च को बचाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है, जैसा कि हल्दिया के बारे में किया गया था ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसी कारण से हमने गार्डन रीच वर्कशाप को क्रयादेश दिया है, परन्तु ड्रेजरों के निर्माण में उन्हें कुछ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री स० चं० सामन्त : मैंने पूछा है कि कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं कोई विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हम विदेशी मुद्रा के खर्च को कम से कम करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मैं समझता हूं कि सभा इस बात का स्वागत करती है कि कोचीन पत्तन के विकास के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि में कटौती करने का कारण कोचीन पत्तन न्यास द्वारा अपनी आय से कम बचत करना है । बम्बई पत्तन ने अपनी आय से अब तक लगभग 40 करोड़ रुपये जमा कर लिये हैं और यह आयात तथा निर्यात व्यापार लगभग 50 प्रतिशत नौवहन सम्बन्धी कार्य करता है । वहां नहावा शेवा पर एक सहायक पत्तन स्थापित करने की लगातार मांग की जाती रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई पत्तन की अपनी बचत से वहां एक सहायक पत्तन स्थापित करने में क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । कोचीन तथा बम्बई के बीच बहुत दूरी है ।

श्री विश्वम्भरन : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि पत्तन न्यास ने 33.53 करोड़ रुपये की लागत का कार्यक्रम पेश किया था परन्तु कार्यकारी दल ने यह राशि घटा कर 15.54 करोड़ रुपये कर दी है। ऐसा समझा जाता है कि ये प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं और फिर सरकार द्वारा इन पर विचार किया जायेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग इस धनराशि में और कटौती करेगा अथवा क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसमें और कटौती न की जाये ?

दूसरे कुछ वर्ष पहले तक कोचीन पत्तन पर यात्री स्टीमर आया करते थे, परन्तु अब पारगमन शैडों की व्यवस्था न होने के कारण कोचीन में यात्री स्टीमर नहीं रुकते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोचीन पत्तन पर पारगमन शैडों की उचित व्यवस्था की जायेगी, ताकि वहां यात्री स्टीमर आ सकें ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि योजना आयोग को यह निदेश दे कि उसे इन प्रस्तावों पर विचार करते समय क्या करना है तथापि योजना आयोग की सिफारिशों पर स्वयं अपने निर्णय करने का सरकार का अधिकार है।

दूसरे प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में काफी समय पहले विचार-विमर्श किया गया था। हमने पत्तन न्यास तथा सरकार दोनों को यातायात के पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने को कहा है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि पारगमनों की व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगी अथवा नहीं। अब तक प्राप्त हुई जानकारी से पता चलता है कि पारगमनों की व्यवस्था वहां आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी, तथा यात्री स्टीमर भी वहां नहीं आना चाहते हैं, परन्तु इस मामले में जनता की रुचि होने के कारण हमने नई जांच करने को कहा है।

श्री तिरुमल राव : हमें बताया गया है कि वहां लार्ड और लेडी विलिंगडन नामक दो ड्रेजर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस मानदण्ड के आधार पर इनका लिंग निर्धारित किया गया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

+
*581. **श्री गाडलिंगन गौड :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1968 के साप्ताहिक 'आर्गनाइजर' में

नई दिल्ली स्थित अशोक होटल्स लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या समाचार में प्रबन्धकों के विरुद्ध अपव्यय, भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) होटल के प्रबंधकों ने उक्त रिपोर्ट में उठाये गये मामलों की जांच की है, और जहां कहीं आवश्यक हुआ है उपचारी कार्यवाही की है ।

श्री गार्डिलिगन गौड : भूतपूर्व चेयरमैन, श्री हिम्मतसिंह को कितना मानदेय तथा अन्य सुविधायें दी गई थीं और अशोका होटल को कितनी हानि हुई थी ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : उनको कोई मानदेय नहीं दिया गया था क्योंकि यह एक अवैतनिक पद था परन्तु कुछ धन व्यय किया गया था । उनको निःशुल्क भोजन तथा आवास स्थान दिया गया था वह आमतौर पर बम्बई में रहते थे परन्तु चेयरमैन के नाते, अब वह चेयरमैन नहीं हैं, जब वह दिल्ली आते तो वह अशोका होटल में रहते तथा उनका वहां का व्यय वहन किया जाता था ।

श्री गार्डिलिगन गौड : उनको अन्य क्या सुविधायें दी गई थीं ।

डा० कर्ण सिंह : उनको निःशुल्क भोजन, आवास स्थान, लांडरी, टेलीफोन तथा समाचार-पत्र की सुविधायें दी जाती थीं ।

श्री गार्डिलिगन गौड : क्या भूतपूर्व चेयरमैन का रिवालविंग टावर के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव से कुछ सम्बन्ध था तथा इस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : रिवालविंग टावर बनाने का विचार भूतपूर्व चेयरमैन की कालावधि से पहले का है । संसद की समिति द्वारा कुछ टिप्पणियां किये जाने के कारण इसका काम रुक गया है । सरकार द्वारा मामले की जांच कराई गई थी और जांच प्रतिवेदन दो अथवा तीन सप्ताह पूर्व हमें प्राप्त हुआ है । हम प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं और मैं टावर के बारे में यथासम्भव शीघ्र निर्णय लेने के लिये उत्सुक हूं ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the expenditure involved on the construction of the proposed revolving tower and the income that will accrue on its construction and also its necessity for a poor country like India ?

Dr. Karan Singh : The total revised cost involved on its construction is Rs. 47 lakhs. Out of this 8 lakh and 37 thousand rupees have already been spent. The revolving equipment is ready in Japan. We have to bring that equipment here and thirty lakhs of rupees will be spent before it is completed.

Shri Bibhuti Mishra : What will be its income ?

Dr. Karan Singh : Our income will increase if Hon. Member takes his food there.

Shri Bibhuti Mishra : Some assessment must have been made about the increase in income when he thought of constructing it. So much foreign exchange has been spent on it. Has no assessment been made about the possible increase in income ?

Dr. Karan Singh : It will be a restaurant. We want to serve tasty food there and as this restaurant will revolve we hope that many people will visit that restaurant. It will be an attraction that will attract the people. As much people will take their food there as much will be our income. It is difficult to say anything at this time.

श्री स० मो० बनर्जी : रिवालविंग टावर लगाने के अतिरिक्त वह इसकी तुलना ओबराय तथा स्काईलार्क के साथ करना चाहते हैं। क्या यह सच है कि 'अंकटाड' सम्मेलन के दौरान यहां पर जो एक बड़ा सम्मेलन कमरा बनाया गया था वह अभी खाली पड़ा है और उसको कोई किराये पर नहीं लेता क्योंकि उसका एक दिन का किराया बहुत अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस हाल कमरे की देख रेख पर जो निरन्तर व्यय आ रहा है उसको किस प्रकार रोका जायेगा और क्या उसका किराया कम किया जायेगा ताकि इस कमरे में सम्मेलन किये जा सकें।

डा० कर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि यह सुन्दर हाल खाली पड़ा है। वास्तव में पिछले रात मैंने वहां पर तीन घण्टे शास्त्रीय संगीत सुनने में लगाये। यह सम्मेलन के लिए हाल दिल्ली में सबसे सुन्दर हाल रूप है। इसको हाल ही में भूगोलज्ञ सम्मेलन के लिए प्रयोग किया गया था। तीन दिन निरन्तर वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। इससे राजधानी में एक अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था हो गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : किराया घटाने के बारे में क्या विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि हाल का ठीक किराया क्या है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि इसका प्रयोग किया जा रहा है और यह आय का एक साधन है क्योंकि हमें आशा है कि भविष्य में भी यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इसमें यह बताया गया था कि इस होटल में केवल 25 प्रतिशत स्थान भरा रहता है। पिछले प्रश्न के उत्तर में कुछ अधिक आंकड़े बताये गये थे। परन्तु वह असंतोषजनक थे। इस होटल में इतना कम स्थान भरा जाने के क्या कारण हैं। क्या यह अधिक प्रशुल्क दर अथवा कुछ अन्य कारण से है ?

डा० कर्ण सिंह : नवम्बर के प्रथम सप्ताह में 56 प्रतिशत स्थान भरा हुआ था। जैसा मैंने सभा में पहले कहा कि हम अशोका होटल में इस प्रकार स्थान भरे जाने से सन्तुष्ट नहीं है और प्रत्येक प्रकार से इसमें सुधार करने के लिये नये प्रबन्धक सक्रिय कार्यवाही कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आगामी 6 तथा 8 महीनों में इसमें सुधार होगा।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने कहा कि चेयरमैन को यहां पर निःशुल्क भोजन तथा आवास स्थान दिया जाता है। क्या मैं यह समझ लूं कि उनको केवल उसी दिन के लिए कमरा दिया जाता था जब वह यहां होते थे अथवा उनके लिये वर्ष में 365 दिन कमरा आरक्षित रखा जाता था।

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही 44 प्रतिशत कमरे खाली हैं।

श्री रा० बरुआ : रिवालविंग टावर पर उतना धन व्यय करने के पश्चात् इसका निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है, अब कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह किस प्रकार सम्भव है कि सरकार ने बिना पूरी योजना के काम शुरू कर दिया था। काम बन्द कर देने के फलस्वरूप कितनी हानि हुई ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा परियोजना पूर्ण थी। परन्तु संसद की समिति द्वारा कुछ सिफारिशें किये जाने तथा कुछ टिप्पणियां किये जाने के कारण काम रोक दिया गया था। हमने सोचा आगे काम करने से पूर्व हमें इसकी पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। परन्तु अब रिपोर्ट मिल गई है और हम सक्रिय रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम पुनः काम आरम्भ कर देंगे।

श्री म० ला० सोंधी : भूतपूर्व चेयरमैन की कालावधि में वे बिल बढ़ गये थे जिनका भुगतान नहीं हुआ था और महंगी 'कन्सलटैन्सी सर्विसेस' क्रय की गई थी और श्रम सम्बन्ध बिगड़ गये थे। क्या माननीय मंत्री इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि प्रशासन के इन अत्यावश्यक पहलुओं के लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और क्या उन्होंने नये चेयरमैन के लिए कुछ मार्ग-दर्शन सिद्धान्त बनाये हैं ताकि पिछले चेयरमैन द्वारा की गई गम्भीर भूलों को रोका जा सके ?

डा० कर्ण सिंह : होटल में विद्यमान सभी त्रुटियों की नये प्रबन्ध द्वारा जांच की जा रही है चाहे उन त्रुटियों का पिछले चेयरमैन के समय में पता लगा हो अथवा चाहे उससे पूर्व हम उनको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैसूर में राजपथ

*571. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की दशा सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी; और

(ख) उस वर्ष इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियत किया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 71 कार्य जिनकी अनुमानित लागत 1.68 करोड़ रुपये है प्रगति पर हैं। इनके अलावा 4 नये कार्य जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपये है सन् 1966-67 में मंजूर किये गये।

(ख) उस वर्ष मैसूर राज्य को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के सुधार के लिये 34.83 लाख रुपये की राशि दी गई।

दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग

*577. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी स्वायत्तता के प्रश्न को लेकर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आसाम के पुनर्गठन के बारे में हाल में लिए गए निर्णय के पश्चात् स्वायत्तता की मांग जोर पकड़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या लोगों ने इस प्रश्न को लेकर आन्दोलन शुरू कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). अक्तूबर 1966 में कुछ शिष्ट-मंडल प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने पटास्कर आयोग द्वारा असम के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सिफारिश किये आधारों पर दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये स्वायत्तता के प्रश्न को उठाया था। प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को तो समझा किन्तु सुझाव को उपयोगी नहीं माना। इस क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं में स्वायत्तता की मांग कभी-कभी की जाती है, किन्तु इस मामले में सरकार के विचार पहले जैसे ही हैं।

Amendment to Motor Vehicles Act Regarding Number Plates on Vehicles

*578. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Dr. Sbushila Nayar :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 288 on the 2nd August, 1968 and state :

(a) whether the question of making necessary amendment in the present Motor Vehicles Act regarding the number plates on motor vehicles has been considered ;

(b) if so, the details regarding the proposed amendments ; and

(c) if not, the reasons for the delay and the date by which the Act is likely to be amended in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The matter is still under consideration as the views of the State Governments have to be taken into account and it also requires inter-Departmental consultations.

एयर इण्डिया

*579. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति थे और वह बोर्ड कितने समय तक काम करता रहा ;

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, इस कम्पनी का अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध-निदेशक कौन है, उन्हें कब नियुक्त किया गया था और उनकी पदावधि तथा सेवा शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस निगम की अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की कमी, आग अथवा ऐसे अन्य किन्हीं कारणों से कितनी हानि हुई है और क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला था ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). मैं लोक सभा-पटल पर एक विवरण रख रहा हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2562/68]

(ग) यदि कोई अनियमितताएं इत्यादि होती हैं तो वे लेखा परीक्षा के दौरान नोट की जाती हैं तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया जाता है । प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध वार्षिक लेखों के साथ प्रतिवर्ष सभा-पटल पर रखी जाती है ।

Delhi Transport Undertaking

*580. **Shri T. P. Shah : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the amount received by the Delhi Transport Undertaking by way of fare from the private buses plying on the various routes under the new scheme during the period from 1st July to 30th September, 1968 and the amount paid to the owners of those buses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : During the period from 1st July, 1968 to 30th September, 1968, an amount of Rs. 20.46 lakhs was received as sale proceeds of tickets issued in the private buses and owners of these buses were paid an amount of Rs. 19.80 lakhs.

C. B. I. Investigations Against Political Leaders

*582. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the particulars of the political leaders against whom investigations have been made by the Central Bureau of Investigation during the last three year ; and

(b) the details of the allegations made against them and the steps taken by Government on the conclusions of the investigation made by C. B. I.?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) 3 M.L.As., including 1 Chief Minister, 6 Members of Parliament, 1 ex-Member of Parliament, 4 Municipal Councillors and 1 Member of a Pradesh Committee of a political party, among others, figured in 13 cases investigated by the Central Bureau of Investigation during the past 3 years.

(b) The allegations related to misappropriation of money/gold, cheating, breach of trust, sale of car in contravention of the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, acceptance of illegal gratification, misuse of import licences, etc. 3 of these cases could not be substantiated, 1 ended in acquittal, 2 are pending in Court, 3 ended in conviction, 2 were dropped for want of evidence, 1 is under enquiry and in 1 case charge-sheet is proposed to be filed in court.

Closure of Delhi University and Polytechnic Institutes of Rajasthan

*583. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi University and the Polytechnic Institutes of Rajasthan were closed recently for some time ; and

(b) if so, the reasons therefor and the remedial steps taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). In August 1968, the teaching work in Delhi University was suspended for 10 days. This was done by the Vice-Chancellor in order to enable the College Principals and the University authorities to discuss certain important matters regarding the system of examination

and promotion in colleges, reorganisation of college Councils, appointment of Joint Consultative Committees, reorganisation of the Proctorial system, etc.

2. Information in respect of the Polytechnic Institutes of Rajasthan is being collected from the State Government and the same will be laid on the Table of the House in due course.

मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन

*584. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों पर कार्य की प्रगति रुक गई है, क्योंकि परियोजनाओं के विस्तार और उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन अभी तक किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी नहीं । इन दो परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है और निर्णय कर लिया गया है । साधनों के उपलब्धता के प्रकाश में परियोजना के लिये धन की व्यवस्था वार्षिक आधार पर की जा रही है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता

*585. **श्री रा० को० अमीन :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये इस बीच सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है कि उसमें 4 के बजाय 6 जहाज प्रतिवर्ष बनने लगें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). शिपयार्ड की कार्य क्षमता और उसकी उत्पादन शक्ति सुधारने के लिये अन्य बातों के साथ, उपाय सुझाने के लिये जो तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी, उसने सभी सम्बन्धित मुख्य बातों पर विस्तृत जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि शिपयार्ड के एकीकरण विकास के लिये 10 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च का कार्यक्रम बनाया जाय ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान समय में प्रत्येक 12,500 डी० डब्लू० टी० भार के 2 से 3 जहाज निर्माण करने की उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष 18,000 डी० डब्लू० टी० भार के 6 जहाज की वृद्धि के लक्ष्य से शिपयार्ड का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करना शामिल है।

विकास कार्यक्रम के मुख्य आकार निम्न प्रकार हैं :

नई मशीनरी और उपकरण की प्राप्ति के साथ हल-शाप में नई सहूलियतें देना।

पूर्व निर्मित खाड़ी का विस्तार और नई क्रेन की स्थापना।

निर्माण वर्थ में क्रेन के लिये सहूलियतें देने में सुधार।

18,000 डी० डब्लू० टी० भार क्षमता के जहाज रखने के लिये एक डाक का निर्माण करना।

घाट बनाने और दूसरे सहायक सिविल कार्यों के लिये अतिरिक्त क्रेन स्थापन सुविधा की व्यवस्था करना।

कार्यक्रम की जांच की गई है और जैसे वांछनीय है शिपयार्ड ने हाल ही में कार्यक्रम पर एक सम्भावना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। तब तक सरकार ने कुछ कार्यों के कार्यान्वयन के लिये और कुछ मशीन और उपकरण क्रेन के सहित तुरन्त आवश्यक मद को अर्जन के लिये मंजूरी दे दी गई है।

Extension of I.A.C. Services

*586. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared to further extend the Indian Airlines Services in different parts of the country ;

(b) if so, the outlines thereof : and

(c) when it is expected to be finalised ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is no immediate proposal with the Indian Airlines to further extend their services to different parts of the country, but the question of extending services is periodically kept under review.

(b) and (c). Do not arise.

Use of Hindi in Official Work

*587. **Shri Suraj Bhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken by Government during the last three months to promote the use of Hindi in official work ;

(b) the extent to which Hindi has begun to be used in the U.P.S.C. and the Election Commission ; and

(c) the steps being taken by Government for the promotion of the use of Hindi during the next year ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Subsequent to the issue of administrative instructions for implementation of the various provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, in July, 1968, a Senior Officer of the rank of Joint Secretary has been made responsible in each Ministry/Department for ensuring implementation of the same. Quarterly progress reports have also been prescribed to be furnished by each Ministry/Department to the Ministry of Home Affairs where these are scrutinised and follow up action taken where necessary.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2563/68.]**

(c) Steps will be taken to implement fully the programmes already chalked out for the current financial year. Further steps to be adopted next year have yet to be finalised.

Discrimination against Delhi Administration

*588. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the resolution in the meeting of the Central Executive Committee of the Bhartiya Jana Sangh held on the 7th and 8th September, 1968, at Indore wherein the Central Government have been charged with showing attitude of discrimination to the Delhi Administration and the Municipal Corporation of Delhi administered by the Bhartiya Jana Sangh ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. Government's attention has been drawn to the resolution.

(b) There is no such discrimination.

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

*589. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कम्पनी लेखा परीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि ग्राहकों को होटल में कमरे देने से इन्कार किया गया है जबकि होटल में कमरे उपलब्ध थे;

(ख) क्या अशोक होटल्स के प्रबन्धकों ने उपरोक्त प्रकार की किन्हीं घटनाओं का पता लगाया था; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को न होने देने के लिये प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). लेखा परीक्षा के

दौरान, सरकारी लेखा-परीक्षकों तथा कम्पनी-लेखा-परीक्षकों, दोनों ने होटल के द्वारा अतिथियों को उस अवधि के दौरान जबकि कमरे खाली पाये गये, इन्कार किये जाने के मामलों के बारे में प्रश्न उठाये। इस सम्बन्ध में होटल के प्रबन्धकों द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण दिया गया और लेखा-परीक्षकों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया । न तो कम्पनी के लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में और न वाणिज्यिक-लेखा-परीक्षा के निदेशक की टिप्पणियों में ही इस मामले के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

आसाम में स्वायत्त-शासी पहाड़ी राज्य के बारे में सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन की प्रतिक्रिया

*590. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में स्वायत्त-शासी पहाड़ी राज्य बनाने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय पर सर्व-दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या किसी राज्य के अन्दर एक उपराज्य बनाना भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सर्व-दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने वर्तमान असम राज्य में एक स्वायत्त-शासी राज्य होने की योजना का निष्पक्ष परीक्षण करने का निश्चय किया है। संविधान के वर्तमान उपबन्ध असम में एक स्वायत्त-शासी राज्य के निर्माण का अधिकार नहीं देते हैं। अतः प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये संसद् को अधिकार देने के लिये संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पेश करने का सुझाव दिया गया है।

उड़ीसा में पर्यटक केन्द्र

*591. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) उन स्थानों पर पर्यटकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और भुवनेश्वर, चिलका तथा अन्य पर्यटक महत्व के स्थानों पर सुविधाओं की क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1968-69 और चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन विकास का क्या कार्यक्रम है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा में वे पर्यटन केन्द्र जहां केन्द्रीय सरकार के द्वारा अथवा उसकी सहायता से सुविधाएं प्रदान की गई हैं, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, रूरकेला तथा रम्भा (चिल्का लेक) हैं।

(ख) इन स्थानों पर निम्नलिखित पर्यटक सुविधाएं प्रदान की गई हैं :

1. पर्यटक बंगला (श्रेणी II), पुरी ।
2. पर्यटक बंगले (श्रेणी I व श्रेणी II), भुवनेश्वर ।
3. पर्यटक बंगले (श्रेणी I व श्रेणी II), कोणार्क ।
4. पर्यटक बंगला (श्रेणी II), रम्भा (पूरा किया जा रहा है) ।
5. पर्यटक ब्यूरो, रूरकेला, पुरी, भुवनेश्वर तथा हीराकुद ।

(ग) 1968-69 के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित पर्यटक स्कीमें प्रारम्भ की जा रही हैं:

1. रम्भा में पर्यटक बंगला (श्रेणी II) का पूरा किया जाना ।
2. पुरी, भुवनेश्वर तथा कोणार्क में पर्यटक बंगलों (श्रेणी II) का विस्तार ।
3. चिल्का लेक पर मनोरंजन सुविधाएं ।

जहां तक उन स्कीमों का सम्बन्ध है जिनके चौथी योजना की अवधि में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है, फिलहाल कोई निश्चित संकेत दे सकना सम्भव नहीं है क्योंकि इन स्कीमों पर अभी विचार हो रहा है ।

*592. [सदस्य द्वारा वापस लिया गया] ।

Leakage of Budget by Minister

*593. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any information during the last five years to the effect that the Minister of State in the Ministry of Finance or any other Minister had leaked out the Budget ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is a fact that Government have conducted an investigation through the Central Bureau of Investigation or any other Police Organisation in this regard ; and

(d) if so, the details regarding its report and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d). No information has been received in the Ministry of Home Affairs in relation to an alleged Budget leakage involving and Minister of the Government of India. No inquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation on any such complaint.

दिल्ली-देहरादून विमान सेवा

*594. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में एक "फ्लाइंग क्लब" बनाया गया है और दिल्ली और देहरादून के बीच नियमित रूप से विमान सेवा चालू करने की मांग की गई है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा, पर्यटन, वाणिज्य और औद्योगिक विकास की दृष्टि से दिल्ली-देहरादून विमान सेवा की मांग न्यायोचित है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विमान मार्ग के पांचवें दशक के आरम्भ में निर्णय किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो यह सेवा चालू न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क), (ख) और (घ). जहां तक सरकार की जानकारी है देहरादून में अभी तक कोई "फ्लाइंग क्लब" कार्य नहीं कर रही है। देहरादून में एक हवाई अड्डे की मांगें विभिन्न हितों से, जिनमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, समय-समय पर आती रही हैं। इनकी इण्डियन एयरलाइन्स के साथ परामर्शपूर्वक जांच की गई है, तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि देहरादून भूमि परिवहन के अच्छे तथा सुविधाजनक साधनों द्वारा भली-भांति जुड़ा हुआ है, तथा वहां इतने विमान यात्री मिलने की सम्भावना नहीं है कि उनसे नियमित विमान सेवा के उद्देश्य से एक हवाई अड्डे के निर्माण का औचित्य सिद्ध हो सके।

(ग) जी, नहीं।

मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)

*595. **श्री मधु लिमये**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय तुरन्त स्थापित करने के बारे में बढ़ते हुए आन्दोलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जबकि उत्तर बिहार की जनसंख्या दक्षिण बिहार की जनसंख्या के डेढ़ गुना से भी अधिक है, उत्तर बिहार में केवल एक विश्वविद्यालय है, जबकि दक्षिण बिहार में चार विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने के विरुद्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) सरकार को ऐसे किसी आन्दोलन की जानकारी नहीं है। तथापि, कुछ क्षेत्रों से विश्वविद्यालय के लिये मांग की गई है।

(ख) राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना पूरे राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई है और न कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच आबादी के वितरण के अनुसार।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने मिथिला/दरभंगा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की

थी, जिसके अन्तर्गत विद्यमान के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और नया बहु-संकाय विश्वविद्यालय स्वायत्त स्कन्ध हो सकते हैं। आयोग ने राज्य सरकार की टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय किया, जिनकी अभी प्रतीक्षा है।

भारतीय जहाजों के लिये माल

*596. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय माल तथा यात्री जहाजों को अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य महाद्वीपीय देशों से वापस आते समय पर्याप्त मात्रा में माल तथा पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत में आयात किये जाने वाले माल का अधिकांश भाग भारतीय जहाजों में लाया जाये तथा भारतीय जहाजों में और अधिक यात्री यात्रा करें, क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे महाद्वीपीय देशों के बीच कोई यात्री वाहक जहाज नहीं चल रहा है। अतः जहां तक यात्रियों के यातायात का सम्बन्ध है, प्रश्न ही नहीं उठता है।

माल यातायात के बारे में अब तक अनेमी पोत सम्बन्धित हैं। क्षमता की कम उपयोगिता का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वे थोक माल को पूरे जहाज का भार ले जाते हैं। जहां तक लाइनर जहाजों का सम्बन्ध है सन् 1967 में जैसी स्थिति थी वह लोक सभा को तारांकित प्रश्न संख्या 1657 जिसका उत्तर 8 अगस्त, 1967 को दिया गया। उसके उत्तर में बताया गया है कि वर्तमान स्थिति के बारे में भारतीय जहाज कम्पनियों को संगत आंकड़े देने के लिये कहा गया है जिसके प्राप्त होने पर अपेक्षित सूचना सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्द महासागर में द्वीप

*597. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में कई सौ भारतीय द्वीप हैं;

(ख) क्या इनमें कुछ बड़े और निवास योग्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी उचित देखभाल के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान्, कुछ सौ द्वीप हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) नियत-कालिक नौसैनिक और पुलिस गश्तों, जहां कहीं आवश्यक है, के अतिरिक्त स्थानीय सिविल और पुलिस प्रशासनिक प्रबन्धों द्वारा इन द्वीपों की आवश्यक निगरानी रखी जाती है।

इण्डिया आफिस लायब्रेरी लन्दन को अपने अधिकार में लेना

*598. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री स० अ० अगाड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन को अपने अधिकार में लेने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य में अभी क्या कठिनाइयां हैं और उनका समाधान किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) उसे अपने अधिकार में लेने में अभी कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत सरकार, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन के मामले को तय करने के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं। प्रस्तावित न्यायाधिकरण के विषयों पर सभी सम्बन्धित व्यक्ति अभी तक राजी नहीं हुये हैं। भारत सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा लागू की जाने वाली कानूनी पद्धति के सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान सरकार ने लागू हो सकने वाली कानूनी पद्धति के सम्बन्ध में ब्रिटेन सरकार को उत्तर भेज दिया है, जिसकी इस समय जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). इस मामले पर आगे कार्रवाई मुख्यत: पाकिस्तान के उत्तर पर निर्भर करती है, जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है।

इस प्रकार के मामले में यह कहना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा।

Grants to Different Universities

*599. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grants given to different Universities in the country during the year 1967-68 and the number of students in each University ;

(b) whether it is a fact that massive grants are being given to many Universities even if the number of students is less there ; and

(c) if so, the reason why Government do not re-examine the rules for giving grants on the basis of number of students ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement showing the grants paid by the University Grants Commission to the different Universities and the number of students in each University is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-2564/68]**

(b) and (c). Except in a few schemes, where assistance is related to the enrolment, the allocation of grants depends on a number of factors such as the stage of development of the University, its needs, and the programmes to be undertaken by it.

कलकत्ता पत्तन में किंग जार्ज विस्तार

*600. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री भोलानाथ मास्टर :**
श्री एस० आर० दामानी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों और बन्दरगाहों की अन्तर्राष्ट्रीय एसोसिएशन के विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में कलकत्ता पत्तन देखने गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस दल ने किंग जार्ज की गोदी के विस्तार का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से; और

(घ) उपरोक्त सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2565/68]

सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक का त्याग पत्र

3493. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के निदेशक श्री एम० एम० सूरी ने किन कारणों से अपने पद से त्याग-पत्र दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सेंट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी से इस्तीफे का कोई पत्र नहीं मिला है। श्री सूरी ने जो रेल मंत्रालय के स्थायी अधिकारी हैं, 22-7-68 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के उपाध्यक्ष को यह बताते हुए एक पत्र लिखा था कि 15-12-68 से आगे वह सी० एस० आई० आर० की सेवा में और अधिक रहने के लिये इच्छुक नहीं हैं और यह भी लिखा था कि तदनुसार वह रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को सूचित कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या

3494. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल में जिलेवार, नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल में जिलावार, नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1968 में 6 वर्ष से 11 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में से जिलावार कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जनगणना संगठन द्वारा बनाई गई योजना (प्रोजेक्शन) के अनुसार पहली मार्च, 1968 को पश्चिम बंगाल की देहाती और शहरी जनसंख्या क्रमशः 1.10 लाख और 3.12 लाख थी। जिलावार योजनायें नहीं बनाई गई हैं।

(ख) और (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से वापिस बुलाने की योजना

3495. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद कुछ सर्वोच्च उत्प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से वापिस स्वदेश बुलाने की एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) और उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन विषयों के विशेषज्ञ हैं जिन्हें बुलाने के लिये सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया है;

(ग) यदि वे वैज्ञानिक वापिस स्वदेश आने के लिये सहमत होते हैं तो उन वैज्ञानिकों को किस प्रकार की अनुसन्धान की सुविधाएं देने का विचार है; और

(घ) प्रतिभाशाली लोगों के विदेश गमन को रोकने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों को दी जाने वाली अतिरिक्त अनुसन्धान सुविधाओं पर कितनी लागत आयेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों का नेशनल रजिस्टर रखती है और वैज्ञानिकों का पूल संचालित करती है, विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों की उच्च योग्यताओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने के लिए हाल ही में कोशिश की है ताकि वह यह जान सकें कि उन्हें किस प्रकार की सुविधाओं तथा सहायता की अपेक्षा है। यह सर्वेक्षण अभी प्रारम्भिक स्थितियों में है। उत्तर प्राप्त होने के बाद आगे इस समस्या की जांच करना सम्भव हो सकेगा।

स्ड़क

मैसूर राज्य परिवहन निगम

3496. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी;

(ख) क्या मैसूर राज्य के पुनर्गठन के बाद अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और यह सूची कब तक पूरी हो जायेगी;

(घ) ऐसे सभी अधिकारियों की सूची को अन्तिम रूप देने वाले सक्षम प्राधिकार का नाम क्या है; और

(ङ) जब इस वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो क्या अधिकारियों को उनके वेतन में मिलने वाले लाभ भूतलक्षी प्रभाव से मिलेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) निगम की स्थापना पहली अगस्त, 1961 को की गई थी।

(ख) 1-11-1956 को जैसी स्थिति थी उसकी वरिष्ठता-सूची निगम के केवल उन कर्मचारियों को तैयार की जानी थी जो 31-10-1956 को परिवहन विभागों में सरकारी कर्मचारी थे। इनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा आरम्भ में प्रकाशित वरिष्ठता-सूचियां मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा खंडित कर दी गई थीं और राज्य सरकार को सन् 1966 में एक संशोधित अनन्तिम वरिष्ठता-सूची प्रकाशित करनी पड़ी थी। संशोधित सूची के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया है और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। केन्द्रीय सरकार के निर्णय राज्य सरकार को निकट भविष्य में सूचित किये जाने की आशा है। राज्य सरकार के लिए अन्तिम वरिष्ठता-सूची प्रकाशित करना तत्पश्चात् ही सम्भव होगा।

(घ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन 1-11-1956 को सड़क परिवहन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की अन्तिम वरिष्ठता-सूची राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के निर्णयों के अनुसार प्रकाशित करनी है।

(ङ) अन्तिम वरिष्ठता-सूची के प्रकाशित से पूर्व की गई पदोन्नतियों, पुष्टियों या पदावनतियों का पुनरावलोकन करना होगा और उन्हें उस सूची के अनुरूप लाना पड़ेगा। ऐसे पुनरीक्षण के पश्चात् परिणामी मामले ऐसे निदेशों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार दे, नियमों के अनुसार विनियमित होंगे।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के लिये स्नातक इंजीनियर (मेकैनिकल) प्रशिक्षुओं का चयन

3497. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष कितने नये

स्नातक इंजीनियर (मेकैनिकल) प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती किये जाते हैं; और वर्ष 1968 में वास्तव में कितने प्रशिक्षु लिये गये;

(ख) ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की अर्हताएं क्या होनी चाहिए; प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है, कितनी राशि छात्रवृत्तियों के रूप में दी जाती है और चयन की प्रक्रिया क्या है (परीक्षा द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा);

(ग) वर्ष 1969 की आगामी परीक्षा/चयन की तिथियां क्या हैं और इन परीक्षाओं/चयन का प्रचार करने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिलने के अवसर कितने हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया ने 1966 में 30 इंजीनियरी ग्रेजुएट भर्ती किये। 1967 तथा 1968 में कोई भर्ती नहीं की गई।

इंडियन एयरलाइन्स ने 1966 में 10 और 1967 में 13 ग्रेजुएट इंजीनियर भर्ती किये।

(ख)	**एयर इंडिया**	**इंडियन एयरलाइन्स**
1. निर्धारित योग्यता	इलेक्ट्रिकल/मेकैनिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स/टेली-कम्यूनिकेशन्स/ एविएशन में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी डिग्री।	इलेक्ट्रिकल/मेकैनिकल/ एयरोनौटिकल/इलेक्ट्रानिक्स में प्रथम श्रेणी की इंजीनीयरी डिग्री।
2. प्रशिक्षण की अवधि	2 वर्ष	3 वर्ष
3. वजीफे	पहले वर्ष के दौरान 450/-रुपये प्रति मास तथा दूसरे वर्ष के दौरान 500/-रुपये प्रति मास।	पहले वर्ष के दौरान 450/-रुपये प्रति मास तथा बाद के वर्षों में 500/-रुपये प्रति मास।
4. चुनाव का तरीका	चुनाव बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू के आधार पर।	चुनाव बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू के आधार पर।

(ग) एयर इंडिया में 1969 में भर्ती के प्रश्न को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पदों का प्रमुख समाचार-पत्रों में अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दिया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स में फरवरी/मार्च, 1969 में चुनाव किये जाने की आशा है। पदों का समस्त प्रमुख समाचार-पत्रों में अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दिया जाएगा।

(घ) एयर इंडिया में प्रशिक्षार्थी अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर जूनियर तकनीकी अफसर/इंजीनियर ग्रेड III के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षार्थी अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तकनीकी अफसरों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

पत्तनों पर प्रशिक्षुओं के रूप में स्नातक इंजीनियर (मेकैनिकल) की भर्ती

3498. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, विशाखापत्तनम तथा अन्य पत्तनों में प्रशिक्षण के लिये प्रतिवर्ष कितने नये स्नातक इंजीनियर (मेकैनिकल) प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती किये जाते हैं और वर्ष 1968 में वास्तव में कितने प्रशिक्षु लिये गये;

(ख) ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की अर्हतायें क्या होनी चाहिये, प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है, कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और चयन की प्रक्रिया क्या है (परीक्षा द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा);

(ग) वर्ष 1969 की आगामी परीक्षा चयन की तिथियां क्या हैं और इन परीक्षाओं के चयन के लिये प्रचार करने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) विभिन्न पत्तन आयोगों/पत्तन न्यासों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिलने के अवसर कितने हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय के मेकैनिकल इंजीनियरों के लिए प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के अन्तर्गत बंबई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन पत्तन प्राधिकारी स्नातक इंजीनियर (मेकैनिकल) को अपने वर्कशाप में प्रेक्टिकल प्रशिक्षण की सुविधाएं देते हैं।

इंजीनियरों की संख्या जो प्रत्येक वर्ष भर्ती की जाती है वह संख्या कलकत्ता में आठ, बंबई में दो, मद्रास में एक और कोचीन में चार है। 1968 में जो वास्तविक संख्या ली गई थी वे कलकत्ता में 37 (इसमें बेरोजगार इंजीनियरों के लिए सरकार की विशेष स्कीम के अन्तर्गत लिए गये 29 अतिरिक्त स्नातक भी शामिल हैं, बंबई में एक, मद्रास में एक और कोचीन में चार थे।

प्रशिक्षणार्थियों को 250 रु० प्रति माह छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

चयन शिक्षा मंत्रालय के चार क्षेत्रिक अधिकारियों द्वारा गठित समितियों द्वारा, बंबई, कलकत्ता, मद्रास व कानपुर में किया जाता है।

प्रशिक्षणार्थी की अपेक्षित अर्हताएं मेकैनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या उसकी समकक्ष अर्हताएं हैं।

(ग) सन् 1969 के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1969 के जून-जुलाई में किया जायेगा। मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापनों तथा समस्त इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक संस्थानों के द्वारा शिक्षा मंत्रालय, योजना के लिए यथेष्ट जानकारी देती है।

(घ) पत्तन प्राधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को संविनयन की कोई प्रत्याभूति नहीं देती है परन्तु पत्तन प्राधिकारियों द्वारा जब भी विज्ञापन निकलते हैं वे उपयुक्त पद के लिए प्रार्थना-पत्र देने के लिए मुक्त हैं।

आई० सी० एस०, आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० पदालि के अधिकारी

3499. **श्री सिद्दय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1968 को मैसूर, मद्रास, आन्ध्र तथा केरल राज्यों में आई० सी० एस०, आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० पदालि के अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों की कितनी संख्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या उनके लिये सुरक्षित कोटे के अनुपात में है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2566/68]

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि राज्यवार। गत कुछ वर्षों में वे उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक भर्ती किये जाते हैं। उनमें से रंगरूटों की एक अनुपातिक संख्या आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास व मैसूर को भी आवंटित की जाती है।

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवायें

3500. **श्री सिद्दय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह सभा-पटल पर कब रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब तक प्राप्त सूचना विवरणों (अनुबन्ध I व II) में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2567/68]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती

3501. **श्री सिद्दय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये किसी राज्य सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है जैसा कि यार्डी ग्रुप ने सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकारों से केन्द्र में स्थापित उच्च शक्ति प्राप्त समिति जैसी समितियां बनाने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था और उनके उत्तरों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

3502. **श्री हेमराज :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने वर्ष 1963 से 1968 में अब तक क्या कार्य किया है;

(ख) इसकी सहायक संस्थायें कौन-कौन सी हैं तथा इसका उन पर कितना नियन्त्रण है;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी के प्रचार के लिये राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा स्वतन्त्र रूप में कार्य कर रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि समिति द्वारा किए जा रहे कार्य में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग रुकावट डाल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्र भाषा समिति वर्धा के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करने का है तथा हिन्दी के प्रचार के लिये उसे उचित सहायता देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रसंगाधीन अवधि में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने अपने सामान्य साहित्यिक कार्यकलाप और विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं का आयोजन जारी रखा। अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मेलन ने हिन्दी साहित्य की 47 पुस्तकें प्रकाशित कीं, 64 हिन्दी पुस्तकों के पुनःसंस्करण निकाले, अपनी अनुसंधान पत्रिका 'सम्मेलन पत्रिका' साहित्यिक मासिक पत्रिका 'माध्यम' और साप्ताहिक 'राष्ट्र भाषा संदेश' प्रकाशित किया। संग्रहालय ने 3,500 दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संकलन किया, उनमें से 11 का सम्पादन और प्रकाशन किया। सम्मेलन ने लगभग 28 हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी और समय-समय पर बहुत से साहित्यिक समारोहों का आयोजन किया।

(ख) सम्मेलन की कोई सहायक संस्थाएं नहीं हैं। किन्तु लगभग सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में ऐसी संस्थाएं हैं जो सम्मेलन की सदस्य चुनी गई हैं।

(ग) और (घ). सम्मेलन की नियमावली के अनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा समय-समय पर सम्मेलन की शासी निकाय द्वारा दिए गए निर्देश के अन्तर्गत अपना कार्य चलाने तथा उसके लिए क्रियाविधि निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र है। समिति और सम्मेलन के बीच मतभेद के बारे में हाल ही में कुछ रिपोर्टें थीं। ऐसा समझा जाता है कि इन मतभेदों को सद्भावनापूर्वक तय किया जा रहा है।

(ङ) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

Development of Places of Scenic Beauty in U. P.

3503. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop the places of scenic beauty of the Hill District of Uttar Pradesh to attract tourists there ;

(b) if so, the names of the places for the development of which programme is being formulated ;

(c) whether Government also propose to formulate a programme for the development of Dunagiri, Manila and Jourasi of Almora district which are places of scenic beauty ; and

(d) if so, the details thereof and the funds allocated in the Fourth Five Year Plan therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Proposals are under consideration for development of Kumaon and Garhwal areas in U. P. during the Fourth Plan.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

3504. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से वर्ष 1968 तक की अवधि में प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य से अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना

बतलाने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2568/68]

एयर इंडिया के कर्मचारियों को मुफ्त टिकट

3505. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के सब कर्मचारियों को वर्ष में एक टिकट मुफ्त मिलता है जिससे वह संसार के किसी भी ऐसे भाग में यात्रा कर सकते हैं जहां एयर इण्डिया के विमान जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का कितने कर्मचारियों ने लाभ उठाया तथा गत तीन वर्षों में वे किन-किन देशों में गये ;

(ग) यदि यह टिकट नियमित यात्रियों को दिये जाते तो अनुमानतः इनसे कितना धन प्राप्त होता ; और

(घ) यह रियायत देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया के समस्त स्थायी कर्मचारियों को कारपोरेशन के मार्गों पर स्थित किसी भी स्थान के लिये एक कैलेण्डर वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से पांच निःशुल्क अथवा रियायती यात्राओं का अधिकार होता है :—

नीचे दी गयी सेवा अवधि पूरा करने के पश्चात्	यात्रा (अंतर्राष्ट्रीय) किराये में रियायत (%)				यात्रा (देशीय-भारत के अन्दर) किराये में रियायत (%)				
	सं० 1	सं० 2	सं० 3	सं० 4	सं० 1	सं० 2	सं० 3	सं० 4	सं० 5
1 वर्ष	100	60	10	—	100	75	75	75	—
2 वर्ष	100	80	30	10	100	80	75	75	75
3 वर्ष	100	100	50	30	100	100	75	75	75
4 वर्ष	100	100	70	50	100	100	75	75	75
5 वर्ष	100	100	90	70	100	100	90	75	75
6 वर्ष और इससे आगे	100	100	90	90	100	100	90	90	75

अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशी सेक्टरों पर की जाने वाली ऐसी रियायती यात्राएं परस्पर अपवर्जक हैं, अर्थात् यदि कोई कर्मचारी किसी वर्ष अपनी सारी की सारी रियायती यात्राओं का देशी

सेक्टरों में उपयोग करता है तो उसे उसी वर्ष की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में किसी भी रियायती यात्रा का अधिकार नहीं होगा, इसके विपरीत यदि किसी कर्मचारी ने सारी रियायती यात्राओं का किसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में उपयोग कर लिया है तो उसे देशी सेक्टरों में किसी रियायती यात्रा का अधिकार नहीं होगा।

(ख) और (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इन रियायती यात्राओं की सुविधा सर्वथा तभी दी जाती है यदि भार व स्थान उपलब्ध हों, अर्थात् सब किराया देने वाले यात्रियों को स्थान दे देने के बाद ही इन रियायती यात्रियों को अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए कार्पोरेशन को इनके कारण होने वाली किसी प्रकार की आय विषयक हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) किसी हवाई कंपनी के कर्मचारियों को निःशुल्क अथवा रियायती यात्राओं की सुविधा प्रदान करने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसका संसार की सभी हवाई कंपनिया अनुसरण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था का संकल्प सं० 200 भी इसकी अनुमति प्रदान करता है।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

3506. **श्री बाबू राव पटेल:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में अशोक होटल लिमिटेड को कितना विशुद्ध लाभ हुआ ;

(ख) वर्ष 1967-68 के अन्त तक ग्राहकों की ओर कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) इन बकाया राशियों को इतना अधिक क्यों होने दिया गया तथा उन्हें वसूल क्यों नहीं किया गया ;

(घ) जिन ग्राहकों ने अशोक होटल की बकाया राशि देनी है उनमें से ज्यादा देनदार दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कितनी-कितनी राशि देनी है ;

(ङ) बीकन्स कन्सलटैन्ट्स के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उनकी सेवाओं के लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(च) सरकार की ओर ऋण की कितनी राशि बाकी है तथा उस पर कितना वार्षिक ब्याज देय है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 31.07 लाख रुपये।

(ख) 24.72 लाख रुपये।

(ग) 31-12-67 को कर्जदारों द्वारा देय राशि 16.64 लाख रुपये थी, तथा इसके बढ़कर 24.72 लाख रुपये हो जाने का मुख्य कारण अंकटाड सम्मेलन की अवधि में, जोकि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों के समय ही हुआ, व्यवसाय की अत्यधिक प्रचुरता थी। परन्तु इस राशि

में से 14.15 लाख रुपये की रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है। बकाया को कम करने तथा उसे आगे और बढ़ने से रोकने का एक सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) होटल के दस सर्वोच्च ग्राहकों के नाम तथा 31-3-68 और 31-10-68 को उनके नाम ऋणों की राशि नीचे दी गई है :

ग्राहकों के नाम	31-3-68	31-10-68
	(लाख रुपयों में)	
1. वाणिज्य मंत्रालय	2.89	2.82
2. विदेश मंत्रालय	2.14	0.89
3. आस्ट्रेलियन हाई कमीशन	1.29	0.03
4. मेसर्स एयर इण्डिया	0.26	0.10
5. मेसर्स इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन	0.42	0.07
6. मेसर्स ट्रेवल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	0.63	0.35
7. मेसर्स डिनर्स क्लब	0.54	0.05
8. मेसर्स सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स	0.44	0.10
9. मेसर्स अमेरिकन एक्सप्रेस	0.34	0.07
10. मेसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन	0.23	—

(ङ) मेसर्स बीकन्स लिमिटेड की रिपोर्ट पर जो कि हाल ही में प्राप्त हुई है होटल का प्रबन्धक-वर्ग विचार कर रहा है। जिन 15,000/- रुपयों के देने की सहमति हुई थी उनमें से उन्हें अब तक 9,500/-रुपये की राशि दी गई है।

(च) अद्यावधि सरकार से लिये गये ऋण की राशि 1,25,00,000/-रुपये है। 1968-69 के लिये इस राशि पर देय ब्याज की राशि 8,21,000/-रुपये है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को मुफ्त टिकट

3507. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सभी कर्मचारियों को भारत के किसी भी भाग में विमान यात्रा करने के लिये वर्ष में एक बार टिकट मुफ्त दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका लाभ कितने कर्मचारियों ने उठाया तथा उन्होंने गत वर्ष विमानों से किन-किन स्थानों की यात्रा की ;

(ग) यदि ये टिकट नियमित यात्रियों को बेच दिये जाते, तो उनसे लगभग कितनी राशि मिलती ; और

(घ) कारपोरेशन द्वारा इस विलास की सुविधा क्यों दी जाती है जबकि वह प्रति वर्ष हानि उठा रहा है तथा इसके एकाधिकार के कारण उसके विमानों में धन देकर टिकट प्राप्त करने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ रहती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) इण्डियन एयरलाइन्स के समस्त कर्मचारियों को जिन्होंने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली होती है, प्रति वर्ष कारपोरेशन के मार्गों पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच निम्नलिखित प्रकार से अधिकतम पांच निःशुल्क अथवा रियायती वापसी आयात्रों का अधिकार होता है ।

सेवा के पूरा होने के पश्चात्	कीमत में रियायत (प्रतिशत)				
	पहली यात्रा	दूसरी यात्रा	तीसरी यात्रा	चौथी यात्रा	पांचवीं यात्रा
पांच वर्ष से कम	100	100	75	75	75
पांच वर्ष	100	100	90	75	75
सात वर्ष या अधिक	100	100	90	90	75

(ख) से (घ). 1967-68 के दौरान कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों को 15,788 निःशुल्क तथा 9,693 रियायती यात्रा टिकट जारी किये थे । इन उड़ानों के गंतव्य स्थानों तथा उनकी लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । यह यात्रा टिकट तभी दिये जाते हैं यदि भार तथा स्थान उपलब्ध हों, अर्थात् किराया देने वाले यातायात को पहले स्थान दे देने के बाद ही इनकी बारी आती है । इसलिये इनके कारण कारपोरेशन को किसी प्रकार की आय की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता । वास्तव में अपने कर्मचारियों को इन रियायती यात्रा टिकटों के जारी करने से कारपोरेशन को लगभग पांच लाख रुपये की आय हुई जो अन्यथा नहीं होती ।

दिल्ली में विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

3508. **श्री लताफत अली खां** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कलक्टर ने वर्ष 1958 से अब तक निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/नजरबन्द किया :

(एक) आयकर विभाग दिल्ली ;

(दो) दिल्ली के तहसीलदारों (तकावी ऋण);

(तीन) दिल्ली प्रशासन ;

(चार) दिल्ली समाज कल्याण विभाग ;

(पांच) दिल्ली राहत पुनर्वास विभाग;

(छ) सम्पत्ति निदेशालय नई दिल्ली;

(सात) पुनर्वास वित्त प्रशासन, दिल्ली;

(आठ) पुनर्वास ऋणों, तकावी ऋणों तथा आय-कर ऋणों के बारे में अन्य राज्यों ; और

(नौ) बिक्री-कर विभाग ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस बारे में सम्पूर्ण सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि सभी अभिलेख सहज उपलब्ध नहीं हैं। शीघ्र उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2569/68]

शक्ति चालित स्टीमरों का निर्माण

3509. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाव-सेवा के लिये देश में शक्ति चालित स्टीमर बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) ऐसे पोतों की कुल कितनी आवश्यकता है तथा इसे देश में उत्पादन के जरिये किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे पोतों की समस्त आवश्यकता की सूचना जल्दी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें फेरियों की नियमन व स्थापना से संबंधित हैं। फिर भी देश में शिपबिल्डिंग यार्ड की ऐसे पोतों को बनाने की यथेष्ट क्षमता है।

Recognition to Schools in Hilly Districts of U. P.

3510. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the strict rules for according recognition to Middle Schools, High Schools and Intermediate Calleges being run by the poor public of hilly districts of U. P. ;

(b) if so, whether Government propose to adopt a liberal attitude for them as compared to plains with a view to spred education in the hilly districts ; and

(c) if so, the date by which this facility would be provided and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) to (c). The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh, and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों का बसाना

3511. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों के चयन तथा बसाने के सम्बन्ध में अब तक और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इन भूतपूर्व सैनिकों को त्रिपुरा में बसाने के क्या कारण हैं और क्या इसका एक मुख्य कारण सीमा क्षेत्र की सुरक्षा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

त्रिपुरा सरकार से प्राप्त स्थिति इस प्रकार है :

(क) भूतपूर्व सैनिकों से इस बीच 445 और आवेदन-पत्र प्राप्त हो गये हैं । इन आवेदकों को पुनः बसाने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या उनको अन्य पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत पहले भूमि अथवा अन्य लाभ तो नहीं दिये गये हैं । अब तक 372 व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को देखा जा चुका है तथा उनमें से 53 व्यक्तियों को पुनर्वास के योग्य पाया गया है ।

(ख) त्रिपुरा के उन भूतपूर्व सैनिकों को, (जिनकी संख्या 56 है) जिन्हें पुनर्वास के लिये पहले चुन लिया गया है, 26,400 रुपये के अनुदान दिये जा चुके हैं तथा उन्हें 1,23,600 रुपये के ऋण दिये जा रहे हैं ।

(ग) यह योजना भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा सीमा पर रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये बनाई गई है ।

त्रिपुरा में सड़क विकास

3512. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में अस्थाई अथवा अन्यथा सड़क विकास का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और सरकार की स्वीकृति के लिए पेश किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा उसमें सम्मिलित योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन से चतुर्थ योजना के लिए प्रस्तावों का जो मसौदा के रूप में प्राप्त हुआ है उसमें 998.62 लाख रुपये खर्च होगा, इस लागत का मुख्य विवरण निम्न प्रकार है :—

चालू योजनायें	**रुपये लाख में**
(क) सड़कें	526.05
(ख) स्थाई पुलों का निर्माण	11.36
	537.41
नई योजनायें	
(क) सड़कें	396.71
(ख) स्थाई पुलों का निर्माण	64.50
	461.21
कुल योग	998.62

चतुर्थ योजना के लिए खर्च वितरण को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही अलग-अलग योजनाओं का विस्तृत विवरण जाना जा सकता है ।

त्रिपुरा में सड़क विकास

3513. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री त्रिपुरा में सड़क विकास के बारे में 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष 1968-69 के सड़क विकास योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उन पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा क्या उन्हें पूरा करने के लिए कोई अनुपूरक मांगे रखी गई हैं, और यदि हां, तो कितनी राशि की ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Additional Judges in Madhya Pradesh High Court

3515. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of additional judges appointed during the last two years in the Madhya Pradesh High Court ; and

(b) the number of those whose appointments had been rejected in the past ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Four during the period from 1st December, 1966 to 30th November, 1968.

(b) One of these four had not been finally selected in the past because of his young age at that time.

तामिलनाडु में कुछ प्राचीन स्थानों का नियंत्रण

3516. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ प्राचीन स्थानों का नियंत्रण जो इस समय केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के अधीन हैं, दिए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके लिये तामिलनाडु सरकार ने क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने (i) श्री जलकांतेश्वर मंदिर, वेलोर फोर्ट, (ii) बृहदेश्वर स्वामी मंदिर, तंजौर और (iii) राज्य के ऐसे दूसरे मंदिरों को जो केन्द्र द्वारा रक्षित हैं तथा जिनमें पूजा होती है के हस्तान्तरित करने की मांग की थी ;

(ग) राज्य सरकार, जिसने अपना पुरातत्व विभाग स्थापित किया है, इन स्मारकों को नवीकरण और परिरक्षण के लिए लेना चाहती थी । जहां तक जलकांतेश्वर मंदिर का सम्बन्ध है, जिसमें पूजा नहीं होती है, इसके नियंत्रण के हस्तांतरण की मांग का मुख्य उद्देश्य उसमें मूर्ति स्थापित करना और पूजा शुरू करना प्रतीत होता है।

(घ) मद्रास राज्य के 59 केन्द्र संरक्षित स्मारकों के हस्तांतरण का मामला विचाराधीन है । जलकांतेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर स्वामी मंदिर के हस्तांतरण के लिए यह मंत्रालय सहमत नहीं हुआ है, क्योंकि वे सभी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं ।

प्राचीन स्मारकों की रक्षा

3517. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिये प्राचीन स्मारक को राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस तारीख से हस्तांतरित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख). सरकार का विचार कुछ केन्द्र सुरक्षित स्मारकों को सम्बन्धित राज्यों को सौंपने का है । प्रत्येक मामले में वास्तविक हस्तांतरण की तारीख राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

द्वारका (गुजरात) में प्राचीन मंदिरों का नवीकरण

3518. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग द्वारका, गुजरात में प्राचीन मंदिरों का नवीकरण करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ; और

(ग) इन मंदिरों के नवीकरण के मामले में कितनी राशि व्यय की जानी है तथा इसमें से कितनी राशि अभी व्यय की जानी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां। किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने मरम्मत के कार्य का जिम्मा लिया था न कि नवीकरण का।

(ख) मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है और अब भी चल रहा है।

(ग) मरम्मत के लिये 1,92,000 रुपयों के तखमीने की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु वास्तविक खर्च सामग्री की कीमत और मजदूरी के बढ़ जाने से इससे अधिक भी हो सकता है। 31 अक्तूबर, 1968 तक जो वास्तविक खर्च हुआ उसकी राशि 19,881/ रुपये है।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

3519. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के लघु उद्योगों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिये नियत धनराशि को अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाये जाने पर संतोष व्यक्त किया है ;

(ख) लघु उद्योगों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त लघु उद्योगों से सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत उसके प्रतिवेदन में निहित हैं जिसकी प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं। ये सिफारिशें आयोग को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में सहायता देने के इरादे से की गई हैं और इस अवस्था में सरकार द्वारा उन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आयोग ने इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत करनी हैं।

अन्तर्जातीय, अन्तर्प्रान्तीय तथा अन्तर्धर्मी विवाह

3520. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के राज्य मंत्री डा० चन्द्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से अन्तर्जातीय, अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्धर्मी विवाहों को बढ़ावा देने के लिये देशव्यापी आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत सरकार की मान्य नीति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मत के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 23 मार्च, 1968 को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह में अपना अभिभाषण देते हुये मंत्री ने मामले में केवल अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट की थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Lady Professors in Women's Polytechnic, Delhi

3521. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Lady Professors who resigned from the Women's Polytechnic, Delhi, during the last three years ;

(b) whether it is a fact that ladies who resigned have levelled charges that the Department had promoted Lady Teachers and Professors who were junior to them ; and

(c) if so, the action taken by the Department in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) There are no posts of Lady Professors in the Women's Polytechnic. In the last three years 14 Lady Teachers from the Women's Polytechnic resigned their posts for various personal reasons.

(b) No, Sir. All the teaching posts in the Women's Polytechnic are of gazetted rank and recruitment to them is made by the Union Public Service Commission.

(c) Does not arise.

Trainees in Delhi Women's Polytechnic

3522. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the class-wise number of trainees in the Delhi Women's Polytechnic ;

(b) the number of gazetted and non-gazetted lady Lecturers and lady Professors, respectively ; and

(c) the number of trainees in each class in Pusa Gate, Kashmere Gate and Pant Polytechnics respectively and the number of gazetted and non-gazetted Lecturers and Professors, respectively, in each of the said Polytechnics ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The information is given in the statement below :

Statement

(a)	(i) 1st year	149
	(ii) 2nd year	137
	(iii) 3rd year	85
(b)	(i) Lady Professors	Nil
	(ii) Non-gazetted Lady Lecturers	Nil
	(iii) Heads of Departments : Lady Lecturers with special pay	5
	(iv) Gazetted Lady Lecturers	9
	(v) Gazetted Lady Assistant Lecturers	16

(c)	**G. B. Pant Polytechnic**	**Pusa Polytechnic**	**Kashmere Gate Polytechnic**
(i) **No. of students :**			
1st year	214	370	141
2nd year	225	352	179
3rd year	169	197	167
(ii) **No. of staff :**			
1. Gazetted Professors	Nil	Nil	Nil
2. Gazetted Lecturers	15	19	13
3. Non-gazetted junior lecturers	7	7	10
4. Heads of Deptts. (Gazetted)	4	5	4

Lecturers/Professors in Polytechnics in Delhi

3523. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Lecturers and Professors in Pusa, Kashmere Gate and Pant Polytechnics, respectively, in Delhi ;

(b) the number of gazetted and non-gazetted members among them ;

(c) the number of those who are working on permanent posts and the number of those for whose services permission has to be sought every year in each of the said Polytechnics ;

(d) whether Government have received memoranda from the organisations of gazetted and non-gazetted teachers demanding confirmation on their posts ; and

(e) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e). The information is given in the statement below :

Statement

(a) In these Polytechnics there are no posts of Professors, but only posts of Heads of Department. The sanctioned strength is as under :

Name of Polytechnic	Sanctioned Strength		
	Heads of Deptt.	Lecturers	Junior Lecturers
1. Pusa Polytechnic	5	19	7
2. K. G. Polytechnic	4	13	10
3. Pant Polytechnic	4	15	7
Total :	13	47	24
(b) (i) Gazetted	60		
(ii) Non-gazetted	24		
(c) (i) Number of permanent posts	6	28	13
(ii) Number of temporary posts for which sanction is required every year	7	19	11

(d) Yes, Sir.

(e) (i) Cases of confirmation of eligible persons against eight permanent posts of Lecturers have since been referred by the Delhi Administration to the UPSC for approval.

(ii) Twenty more temporary posts of lecturers have been made permanent, and confirmation of eligible persons against them will also be taken up by the Delhi Administration with the UPSC.

(iii) Eleven junior Lecturers have so far been confirmed against 13 sanctioned permanent posts.

(iv) Only one person has been confirmed against six permanent posts of heads of department. The question of confirming eligible persons against the remaining five posts is under consideration of the Delhi Administration.

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट

3524. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, लखनऊ के अधीनस्थ शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी श्री वेद प्रकाश शर्मा के मामले में उत्तर प्रदेश के सतर्कता निदेशक ने अपना प्रतिवेदन और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दियें हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तर प्रदेश के सतर्कता निदेशक ने सिफारिश की कि उस अधिकारी के विरुद्ध उनकी जांच के परिणामस्वरूप प्रस्तावित आरोपों को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक न्यायाधिकरण को पूरी जांच करने के लिए भेजा जाय ।

(ग) मामला जांच के लिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अधिकारियों के विदेश के दौरे

3525. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के उन अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों में विदेशों में दौरे पर गये थे ;

(ख) इनकी विदेशी यात्राओं का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) इन यात्राओं पर कुल कितना धन और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2570/68]

पश्चिमी जर्मन समाचार एजेंसी द्वारा भारत-विरोधी गतिविधियां

3526. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यूनिवर्सल प्रेस सर्विस तथा तरुण-प्रेस रिपोर्ट नामक दो भारतीय समाचार एजेंसियों की सहायता से डीस्टास ड्यूशचडार्ड नामक पश्चिम जर्मन समाचार एजेंसी की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में जांच कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). "डीस्टास डियूशचलैंड" की ओर से कोई भारत-विरोधी गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

मनीपुर तथा आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों की सीमाओं को बन्द करना

3527. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा और मिजो लोगों के आने जाने पर रोक लगाने के लिए मनीपुर के सभी पर्वतीय क्षेत्रों की सीमाओं को जिसमें मनीपुर के पांच सब-डिवीजन आते हैं ; बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार आसाम के अन्य क्षेत्रों की सीमाओं को बन्द करने का है जिनमें विद्रोही नागा और मिजो लोगों की गतिविधियां बढ़ रही हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक अधिसूचना द्वारा मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक भारत की सुरक्षा के हित में लगाई गई है (प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी गयी है)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2571/68] 28 जून, 1968 को जारी की गई दो अधिसूचनाओं द्वारा, जिनमें से एक पारपत्र (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 4 के उप-नियम (2) तथा (1) (i) और दूसरी पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 22 के अन्तर्गत जारी की गई थी, भारत-बर्मा सीमा के 40 कि० मी० के भीतर रहने वाली आदिम जातियों के निर्बाध आने-जाने पर रोक लगाई गई थी।

(ख) और (ग). भारत-बर्मा सीमा के 40 मील के भीतर आदिम जातियों के आने-जाने पर लगी रोक बर्मा से लगे आसाम के क्षेत्रों पर भी लागू होती है। सुरक्षा दल सतत सतर्कता बरतते हैं और विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

Separation of Judiciary and Executive

3528. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the States in which the Judiciary has been separated from the Executive ;

(b) the States in which this has been done partially ; and

(c) the reasons for delay in the matter and the time by which the Judiciary would be separated from the Executive in the entire country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Judiciary has been separated from the Executive in Gujarat, Maharashtra, Madras, Kerala, Mysore, Punjab, Haryana, West Bengal, Orissa and Jammu and Kashmir. It has been partially separated in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

(c) Inadequacy of personnel, financial stringency and shortage of necessary accommodation are some of the factors which have stood in the way of extension of the reform. Since this matter largely relates to the State field and impinges on the State finances, a fixed date line for the whole country may not be practicable.

एयर इण्डिया

3529. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भर्ती करने (500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले पदों के लिये) ठेके लेने तथा विक्रय करने के लिये एयर इंडिया के उचित नियम हैं; और यदि हां, तो वे क्या हैं तथा वे कब से लागू हैं; और

(ख) क्या इस एयर इंडिया के कार्य का कभी कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के दोषों को दूर करने तथा इसकी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। सभी वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए और खरीद के ठेके लेने तथा बिक्री के लिये उचित कार्यविधियां निर्धारित की गयी हैं। ये 1953 में कारपोरेशन की स्थापना के समय से ही लागू रही हैं।

(ख) कारपोरेशन के सामान्य कार्य-चालन का प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 41वीं रिपोर्ट (1956-57) में, और बाद में 'सरकारी उद्यम समिति' द्वारा अपनी 21वीं रिपोर्ट (मार्च, 1965 तक) में पुनरालोकन किया गया। कारपोरेशन अपने कार्यों का स्वयं निरन्तर पुनरालोकन करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है स्वयं ही या बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से अपनी प्रणालियों तथा कार्य-विधियों को दोषरहित करने की ओर उचित ध्यान देते हैं।

इंडियन टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

3530. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को इस कारपोरेशन ने कितना ऋण देना था और उसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य फर्मों का कितनी-कितनी राशि का ऋण था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कारपोरेशन ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि दी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के इसके कार्य के क्या परिणाम निकले हैं, कितना लाभ और कितनी हानि हुई है, हानि के मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क)	1-10-1966 को, अर्थात् जिस तारीख को कारपोरेशन की स्थापना हुई।	31-3-1968 को
(i) प्राधिकृत पूंजी	5.00 करोड़ रुपये 1-10-1966 को, अर्थात् जिस तारीख को कारपोरेशन की स्थापना हुई	5.00 करोड़ रुपये 31-3-1968 को
(ii) प्रदत्त पूंजी	24.59 लाख रुपये, जिसमें 8.57 लाख रुपये का 'शेयर एप्लीकेशन मनी' भी सम्मिलित है।	87.59 लाख रुपये, जिसमें 38 लाख रुपये का 'शेयर एप्लीकेशन मनी' भी सम्मिलित है।

(ख) और (ग). कारपोरेशन ने 1-10-1966 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक कोई ऋण नहीं लिया है।

(घ) **निम्नलिखित अवधि में कार्यचालन परिणाम**

	1966-67	1967-68*
	रुपये	रुपये
(i) आय	20,79,194.75	40,10,730.25
(ii) व्यय	19,18,683.26	37,93,329.94
(iii) शुद्ध लाभ	1,60,511.49	2,17,400.31

यह अनुमान लगाया गया है कि 1968-69 के दौरान शुद्ध लाभ 3 से 4 लाख रुपये के लगभग होगा।

*आंकड़े अनंतिम हैं और इनका निदेशक-मंडल व कारपोरेशन के हिस्सेदारों से अभी अनुमोदन किया जाना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी और फौजदारी के मामले

3531. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून 1968 तक उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दाण्डिक अपराधों के कितने मामलों का पता लगाया गया और उनमें कितने कर्मचारी (वर्ग-वार) और गैर-सरकारी लोग अर्न्तग्रस्त हैं;

(ख) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये;

(ग) वर्ष 1967-68 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये, कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्रालय (खास) के दो अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये दोनों शिकायतें निराधार पाई गई थीं और फाइल कर दी गई थीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि में कुछ लेखन-सामग्री अनधिकृत रूप से बाहर ले जाते हुये गृह मंत्रालय (खास) के एक अराजपत्रित कर्मचारी का एक मामला ध्यान में आया। अधिकारी को चेतावनी दे दी गई।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे मामले दोहराये न जायें अत्यन्त सावधानी बरती जाती है। शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है।

Theft in Various Museums and Ancient Buildings

3532. **Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Ranjit Singh:**
Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Narain Swarup Sharma:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received reports about the thefts of pieces of art and other valuable articles from various museums and ancient buildings in the country;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to check such incidents;

(c) whether it is also a fact that the police have to face great difficulty in finding out the source from where the traders get the rare articles and whether those are stolen articles or not, because there is no proper control over the business centres of ancient articles and there are no rules governing them ;

(d) whether Government propose to take necessary steps in view of this ; and

(e) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Security measures have been strengthened at the Central Museums, viz. National Museum, New Delhi ; Salar Jang Museum, Hyderabad ; and Indian Museum, Calcutta. A Committee of museum experts has also been set up recently to consider the adequacy of these measures, and recommend such further measures as may be necessary at the aforesaid Museums as well as at archaeological monuments and sites.

Besides, in so far as centrally protected archaeological monuments, sites and archaeological museums are concerned, all cases of thefts of objects from these places are promptly reported to the police authorities concerned for investigation and apprehension of the culprits. The Expert Advisory Committees and the Customs authorities at major ports are also alerted at the same time to look out for such stolen objects being smuggled out of the country. Further, the following preventive measures are also being taken to check the incidence of thefts of art objects from centrally protected monuments and sites :

(i) Documentation and shifting of loose sculptures from monuments and sites to places of safety.

(ii) Watch and ward staff at the monuments/sites have been warned to be more vigilant. Such staff has also been strengthened wherever necessary and possible. The Ministry of Home Affairs have also addressed the Heads of State Departments and Chief Ministers to take measures to gear up the police machinery in their States to exercise greater vigilance and strictness at points of export and places where purchases and sales of art objects take place.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) Various administrative and legislative measures including licensing of trades in antiquities and amendment of the existing Antiquities (Export Control) Act, 1947 are being considered in this connection.

विश्वविद्यालयों का भारतीयकरण

3533. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र आदि द्वारा 9 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में प्रायोजित की गई 'भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का गठन' विचार गोष्ठी के अवसर पर बोलते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान ने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों का भारतीयकरण किया जाना चाहिए;

(ख) क्या इस बात पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने प्रादेशिक भाषाओं के जरिए शिक्षा के महत्व को बताते हुए, भारतीय

शिक्षा पद्धति में 'भारतीयता' की कमी के बारे में मत प्रकट किया था। यह सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के संकल्प के अनुरूप था और इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश की थी।

'लास्ट सरस्वती' शीर्षक वाला अनुसन्धान कार्य

3534. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'लास्ट सरस्वती' शीर्षक वाले अनुसन्धान कार्य में प्राचीन संस्कृति और प्राचीन मानव संस्कृति में भारतीय योगदान की व्याख्या की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके निष्कर्षों को भारत से बाहर प्रस्तुत करना वांछनीय है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार अलग-अलग लेखकों के विचारों का प्रचार नहीं करती है। ऐसा लेखक खुद ही कर सकते हैं।

Bridge over Kali River in U. P.

3535. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the proposal for the construction of a bridge over Kali river between Kharkhanda and Ajrada in Uttar Pradesh;

(b) whether it is a fact that in the absence of a bridge the people living beyond Ajrada have to come to Meerut in order to cross the river during the rainy season;

(c) whether it is also a fact that the State Government had previously allocated some amount for this bridge but the Zila Parishad have not started the work so far; and

(d) the time by which the State Government propose to construct the aforesaid bridge?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d). The proposed bridge over the river Kali near Kharkhanda falls on a Zila Parishad road. Its construction is, therefore, primarily the responsibility of the Zila Parishad concerned. It is understood from them that no transport facilities are available in several villages in the absence of a bridge near the villages Atrara-Ajrara in the Hapur Tehsil, Meerut Distt. There is, however, a bridge over the Kali Nadi at Abdullapur in that part of the Tehsil. The State Government had sanctioned a grant-in-aid of Rs. 1.95 lakhs for the construction of the said bridge, which is estimated to cost Rs. 2.50 lakhs. The balance of the cost is to be found by the Zila Parishad out of a sum of Rs. 72,500/- required to be contributed by them as matching grants from their own resources. Necessary information regarding the progress made so far in the matter is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Books in Diglot from Published by Central Hindi Directorate

3536. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of selected books of Indian Languages which have been publised in diglot from by the Central Hindi Directorate under the schemes implemented in 1967-68 and the total expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): No such books have so far been published by the Central Hindi Directorate. A Scheme for compilation and publication of select writings in Indian languages in diglot form (in Devnagri and the script of the regional language concerned) has, however, recently been formulated and included in the new Fourth Five Year Plan. The Scheme will be implemented after it has been approved by the Planning Commission and the Ministry of Finance.

हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग

3537. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षक उन्हें कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान न दिये जाने के बारे में एक महीने से बराबर आन्दोलन करते आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान दिये जायें;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की भारत सरकार से क्या मुख्य मांगें हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार ने मांग को अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हां। शिक्षक आन्दोलन 16 सितम्बर, 1968 से 12 अक्तूबर, 1968 तक रहा परन्तु वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिये गये थे जिससे कि बच्चों की शिक्षा को नुकसान न पहुंचे ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के वेतनमानों को भी उसी तरह पुनरीक्षण किया जाए जिस तरह कोठारी आयोग की शिफारिशों के आधार पर पंजाब सरकार ने अपने शिक्षकों को वेतनमानों को किया है।

(घ) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश के वेतनमानों को पंजाब के वेतनमानों से जोड़ना न्यायपूर्ण नहीं था और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को वही वेतनमान मंजूर किये हैं जोकि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कार्य करने वाले तदनुरूप श्रेणी के शिक्षकों के हैं। ये समान कर्त्तव्य और जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर 21 दिसम्बर, 1967 से दिये गये हैं।

Gazetted Holiday for Mahavir Jayanti

3538. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received several memoranda for declaring Mahavir Jayanti as a Gazetted holiday ;

(b) if so, whether a decision to declare Mahavir Jayanti as a Gazetted holiday from the next year has been taken ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). Representations have been received from time to time for the declaration of a closed holiday on account of Mahavir Jayanti. The matter has been examined in all its aspects but it has not been found possible to increase the existing number of closed holidays as this would affect the transaction of public business. However, Mahavir Jayanti continues to be a restricted holiday for Civil Offices of the Government of India in Delhi.

चण्डीगढ़ में भूमि का आवंटन

3539. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में किन-किन शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई तथा उनको आवंटित की गई भूमि का ब्योरा क्या है; और

(ख) किस दर पर भूमि आवंटित की गई है तथा उस भूमि के विकास की प्रति वर्ग गज अनुमानित लागत कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भूमि का आवंटन पहले एकड़ के लिये 6 रु० प्रति वर्ग गज और एक एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये 4 रु० प्रति वर्ग गज की दर से किया गया है । आन्तरिक विकास के लिये प्रत्येक सेक्टर में विकास की लागत 14000 रु० प्रति एकड़ तथा सेक्टर से बाहर की मदों तथा भवनों के लिये 4000 रु० प्रति एकड़ है । विकास की यह लागत किसी एक सैक्टर में रिहायशी और व्यवसायिक प्लाटों से वसूल की जाती है । सैक्टर में शेष भूमि का उपयोग उद्यानों, सड़कों तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिये भवनों जैसे सामुदायिक प्रायोजनों के लिए किया जाता है ।

विवरण

	शिक्षा एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का नाम	नियत की गई भूमि का ब्योरा
1.	दि स्त्री समाज (एक आर्य समाज संगठन)	4.7 कनाल
2.	दि खालसा माडल स्कूल	6 एकड़

शिक्षा एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का नाम	नियत की गई भूमि का ब्योरा
3. दि कार्मेल कान्वेंट स्कूल	0.187 एकड़
4. श्री गुरु गोविन्द सिंह फाउंडेशन	3.4 एकड़
5. डी० ए० वी० कालेज फार विमन	12.5 एकड़
6. दि भारत सेवक समाज	1 एकड़
7. दि गुरु नानक वर्ड फीस मिशन	0.83 एकड़

चण्डीगढ़ के कुछ कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों का वितरण

3540. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त ने स्वविवेक से चण्डीगढ़ के कुछ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो नकद पुरस्कार दिये जाने के लिये व्यक्तियों का चयन करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई; और

(ग) क्या चयन करने से पूर्व विभाग अध्यक्षों से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । संबंधित विभागों की सिफारिशों पर मानदेय या नकद पुरस्कार स्वीकृत किये गये थे ।

(ख) अतिरिक्त घंटों में की गई विशिष्ट और सराहनीय सेवायें पुरस्कार देने की कसौटी थीं ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । वास्तव में उन्होंने प्रस्ताव रखे थे ।

'विश्व नेता' दिल्ली में नेताओं के विरुद्ध लगाये गये आरोप

3541. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली के एक साप्ताहिक 'विश्व नेता' में नेताओं के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें लगाये गये आरोप सच्चे पाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस साप्ताहिक पत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). मामला अभी न्यायाधीन है ।

उड़ीसा में पुरातत्वीय खोज

3542. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वष 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा में पुरातत्वीय खोज अथवा खुदाई करने के लिये और प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में पुरी जिले में प्राची घाटी सभ्यता के सम्बन्ध में और खोज कार्य करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 1967-68 के दौरान उड़ीसा सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा उड़ीसा के ढेंकानल और सम्भलपुर जिलों में खोज की गई थी जिसके फलस्वरूप कुछ आकर्षक मन्दिरों और मूर्तियों का पता लगा। क्योंझार जिले में खोज तथा सिसुपालगढ़, जिला पुरी में खुदाई करने के लिये उस विभाग द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा हाल ही में स्वीकृत किया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उड़ीसा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान

3543. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 1967-68 तथा 1968-69 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुदानों की राशि कितनी है और अनुदान प्राप्त करने वाले उड़ीसा के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2572/68]

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का सीमांकन

3544. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच गंगा और घाघरा नदियों के बारे में निर्धारित सीमा का अंकन करने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई प्राधिकार नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां तो उस प्राधिकार का नाम क्या है; और

(ग) प्राधिकार द्वारा अपना प्रतिवेदन कब सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गंगा और घाघरा प्रत्येक नदी की निश्चित सीमा के सीमांकन के लिये प्राधिकारी के रूप में भारत के महासर्वेक्षक की नियुक्ति की गई है।

(ग) आशा की जाती है कि क्षेत्रीय कार्य आगामी मानसून के आरम्भ होने से पूर्व समाप्त हो जायगा। इसके पश्चात महासर्वेक्षक जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (4) के अन्तर्गत आवश्यक है एक नक्शा तैयार करेंगे जो हस्तांतरित होने वाले क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाना है। आगामी मानसून मौसम के अन्त तक सम्पूर्ण कार्य के समाप्त होने की आशा है।

Political Murders

3545. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State-wise number of political murders in the country during the past two years in the States under the Presidents rule and the Union Territories ; and

(b) the number of persons arrested in this connection during this period, the number of persons tried and the number of persons still being tried ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) According to the information received from the State Governments, 20 murders have taken place in West Bengal for suspected reasons of political rivalry during the past two years. No such cases are reported to have taken place in Bihar, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh and in any of the Union Territories.

(b) 153 persons were arrested in West Bengal in connection with the murders. Cases against 20 have been concluded and 130 are still under trial.

Loyal Nagas, Mizos and Kukis Killed in Clashes with Rebels

3546. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of loyal Nagas, Mizo and Kuki citizen's killed by Naga, Mizo and Kuki hostiles during the last two years in Nagaland, Mizo Hills and Assam, on the basis of the information gathered by the Government ; and

(b) the number of loyal citizens kidnapped during the aforesaid period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). The information in respect of Nagaland is as follows :—

Three loyal citizens, all Nagas, were killed, 327 loyal citizens were kidnapped.

Information from the Government of Assam is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Taxi and Scooter Drivers Challaned in Delhi

3547. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of taxi and scooter drivers challaned and arrested in Delhi during the last two years for misbehaving with passengers, over charging the fare and refusing to take the passengers to any particular place ; and

(b) the number of taxi and scooter drivers sentenced and fined by courts during the same period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) 9349 taxi and scooter drivers were challaned during the period 1-10-1966 to 30.9.1968. No arrests were made.

(b) A total of 8970 persons were fined by the Courts during the aforesaid period. No other punishment was imposed.

Persons Arrested and Convicted During 1965 Indo-Pak. Conflict

3548. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians and foreigners arrested in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat on charges of helping or on suspicion of helping the enemy, helping the mujahids and trying to loot the Indian public during 1965 Indo-Pak Conflict ;

(b) the number of persons among them who were prosecuted and the number of those convicted ; and

(c) the number of cases pending in Law Courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). In Rajasthan 101 persons were arrested under the various provision of law. Prosecutions against 98 were launched while 3 were discharged. 19 of them are absconding and action against them under section 512 Cr. P. C. has been taken. 9 persons have so far been convicted. Cases against the rest are sub-judice. In Gujarat no person was arrested for these reasons. Information in respect of Jammu and Kashmir is being collected and will be laid on the Table of the House.

गोहाटी (आसाम) में कामरूप सेना

3549. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी (आसाम) में 'कामरूप' नामक एक नई सेना के बनने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार के अनुसार हस्तलिखित इश्तिहार जो कामरूप सेना द्वारा जारी किये गये बतलाये जाते

हैं, कुछ जगहों पर लगे पाये गये हैं। कामरूप सेना की अन्य कोई गतिविधियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ग) इश्तिहारों के स्रोत का पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Kidnapping of Baby

3550. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that newly born baby was kidnapped from the Patna Medical College Hospital on the 15th September 1968;

(b) if so, whether it is also a fact that the employees of the hospital were involved in this kidnapping; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). It is reported by the Government of Bihar that on 16th September, 1968 a male child was reported to have been kidnapped from Patna Medical College Hospital. A case under Section 363 IPC has been instituted and is under investigation. 3 employees of the hospital were arrested on suspicion in this connection.

Appointments in Colleges under Delhi University

3551. **Shri Bhibhuti Mishra**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a distinction is made between the M. A. degree awarded by the Indian Universities and that awarded by the foreign Universities at the time of making appointments in the colleges of Delhi University;

(b) if so, whether it is also a fact that the persons, who obtained M. A. degrees from foreign Universities and have no experience in the teaching line, have been given four increments;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the nature of the directive proposed to be issued by Government to the University Grants Commission and the Delhi University to remove this distinction?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). No, Sir. Government is not aware of any such distinction.

(c) and (d). Do not arise.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित तथा व्यय की गई विदेशी मुद्रा

3552. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स का विदेशी मुद्रा का खर्च वर्ष 1963-64 में 125 लाख रुपया था और बढ़ कर वर्ष 1967-68 में 567 लाख रुपये हो गया है; जबकि इसकी विदेशी मुद्रा की आय 300 लाख रुपये से बढ़कर केवल 673 लाख रुपये हुई है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के खर्च में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1967-68 में किन-किन मुख्य पदों पर विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(घ) भविष्य में अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) 1963-64 और 1967-68 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की विदेशी मुद्रा का व्यय और विदेशी मुद्रा की आय निम्न प्रकार है :

	1963-64	1967-68
	(लाख रुपये में)	
विदेशी मुद्रा का व्यय	125.00	509.00
विदेशी मुद्रा की आय	300.00	689.08

(ख) विदेशी मुद्रा के व्यय में वृद्धि होने के निम्न मुख्य कारण है :

1. भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा की दायिता में वृद्धि ;
2. आस्थगित भुगतान के आधार पर अतिरिक्त विमानों की खरीद; और
3. अतिरिक्त विमानों की खरीद एवं परिचालनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप विमानों के फालतू पुर्जों और सामान पर व्यय में वृद्धि ।

(ग) 1967-68 के दौरान निम्नलिखित मुख्य-मुख्य मदों पर विदेशी मुद्रा खर्च की गई :

1. खरीदे गये विमानों के ऋणों का भुगतान ।
2. विमानों के फालतू पुर्जों और विमान कम्पनी के स्टोरों की खरीद ।
3. दूसरी विमान कम्पनियों के बिलों का भुगतान ।
4. अन्य विमान कम्पनियों को दिया गया बुकिंग एजेन्सी कमीशन ।
5. विदेशी स्टेशनों पर स्थापना की लागत ।

(घ) कारपोरेशन डकोटा के स्थान पर एच० एस० 748 को बदल कर अपने परिचालनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसने मुख्य मार्गों पर अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिये एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है, जो सरकार के विचाराधीन है। वह विदेशों में अपने प्रचार को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों के विषय में भी विचार कर रहा है ताकि और अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके ।

Complaints Received by C. B. I.

3553. **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of complaints received by C. B. I. during the last three years and

the number of complaints found true after making an enquiry ;

(b) the number of complaints sent to the courts for their judicial action and the number of those against which judicial action was taken ; and

(c) the number of complaints filed due to the reason that some officers of Government or Ministers did not want any action to be taken on those complaints ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 19497 complaints were received by the Central Bureau of Investigation during the years 1965, 1966 and 1967. Of these, 3532 complaints were found true after enquiry.

(b) Charge sheets were filed in courts on the basis of 390 complaints. As a result, 118 complaints have so far resulted in conviction of accused persons.

(c) None.

शिवपुरी में गृह मंत्रालय द्वारा भूमि की खरीद

3554. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री जार्ज फरनेन्डीज

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि उनके मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी में केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो के लिये कुछ भूमि और बंगले खरीदे हैं;

(ख) क्या प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री तात्या टोपे का स्मारक बनाने लिए सरकार को पहले यह भूमि दान में दे गई थी;

(ग) क्या इस भूमि की खरीद के विरोध में उनके मंत्रालय को विरोध पत्र भेजे गये हैं; और

(घ) कुल कितना मूल्य दिया गया है; और किस व्यक्ति को यह राशि दी गई है और इसका औचित्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सम्पत्ति को ग्वालियर के महाराजा से 7 लाख रू० में खरीदा गया । उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तरों को देखते हुए किसी अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3555. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में दिल्ली पुलिस के चार

कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक व्यक्ति उन डाकुओं का नेता है जो उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर में बसों को लूटते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस के चार पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे। उनमें से एक बुलन्दशहर में गिरफ्तार किया गया था तथा शेष दिल्ली में ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि ये चार व्यक्ति उत्तर प्रदेश में तथाकथिक डकैती/लूटने के मामलों में फंसे थे ।

(ग) और आगे जांच होने तक पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं और उन मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जखीरा (दिल्ली) में गोलाबारूद का पाया जाना

3556. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जखीरा (दिल्ली) के निकट एक भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी के घर में पाये गये गोला बारूद के ढेर के सम्बन्ध में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वह जांच जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस के एक भूतपूर्व पुलिस कान्स्टेबल के घर से दो हथ-गोले बरामद किये गये, पूरी की जा चुकी है ।

(ख) जांच के फलस्वरूप यह पता चला कि अभियुक्त को हथ-गोले पंजाब सशस्त्र पुलिस के एक भूतपूर्व कान्स्टेबल द्वारा दिये गये थे जिसने उन्हें भारत पाक संघर्ष के दौरान खेमकरन क्षेत्र में सेवा करते हुए पाया था । जांचों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 21-10-1968 को अभियुक्त का चालान कर दिया है । आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायगा ।

उद्योगों में ईंधन व्यवस्था

3557. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में ईंधन व्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) ईंधन कुशलता समिति के अनुरोध पर, कोयला बोर्ड ने तीव्र ईंधन सर्वेक्षणों और प्रदर्शन परीक्षणों के जरिए उद्योग में ईंधन व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन प्रायोजित किया था और साथ ही बहुत से प्राथमिकता उद्योगों में प्रश्नावली सर्वेक्षण किए थे । ऐसे अध्ययनों के आधार पर, एक उद्योग वार श्रेणी-अनुसूची, जैसे कि ईंधन कुशलता समिति द्वारा तैयार की गई थी, 1961 से 1967 तक लागू थी । इसका प्रयोग न केवल विभिन्न उद्योगों के लिए कोयला नियत करने के लिए एक मार्गदर्शी रेखा के रूप के प्रयोग किया जाता था बल्कि इसके जरिए उपलब्ध साधनों के अनुरूप सही बायलर और भट्टियां निर्मित करना सुनिश्चित हो सका है । जुलाई, 1967 में, सभी कोककर कोयले को नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है ।

कोयला बोर्ड का मुख्य दहन इंजीनियर, राष्ट्रीयस्तर पर उद्योगों की निःशुल्क ईंधन बचत सेवा कर रहा है । इस सेवा में, कोयले के और अधिक कुशल उपयोग और कोयले तथा उसके दाहक उपस्कर दोनों के लिए युक्तिकरण उपयोग पद्धति के लिए सभी दाहक साधित्रों (बायलरों समेत) की संचालन दशाओं में संशोधनों और परिवर्तनों के बारे में सलाह देना शामिल है ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ईंधन व्यवहार में प्रशिक्षण के लिए न केवल सुझाव दिए हैं बल्कि उद्योग को, देश में उपलब्ध ईंधन के जलाने के लिए उनका भट्टियों में संशोधन करने के सम्बन्ध में भी वास्तविक सलाह दी है । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ईंधन कुशलता सेवा ने बहुत से धन्धों को, देश में उपलब्ध ईंधन, अर्थात् कोयले को सफलतापूर्वक जलाने के लिए उनकी भट्टियों को उपयुक्त ढंग से संशोधित करने के विषय में पहले ही सहायता दी है । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ईंधन कुशलता सेवा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जहां कोयले का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ईंधन तेल के उपयोग की सिफारिश करती है ।

एयर इंडिया द्वारा यातायात विभाग में कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षा

3558. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उडड्यन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात विभाग के कुछ रिक्त पदों को भरने के लिए एयर इंडिया द्वारा हाल ही में एक प्रतियोगी परीक्षा ली गई थी;

(ख) क्या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है तथा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडड्यन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). किये गये चुनावों के बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। चूंकि ऐसे पदों पर नियुक्ति करना कारपोरेशन की अधिकार सीमा के अन्तर्गत है, सरकार ने हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।

Chair for Sindhi Language in Bombay University

3559. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bombay University had sent a proposal to the University Grants Commission for introducing a Chair for the Sindhi language in the University and had sought additional financial assistance for the purpose;

(b) whether it is also a fact that the University Grants Commission accepted the demand of the Bombay University in principle and the Commission promised to give a part of of the financial assistance and not full assistance;

(c) if so, whether the Bombay University has postponed to implement the scheme on account of failure to obtain full financial assistance from the Commission;

(d) whether the Commission would give full financial assistance to maintain a Chair in the University of Bombay with a view to develop the Sindhi language; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (e). The Bombay University had sent a proposal for a special grant for creating the post of a Reader in Sindhi. The University was requested to include this scheme within 70% of the allocation for the plan period ending 1970-71. The University, however, did not agree to this. In the meantime the Commission received some representations from bodies like the Akhil Bharat Sindhi Boli and Sahitya Sabha and considered the matter at its meeting held on 6th November, 1968. The Commission agreed that the post of a Reader/Professor in Sindhi be provided on the usual sharing basis of University Grants Commission assistance to the University and that the expenditure on this would be outside 70% of the allocation made to the university for the period ending 1970-71.

बौद्धों के धार्मिक महत्व स्थानों का विकास

3560. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बौद्धों के धार्मिक महत्व के स्थानों का विकास करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्तावित योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). उपलब्ध वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्ध अभिरुचि के निम्नलिखित स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास करने का प्रस्ताव है :

बोधाया, राजगीर, नालन्दा, नागार्जुनकोंडा, सांची, अजन्ता, एलोरा, नौघर (लुम्बिनी के लिये) और वाराणसी (सारनाथ के लिये)।

नवम्बर, 1968 में हुआ राज्यपालों का सम्मेलन

3561. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्यपालों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विशिष्ट प्रश्नों पर विचार किया गया और प्रत्येक प्रश्न के बारे में क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्यपालों का सम्मेलन देश के सामान्य हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। सम्मेलन कोई औपचारिक निर्णय नहीं करता है। 15 और 16 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में सम्मेलन में राज्यपालों ने राज्यों में राजनैतिक और प्रशासनिक स्थिति पर तथा देश में आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया था।

Gulf between Police and Public

3562. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a wide gulf has appeared between the police and the public during the past two years and that other Government departments also look down upon the police ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to earn public esteem for police in a democracy?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). All State Governments (except Governments of Bihar, J and K, Madras, Punjab and West Bengal) and Union Territories have reported that no such gulf exists.

The information from the Governments of Bihar, J and K, Madras, Punjab and West Bengal when received will be laid on the Table of the Sabha.

Use of Police Strength in Union Territories

3563. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the percentage of police strength utilised for dealing with the criminal cases like thefts and dacoity, anti-social matters like black-marketing, smuggling and adulteration, activities of hostile countries, political agitations, agitations by groups and organisations and other administrative matters, in the Union Territories during the current year till date?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No specific percentage of police strength is utilised for dealing with criminal cases or other offences mentioned in the question. These offences are dealt with by the strength posted at various Police Stations and if necessary the strength of the Reserve Police or Armed Police is utilised as and when the occasion demands.

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेज लेखन केन्द्र

3564. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेज लेखन केन्द्र वैज्ञानिक तथा अन्य सामग्री की सप्लाई के सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान के साथ एक करार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 20 जून, 1967 को भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेज लेखन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के साथ करार को 31 दिसम्बर, 1969 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) करार के ब्योरे नीचे दिये जाते हैं :

(1) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गये विदेशी भाषाओं में प्रकाशित उन्मुक्त वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद तथा अंग्रेजी में मुद्रण ;

(2) भारत में आधुनिक समय में प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिका और समाचार-पत्रों के लेखों के रूप में उन्मुक्त साहित्य से भारतीय शैक्षिक सामग्री की एक भाव्यकृत त्रैमासिक ग्रन्थ सूची का संकलन तथा प्रकाशन ;

(3) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान उस पाठ्य-पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के लिये जिसकी 500 प्रतियों का अनुवाद, सम्पादन तथा मुद्रण किया गया है और प्रतिष्ठान को दी गयी हैं, भारतीय राष्ट्रीय दस्तावेज लेखन केन्द्र (इन्स्डोक) को 80 रुपये देगा। इस दर में समूची लागत का, जिसमें स्टाफ के वेतन तथा भत्ते और मुद्रित पुस्तकों, कागज, डाक व्यय, आवास वगैरह का सम्बन्धित खर्च भी शामिल है, समावेश है।

(4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान भारतीय शैक्षिक सामग्री (भाष्यकृत त्रैमासिक ग्रन्थ सूची) के प्रत्येक प्रकाशन की 30 मीमोग्राफ-प्रतियों के लिये, जो उनको दी जाएंगी—20,545 रुपये अदा करेगा ; और

(5) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान ने 31 दिसम्बर, 1969 तक प्रायोजना के लिए 13,94,670 रुपये की व्यवस्था की है।

आसाम में अन्तर्देशीय परिवहन सेवा

3565. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में नदी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक संगठन स्थापित करने के लाभ तथा कार्य करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। अध्ययन दल के एक सदस्य ने जो रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है अपितु असहमति की एक टिप्पणी भेजी है।

(ख) अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :

(1) यह अदूरदर्शित तथा राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल होगी यदि नदी सेवाओं को समाप्त किया केवल इसलिये कि रेल व सड़क परिवहन चालू यातायात को या आगामी कुछ सालों में होने वाले यातायात को निभा सकती है। आसाम में सभी प्रकार के परिवहन के विकास की गुंजाइश है और जल परिवहन राज्य के लिए आवश्यकीय सेवा है।

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को निम्नलिखित यातायात मिल सकती है :

(क) आसाम सरकार का समस्त माल

(ख) आसाम सीमेन्ट लिमिटेड से सीमेन्ट

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से स्टील

(घ) फरटीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया से उर्वरक, और

(ङ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से कच्चा तेल ।

यद्यपि यातायात को शक्ति अधिक मालूम पड़ती है निगम के वाहनों समस्त वाहक क्षमता और इसकी वर्तमान कुशलता, चालन की शर्तों के युक्ततम को मानते हुए, यातायात का एक अंश का भी परिवहन न होने दे । निगम 4,000 टन का वार्षिक यातायात को प्राप्त व निभा सकता है ।

(3) 12 स्टीमरों 36 वाहनों का वार्षिक व्यय जो चालन के लिये उपयुक्त है उनकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपये अनुमानित की जाती है परन्तु उनसे लगभग 80 लाख रुपये की कमाई होगी इस तरह 20 लाख रुपये का घाटा रहेगा । अतः निगम को आसाम कैरिएज आफ गुड्स टैक्स से राहत मिलनी चाहिए । भारत सरकार को ब्याज दिया जाय और रेलवे एक जगह से दूसरी जगह जाने की लागत में हिस्सा दें ।

(4) निगम के रिवर स्टीमर नेवीगेशन कम्पनी से जो देयता ली है यदि यह देयता समाप्त नहीं की जा सकती है निगम से दिये जाने वाले ब्याज पर भारत सरकार को विलम्बन काल के लिए मानना चाहिए ।

(5) सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन को वाहन को आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि परिचालन मितव्ययता की जा सके । 500 होर्स पावर के प्रत्येक के 6 नये डीजल नावों का एक बेड़ा अगले पांच साल के यातायात के लिए काफी होगा । दो कोयले से चलने वाले स्टीमर की बदली 1969-70 से प्रत्येक वर्ष एक नाव से की जाय । आने वाले दो वर्षों में बदलने की गति बढ़ा दी जा सकती है यदि यातायात की लय भी विशेष सुधार दिखाता हो ।

(6) इसकी सलाह नहीं दी जाती है कि दूसरी स्वतन्त्र कम्पनी जो अब असम नदी सेवाएं चलाने के लिये पृथक रूप से अपने को नहीं रख सकती है, वे सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की कार्यकलाप से अलग हो जाय ।

(7) किसी एक प्रकार के परिवहन दूसरों के मूल्य पर एकाधिकार दिया जा सकता है । राष्ट्रीय नीति प्रत्येक का अधिक इस्तेमाल करना चूंकि नदी और सड़क परिवहन विभिन्न तरीकों को आसान पहले से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए सामुहिक सेवाओं उद्देश्य ही देश के समन्वय के लिये उदाहरण होना चाहिए ।

(8) रेलवे के दरवाजे तक मिली सेवाओं को देने के आशय के लिए उनको केन्द्रीय सड़क परिवहन कारपोरेशन की ट्रकों को इस्तेमाल करना चाहिए । इस आशय से रेलवे को सेन्ट्रल इन्लैण्ड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन व सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के पारस्परिक मान्य प्रबन्ध करना चाहिए ।

(9) नदी सेवाओं का कार्य बड़ी सीमा तक निम्नलिखित सुविधाओं पर निर्भर करता है।

(क) जोगी घोपा पर पत्तन सुविधाएं।

(ख) तैरते हुए सूखे डाक का निर्माण।

(ग) अच्छी नौवहन वर्कशाप का आवश्यकीय मशीनों तथा उपकरणों के सहित गठन ताकि पोतों की मरम्मत हो सके और दूसरे इन्जीनियरिंग कार्य ले सके।

(घ) तैरते हुए क्रेन का अर्जन और जोगी घोपा, पांडु और न्यामती पर माल को ढोने उतारने के लिए तटीय क्रेन की प्राप्ति।

(ङ) मुख्य घाटों पर पहुंच मार्ग में सुधार।

(10) सरकार को सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के लिए तैरते हुए सूखे डाक बनाने के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(11) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी पोतों की मरम्मत करनी चाहिए क्योंकि ऐसी सुविधाएं यदि पूरी इस्तेमाल न की गईं तो बेकार जायेंगी।

(12) आसाम सरकार को सभी भारी यातायात वाले सभी फेरियों का दायित्व निगम को हस्तान्तरण कर देना चाहिए।

(13) जल वालू उत्थान के लिए और दूसरे चालन समस्याओं को विचार करने के लिये निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :

(क) बड़ी मात्रा में वन्डालिंग करना ;

(ख) तले पर चौखट लगाना जहां सम्भव हो और आंशिक दृष्टि से व्यायोचित हो ;

(ग) विस्तृत सर्वेक्षण ताकि पहाड़ों का पता चले। जलमार्ग को नौचालन के लिये विकसित किया जाय और नदी की धारा के बर्ताव पर दृष्टि रखी जा सके जब भी आवश्यक हो निवारक उपाय किये जायं।

(14) निगम द्वारा किया गया समय-समय पर घाटों को बदलने के काम पर व्यय सरकार को करना चाहिए।

(15) न्यामिति और जोगी घोपा पर रेलवे पटरी बदलने के काम का पूरा दायित्व रेलवे को मानना चाहिए।

(घ) अध्ययन दल की रिपोर्ट और असहमति के टिप्पणी पर जांच की जा रही है।

Finances of Delhi Municipal Corporation

3566. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tax amounting to lakhs of rupees is not deposited in the accounts of the Delhi Municipal Corporation and tax arrears amounting to several crores of rupees are outstanding ;

(b) whether it is also a fact that the Corporation possesses cheques amounting to several lakhs of rupees which had been dishonoured by the banks; and

(c) if so, the steps Government propose to take to improve the financial position of the Corporation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) All the amounts recovered by the Corporation as its dues are duly credited to the Municipal Fund. There are, however, tax arrears amounting to Rs. 239.39 lakhs as on 1-4-1968.

(b) Cheques amounting to Rs. 6,07,612/- were outstanding on 1-4-1968. Further cheques amounting to Rs. 6,16,834 were received back as unpaid by the Corporation up to October, 1968. Out of this amount, a sum of Rs. 6,49,841 has been recovered by the Corporation leaving a balance of Rs. 5,74,605.

(c) The Government have recently received an interim report from the Commission of Inquiry, appointed to look into the finances of the local bodies in Delhi. The Report which has been laid on the Table of the House on 22-11-1968 is at present under consideration.

Dearth of Public Libraries

3567. **Shri Ranjit Singh:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Book Trust has informed Government that there is a great dearth of good public libraries in the country; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b). Government have received a copy of Resolution passed by the Board of Trustees of the National Book Trust on 3rd September, 1968 which recommended the establishment of Central and State Public Libraries. The Ministry already maintains and assists in the development of the following public libraries:—

Maintained fully:

(i) The National Library, Calcutta
(ii) The Delhi Public Library Delhi
(iii) The Central Reference Library, Calcutta.

And assisted:

(i) The Khuda Bakhsh Library, Patna
(ii) The Raza Library, Rampur
(iii) The Public Library, Town Hall, Bombay
(iv) The Connemara Public Library, Madras.

Besides, this Ministry has been giving grants-in-aid to voluntary organisations working in the field of libraries. The setting up of local and regional libraries is the responsibility of the State Governments. In addition, proposals to provide Rs. 229.87 lakhs for development of libraries have been included in the Fourth Plan.

Sale of obscene magazines in Capital

3568. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Deorao Patil:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that magazines like 'Angdai', published by a publisher of Agra, Uttar Pradesh, which contain naked pictures of women, are being sold in very large number in the Capital; and

(b) if so, the steps taken by Government to ban the sale of such books?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) While the magazine referred to has not come to notice, two other magazines containing nude photographs have come to the notice of Delhi Administration.

(b) Action under Section 292 IPC has been taken against the publishers and the editors of the two magazines. Action under Section 292 IPC has also been taken in respect of 17 obscene books since 1st January, 1968.

Intimation of Conversions by Foreign Christian Missions

3569. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons whose religious conversion was effected by the foreign Christian Missions during the last five years;

(b) whether the said Missions intimate the fact of religious conversions effected to the local administration;

(c) whether Government have issued orders to the effect that foreign Christian Missions should give intimation to Government about the religious conversions before they are effected; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Except the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968, which came into force as recently as 20th October, 1968, there is no law for intimation or registration conversions from one religion to another. The precise information asked for is, therefore, not available.

(b) Except in Madhya Pradesh, there is no law providing for intimation of conversions from one religion to another to the local administration.

(c) and (d). No, Sir. There is no Ceneral legislation providing for such intimation.

Anti-National Activities by Christian Missionaries

3570. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of foreign Christian Missionaries doing religious propaganda work in the

border and other areas of the country along with the names of these areas;

(b) whether Government propose to appoint a commission to look into the activities of these missionaries; and

(c) if not, the reasons therefor when all the foreign Christian missionaries are engaged in anti-national activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a). According to the information available, the total number of registered foreign and Commonwealth Missionaries in India as on 1-1-1968 was 3,796 and 2,624 respectively. They are engaged in medical, educational, social and evangelical work. A statement showing the places where they are working is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2573/68.]**

(b) and (c). No, Sir. If a foreign missionary indulges in any undesirable activities, information about it can be gathered through normal administrative agencies. Appointment of a commission is not likely to serve any useful purpose.

Government have no reports to show that all foreign Christian Missionaries are engaged in anti-social activities.

National Libraries

3571. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the total number of National Libraries opened by the Centre in the country and the value and number of books in each of them;

(b) whether Government are satisfied with the present number of Libraries in view of their importance and the population of the country; and

(c) if not, the States in which new National Libraries are proposed to be opened by Government and the number of Libraries to be opened in each State?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) to (c). There is at present only one National Library namely the National Library, Calcutta, which has over 13 lakh volumes. The value of these volumes cannot be ascertained. Government propose to declare the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna as an institution of national importance and have already introduced a Bill for this purpose in the Lok Sabha. Government are also at present considering the question of declaring the T.M.S.S. Mahal Library, Thanjavur (Madras) and the Raza Library, Rampur (UP) as in institutions of national importance. Government are not satisfied with the present number of libraries in the country and are, therefore, trying to increase the number of libraries as well as develop the existing libraries within the resources available.

Hooliganism in J and K and its Effects on Tourism

3572. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cases of hooliganism are increasing in Kashmir and the incidents of eveteasing have become a common feature there;

(b) whether it is also a fact that some reports have appeared in the Press about the incidents of teasing even the tourist ladies and girl students by the unsocial elements ;

(c) whether such hooliganism is likely to effect the tourist industry there ; and

(d) if so, the action taken by Government for the protection of tourists against such hooliganism ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). According to the information received from the State Government, no cases of hooliganism have come to notice. The report appearing in the Times of India of 2nd October, 1968, has made reference to an incident which on inquiry was found to be baseless. The Tourist Department of State Government is vigilant about behaviour towards tourists, and a special contingent of the Tourist Police has been detailed to deal expeditiously with such cases.

Nomination of Members to New Delhi Municipal Committee

3573. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jan Sangh Party has boycotted the recent oath taking ceremony of such members of the New Delhi Municipal Committee as were nominated by Government ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Out of 11 members nominated by the Lt. Governor, Delhi, with effect from the 4th October, 1968, nine members took oath of allegiance on the 4th October, 1968 and the remaining two members, **viz.** Shri Kidar nath Sachdev and Dr. Raj Wadhwa took oath of allegiance on the 18th October, 1968.

निकटवर्ती स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति योजना

3574. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठारी आयोग ने निकटवर्ती स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति योजना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों के पहलुओं पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार को कुछ स्कूलों के निम्न स्तर और उक्त सिफारिश के अव्यावहारिक स्वरूप की जानकारी है ; और

(घ) क्या उन सुझावों को क्रियान्वित करने से पहले सरकार का विचार आयोग के सुझावों पर सावधानी से विचार करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). कोठारी आयोग ने अन्तिमरूप से निकटवर्ती स्कूलों की सिफारिश की है। इसका अर्थ यह है कि निकटवर्ती स्कूल

में निकट के सभी बच्चे, बिना जाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर, के दाखिल किये जायेंगे ताकि स्कूलों में अलगाव की भावना न हो। शिक्षा आयोग की इस सम्बन्ध में सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है। कार्यान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी।

Comments by Indian Delegate to World Youth Festival in Sofia

3575. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an Indian delegate to the World Youth Festival in Sofia had expressed the view that "there is no democratic freedom in India; its Constitution should be burnt";

(b) if so, the action taken by Government against the leader of the delegation and the delegate concerned;

(c) if no action has been taken, whether Government now propose to take action in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government is not aware of it.

(b) to (d). Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में हरिजन की हत्या

3576. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री अदिचन :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्तूबर, 1968, गांधी जयन्ती को कंचवकाचेरिया, आन्ध्र प्रदेश में एक हरिजन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हत्या से वही व्यक्ति सम्बन्धित है जो एक छोटे लड़के को जलाने के लिये जिम्मेवार है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में जिला कृष्णा के ग्राम कंचवकाचेरिया में 2 अक्तूबर, 1968 को एक हरिजन लड़के की अन्य 9 हरिजनों द्वारा शत्रुता के कारण कुल्हाड़े से हत्या कर दी गई।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) हत्या का मामला दर्ज किया गया। दोषी व्यक्तियों में से 3 गिरफ्तार कर लिये गये। अन्य 5 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। शेष एक दोषी को पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मामले की जांच प्रगति पर है।

विमानों के फालतू पुर्जे

3577. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों के उन फालतू पुर्जों, जो बेचे नहीं गये हैं, का निबटारा किस प्रकार हुआ है ;

(ख) क्या उनको भी बाद में बेचा गया था तथा यदि हां, तो उनका विक्रय मूल्य क्या था ; और

(ग) क्या 1966-67 में कोई पुर्जा फालतू घोषित किया गया था तथा बाद के वर्षों में उसी को खरीदा गया था और यदि हां, तो इस प्रकार खरीदे गये पुर्जों का मूल्य क्या था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आगे कोई निबटारा नहीं किया गया।

(ग) बाद के वर्षों में 10,940 रुपये की लागत के फालतू पुर्जे खरीदे गये।

Text Books in Public Schools

3578. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that almost all the text books prescribed in public schools are foreign publications ;

(b) if so, the amount of foreign exchange spent on their import every year ; and

(c) whether Government would ban their import to check this misuse of foreign exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) to (c). Reply is in the negative in so far as schools which are members of the Indian Public Schools Conference are concerned. Exact information regarding other schools, like Convent Schools, or English medium schools, specially those which are affiliated to the Indian School Certificate Examination (previously known as the Cambridge School Examination) is not available with the Government.

पर्यटक केन्द्रों पर पानी की सप्लाई

3579. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटक के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर पर्याप्त और मुफ्त पीने के

पानी की सप्लाई के प्रबन्ध किये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उन स्थानों पर, जहां भारत सरकार ने पर्यटक बंगले बनाये हैं, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है । चौथी योजना में, समेकित विकास के लिये लिये गये क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Schools in Union Territories

3580. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4985 on the 20th December, 1967 regarding schools in Union Territories and state ;

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2574/68].**

(c) Does not arise.

School for Labourers in Bombay and Durgapur Centres

3581. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5270 on the 23rd August, 1968 and state :

(a) the number of applications received for training in the schools for labourers, the number of candidates who were admitted and the number amongst them who had passed ;

(b) the qualifications laid down for admission into the said schools, the syllabus of study and other conditions of admission therein ;

(c) the details of requirements met by big industrial cities like Bombay and Durgapur in regard to the experimentation of the said scheme ;

(d) the name of the voluntary organisation in Bombay which has a long experience in the field of social education and the nature of assistance given by it to the said schools ;

(e) whether funds are likely to be made available in accordance with the requirements of the said scheme for opening other centres during the fourth Five Year Plan ; and

(f) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-2575/68]**

(b) A candidate should be an employee of an industry or other similar establishment ; should possess the background necessary for the Courses and should have received education up to Class VIII. The Courses include both technical and general education. Regular attendance is obligatory unless exemption has been obtained. No tuition fee is charged.

(c) (i) Existence of large industrial complex ;

(ii) availability of suitably qualified and experienced teaching staff ; and

(iii) existence of voluntary organisation with experience in adult education, that is willing collaborate.

(d) Bombay City Social Education Committee. Assistance provided by the Committee consists of library facilities, professional guidance, some equipment, some staff and contacts with workers, employers, and trade union leaders.

(e) and (f). Proposals include provision for funds for eight additional Centres.

Language in Supreme Court and High Courts

3582. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2262 on the 2nd August, 1968 and state :

(a) the names of the High Courts in addition to the Supreme Court in respect of which the policy of the Government of India in regard to the language to be used in proceedings before the Supreme Court and High Courts is governed by Article 348 of the Constitution and Section 7 of the Official Languages Act, 1963 as also the names of those courts in which this policy is being implemented ;

(b) whether Government have agreed to the reported decision of the Supreme Court Bar Association to the effect that English should continue to be the link language ; and

(c) if so, since when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In the matter of use of language in proceedings before them, all High Courts and the Supreme Court are governed by the provisions of Article 348 of the Constitution. Section 7 of the Official languages Act, 1963, has not so far been enforced.

(b) No change has been made in the policy as set out in Article 348 of the Constitution and Section 7 of the Official Languages Act, 1963.

(c) Does not arise.

Provisions in U. P. Jail Manual

3583. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the provision that only a Brahmin or a Hindu of some high caste could serve in the jail kitchens is still there in section 566, page 145, in the U. P. Jail Manual ;

(b) if so, whether the section is in keeping with secularism ; and

(c) if so, how and, if not, the action being taken to remove the said section as well as other sections which are based on discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

दक्षिण कनारा जिला (मैसूर) में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

3584. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा योजना आयोग ने मैसूर के दक्षिणी कनारा जिले में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो मैसूर सरकार ने इसके लिये धन की व्यवस्था कैसे की है तथा कितने धन की व्यवस्था की है ;

(ग) इस प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप जो 172 गैर-सरकारी बसें चलनी बन्द हो जायेंगी उनका अनुमानित मूल्य कितना है ; और

(घ) इस राष्ट्रीयकरण से जनता को लाभ कैसे होगा जबकि 172 गैर-सरकारी बसों के स्थान केवल 91 बसें चलेंगी, किराये में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जायेगी, एक ओर की यात्रा के दो भाग किए जायेंगे तथा पहले से रोजगार में लगे बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य के अन्दर सड़क परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना मैसूर राज्य से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय स्कूलों में सामाजिक अध्ययन के लिये शिक्षा का माध्यम

3585. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूलों में सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो इस सम्बन्ध में विवाद इस बीच हल हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). कक्षा III से XI तक क्रमिक प्रगति के रूप में केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम के जरिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है ।

पाठ्य पुस्तक योजना को परामर्शदात्री सेवा का रूप देना

3586. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागचौधरी समिति ने हाल ही में सुझाव दिया है कि पाठ्य पुस्तक योजना को परामर्शदात्री सेवा बनाने के लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) परामर्शदात्री सेवाओं सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति की मुख्य सिफारिशों सहित विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पुनर्विलोकन समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को—

(एक) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनानी चाहिये तथा उसके सदस्यों में राज्यों के संगठनों के उन अध्यक्षों को शामिल करना चाहिये जो पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के भार-साधक हैं । इस समिति में मुद्रकों और प्रकाशकों को भी शामिल किया जाना चाहिये । इस समिति का काम भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एकता, विषय तत्व, शिक्षात्मक उपस्थापन तथा उत्पादन, पाठ्य पुस्तकों के वितरण, मूल्य तथा विक्रय की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के बारे में सरकार को सलाह देना तथा केन्द्र, राज्यों तथा पुस्तकें बनाने वाले अन्य अभिकरणों के बीच सहयोग तथा समन्वय की भावना बढ़ाना था ।

(दो) स्वयं पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की बजाय पाठ्य पुस्तकों की सामग्री तैयार करने पर बल देना चाहिये ;

(तीन) पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सिद्धान्त, कसौटियां तथा सामान्य सिद्धान्त बनाने चाहिये ;

(चार) राज्य सरकार की प्रार्थना पर तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों का पुनर्विलोकन करना चाहिये तथा उनके बारे में विशेषज्ञ परामर्श देना चाहिये ;

(पांच) एक ऐसा नियमित कार्यक्रम बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत परिषद् के विशेषज्ञ कर्मचारियों को समय-समय पर उन पाठ्य पुस्तकों का पुनर्विलोकन करना चाहिये जिन्हें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में लगाया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो विवाह

3587. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम

बनाये हैं ताकि वे दो विवाह न करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । सम्बन्धित नियम निम्नलिखित विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 का 21वां नियम

(1) कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिसके एक जीवित पत्नी हो; और

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक जीवित पत्नी हो, किसी से विवाह नहीं करेगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार एक सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे विवाह, जो खण्ड (1) या (2) में उल्लिखित हैं, करने की अनुमति दे सकती है यदि सरकार निम्नलिखित बातों से सन्तुष्ट है :

(क) कि व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी और विवाह के लिए अन्य व्यक्ति पर लागू होता है, ऐसा विवाह स्वकार्य है, और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है ।

काश्मीर के बारे में गोलमेज सम्मेलन

3588. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर राज्य जन सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि काश्मीर की समस्या हल करने के लिये सरकार को एक गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्मेलन में कुछ वक्ताओं ने गोलमेज सम्मेलन करने का सुझाव दिया था ।

(ख) सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

'भाहे' भारवाहक जहाज का डूबना

3589. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर, 1968 को कुवेत में रजिस्टर्ड भाहे नामक एक भारवाहक जहाज त्रिवेन्द्रम के समुद्र में डूब गया था ;

(ख) इस दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मरचेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1968 की धारा 359 के अन्तर्गत हताहतों की जांच के लिए एक प्रारम्भिक जांच की गई थी। जांच में जांच अधिकारी को बाधा थी क्योंकि जहाज के लेख जहाज के साथ नष्ट हो गये थे और मास्टर व कर्मी की दी हुई गवाही सहायताप्रद नहीं थी। अतः जांच से निकले जहाज के डूबने के कारण के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकले।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

3590. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने 11 तथा 12 अक्तूबर, 1968 को अपनी बैठक में सिफारिश की है कि राज्यों को शिक्षा के लिए अधिक धन दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों से शिक्षा के लिए अधिक धन नियत करने का निवेदन किया है। ऐसा अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र में कुल 1500 करोड़ रुपये अर्थात् 900 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र तथा 600 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता होगी।

(ख) राज्य क्षेत्र में 900 करोड़ रुपये की सम्भावना के विरुद्ध इस समय केवल 700 करोड़ रुपये रखे गये हैं और योजना के पुनरीक्षण पर इसके कम होकर 500 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों ने शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। केन्द्रीय योजना पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है। परन्तु साधनों की स्थिति को देखते हुए इसमें कमी करनी होगी।

Survey of Ancient Monuments in Ladakh

3591. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Archaeological Department of the Government of India have surveyed the forts, fortresses, 'stupas' and ancient monuments of historical importance built prior to 200 B. C. in the Ladakh area of Jammu and Kashmir state ;

(b) if so, the number of such monuments ; and

(c) the steps taken for their protection ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c). No such monuments of 200 B. C. or earlier have so far been located in the area. Ten medieval monuments have however been located, five of which have already been surveyed, and the remaining five will be surveyed in due course.

भारत तथा अर्जेन्टाइना के बीच पर्यटक तथा पारगमन वीजा

3592. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा अर्जेन्टाइना की सरकारों के बीच एक करार पर हाल में हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अन्तर्गत पारस्परिक आधार पर "कौन्सलर" शुल्क के बिना पर्यटक तथा पारगमन वीजा दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत मुफ्त वीजा जारी करने में जो हानि होगी उसकी तुलना में भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) जी, हां ।

(ख) वीजा फीस हटाने के कारण राजस्व की अनुमानित हानि केवल 2,500 रुपये वार्षिक होने की संभावना है । यह सद्भावनापूर्ण कार्य दोनों देशों के बीच और अधिक अच्छे मित्रता पूर्ण संबंधों का सृजन करेगा, और इसका उद्देश्य अर्जेन्टाइना से भारत के लिए पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में भी वृद्धि होगी ।

हल्दिया पत्तन परियोजना

3593. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्ष पूर्व आरम्भ किये जाने के पश्चात् हल्दिया पत्तन परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब पूरा होने तथा एक पूर्णरूपेण पत्तन के रूप में कार्य करने की सम्भावना है ;

(ग) इस पत्तन से प्रतिवर्ष उतारे तथा चढ़ाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के माल का ब्योरा क्या है ;

(घ) इसका विकास करने पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आयेगा ; और

(ङ) पत्तन पर कार्य आरम्भ हो जाने के पश्चात किस प्रकार और कितनी अवधि में कुल लागत वसूल हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (**डा० वी० के० आर० वी० राव**) : (क) तेल उतारने या लादने का पक्का घाट पूरा हो चुका है और 11 अगस्त, 1968 से चालू कर दिया गया है 6 जहाजों की जगह वाला डाक सिस्टम और आधीन सुविधाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है । माइनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को खनिज की जगह और कोयले की जगह पर स्थापना के लिये क्रम से एक खनिज ढुलाई संयंत्र और कोयला ढुलाई संयंत्र के प्रदाय के लिये आर्डर दिया जा चुका है । 12 रेलवे इंजनों प्रदाय के लिये रेलवे को एक आर्डर दे दिया गया है ।

(ख) डाक सिस्टम 1971 के प्रारम्भ में बनने व चालू होने की आशा है ।

(ग) हल्दिया मुख्यत: थोक वस्तुओं का जैसे, कोयला, खनिज, अनाज उर्वरक और पेट्रोल तेल, चिकनाई की व्यवस्था करेगा । इसके अतिरिक्त, सामान्य माल को कम मात्रा में प्रबंध करने की भी आशा की जाती है । यदि अनाज व उर्वरक का प्रबंध संयंत्र के द्वारा किया जाता है वा हल्दिया प्रति वर्ष लगभग 14 करोड़ टंस था, प्रबंध करने की स्थिति में होगा ।

(घ) लगभग 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के सहित परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 52.7 करोड़ रुपये है ।

(ङ) परियोजना के आय .व्यय का प्रबंध भारत सरकार के ऋण से किया जा रहा है जिसका व्याज $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है और 25 वर्ष से अधिक की अवधि में वार्षिक किस्तों में अदा किया जायेगा । कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर से ऋण की अदायगी होने से परियोजना की लागत वसूल हो जायेगी ।

उड़ानों में वस्तुओं की बिक्री के लिए एयर इंडिया द्वारा भारतीय मुद्रा का स्वीकार न किया जाना

3594. **श्री अदिचन :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया न केवल अन्तर्राष्ट्रीय वायु सीमा में अपितु भारतीय हवाई अड्डों के बीच भारतीय वायु सीमा में उड़ानों के दौरान सिग्रेट तथा पेय वस्तुओं के लिए भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अनुसार भारतीय मुद्रा के आयात एवं निर्यात की अनुमति नहीं है, तथा एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के पास भारतीय मुद्रा होने की आशा नहीं की जाती । अत: एयर इंडिया अपने विमानों पर भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं करते ।

भोजनालयों में खाद्य पदार्थों के मूल्य

3595. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रमुख नगरों में भोजनालयों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा शराब के मूल्यों की जांच की है ;

(ख) क्या वर्तमान मूल्यों को अधिक तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में बाधा समझा गया है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में 'हसेसिया' नामक 'बार' बीयर की एक बोतल के 9.50 रुपये होते हैं जोकि भारत में किसी भी उच्चकोटि के होटल तथा 'बार' में लिये जाने वाले मूल्य से दुगना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने रेस्टोरैंटों में कीमतों के प्रश्न की सामान्य रूप से जांच करने और जहां कहीं व्यवहार्य हो उन्हें कम करने के उपाय सुझाने के लिए अक्तूबर, 1964 में एक समिति की स्थापना की थी । विभिन्न पेचीदा एवं परिवर्तनशील तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए समिति कोई व्यावहारिक सिफारिशें नहीं कर सकी और यह महसूस किया गया कि सरकार को तो मूल मदों को कीमतों को स्थिर रखने की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, तथा रेस्टोरैंटों द्वारा ली जाने वाली कीमतों को प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जा सकता है ।

(ख) यद्यपि कुछ रेस्टोरैंटों द्वारा ली जाने वाली कीमतें ऊंची मानी जा सकती हैं, लेकिन वे अधिकांशतया बढ़ती कीमतों के सामान्य रुख को जाहिर करती है तथा वे इतनी अधिक ऊंची नहीं हैं कि पर्यटन की अभिवृद्धि में बाधक बन जायें ।

(ग) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

सड़क परिवहन उद्योग

3596. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कलकत्ता में 1 अगस्त को एक बैठक में यह बात स्वीकार की थी कि सड़क परिवहन उद्योग को जिन दो मुख्य बाधाओं के अधीन काम करना पड़ता है वे हैं सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिये पर्याप्त धन को व्यवस्था न की जाना और मोटर गाड़ियों की प्रारम्भिक लागत और उनको चलाने के खर्च पर बढ़ते हुए करों के भार का संचित परिणाम ; और

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने और सड़क परिवहन उद्योग को ठोस आधार पर खड़ा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सड़क परिवहन कराधन जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मोटर गाड़ियों पर कर दूसरे करों के दर के मुकाबले में तेजी से बढ़ गये हैं । समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि चलन की लागत में कर को तत्व सड़क परिवहन के स्वस्थ विकास में निश्चित अप्रेरणादायक हो गया है । अपनी अंतिम रिपोर्ट में, केसकर समिति ने यह टिप्पणी की है कि राज्य व केन्द्र के बजटों में सड़कों के विकास व रख-रखाव के लिये बहुत ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मोटर गाड़ियों के करों से प्राप्त राजस्व

पर बिना विचार किये आसय के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक व वांछनीय है कि सड़कों पर व्यय का स्तर काफी बढ़ा दिया जाय।

(ख) उक्त निष्कर्ष जून, 1968 को हुई परिवहन विकास परिषद ने अपनी बैठकों में विचार-विमर्श किया तदनन्तर परिवहन तथा **नौवहन** केन्द्रीय मंत्री ने मुख्य मंत्रियों/राज्यों के राज्यपालों आदि का एक अर्द्ध सरकारी पत्र उनके सहयोग और व्यक्तिगत पहल के लिये लिखा ताकि परिषद के ये निष्कर्ष कि मोटर गाड़ियों पर वर्तमान करों के स्तर में ऊपरी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और चौथी योजना काल में सड़कों के विकास व रख-रखाव के लिये ऊंची राशि का आवंटन होना चाहिए, तेजी से और पूरी तौर से कार्यान्वित की जाय। केन्द्रीय सड़क निधि को बढ़ाने की संभावना विचाराधीन है।

रनकपुर मन्दिर, राजस्थान का पर्यटकों के लिए विकास

3597. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के प्रसिद्ध 'रनकपुर' मन्दिर को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र में दिखाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 'रनकपुर' में 'पर्यटक लाज' तथा छोटी हवाई पटरी बनाने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता में हुगली पर दूसरा पुल

3598. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उदारता से धन की मंजूरी दिये जाने के बावजूद कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है क्योंकि रेलवे और पत्तन अधिकारियों में विवाद है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जिससे शीघ्र निर्माण-कार्य आरंभ हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). हुगली नदी पर प्रस्तावित नया पुल स्थानीय मार्ग पर होगा। हुगली नदी सेतु अधिनियम 1968 जो हाल

ही में राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है, राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वे पुल के निर्माण के लिये और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिये एजेन्सी की नियुक्ति करे, यह समझा जाता है कि इस मामले में रेलवे और पत्तन प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद नहीं है और अब पश्चिमी बंगाल सरकार को निर्णय लेना है।

हरिजनों की कठिनाइयां

3599. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री शिव चरण लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार 14 फरवरी, 1968 से लेकर 2 अक्तूबर, 1968 तक (गांधी जयन्ती दिवस) सवर्ण हिन्दुओं द्वारा कितने हरिजनों को यंत्रणा दी गई, मारा गया तथा घायल किया गया और जिनमें यह घटनाएं घटीं उन कस्बों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या तथाकथित अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां तो कब और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सवर्ण हिन्दुओं के रोष से गरीब हरिजनों को बचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवहारिक कार्यवाही की है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ हरिजनों की दशा पर विचार करने के लिये 19 मई, 1968 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। गृह मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को अपनी सारी शक्ति समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में लगानी चाहिए ताकि उनकी दशा सुधरे। इस पर सहमति प्रकट की गई कि अनुसूचित जातियों में विश्वास पैदा करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि उन घटनाओं की, जिनमें सवर्ण हिन्दू और अनुसूचित जातियां उलझी हुई हैं, सामान्य से अधिक सावधानी के साथ तथा तत्परता से जांच की जानी चाहिए तथा समस्त सम्भव प्रयत्न यह सुनिश्चित करने के लिये किये जाने चाहिए कि अपराधी कम से कम सम्भव समय में न्यायालय के समक्ष लाये जाते हैं। यदि आवश्यक हो, तो विशेष जांच दल बनाए जाएं ताकि अपर्याप्त जांच के कारण मुकदमें में बाधा न पड़े।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार असम, जम्मू व कश्मीर, केरल, मैसूर, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, चन्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव,

मिनिकाय व अमिनदिवी द्वीप समूह, मनीपुर, नेफा, पाण्डीचेरी और त्रिपुरा में 24 फरवरी, 1968 से 2 अक्तूबर, 1968 तक कोई ऐसे मामले नहीं हुए। गुजरात में दो हरिजन मारे गये थे। तथा दो मामलों में हरिजन जख्मी हुए थे। कत्ल के मामलों में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा आरोप लगाये गये हैं। मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं। चोट के मामलों में 40 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

2. दिल्ली में 3 हरिजन जख्मी हुए थे। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था जो गिरफ्तार किये गये थे। मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मुकदमा अनिर्णीत पड़ा है।

3. शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

मौलिक शिक्षा पर व्यय

3600. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण शिक्षा की तुलना में मौलिक शिक्षा पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ;

(ख) इस व्यय को करने का क्या औचित्य है जब कि योजना आयोग की स्टीयरिंग कमेटी ने यह पता लगाया है कि इनमें से अधिकांश स्कूल साधारण स्कूलों से भिन्न नहीं हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि माता पिता बच्चों को मौलिक स्कूलों में भेजने में अड़चन डालते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है कि यह मौलिक शिक्षा की तकनीक में तुलनात्मक अदक्षता के कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गैर-मौलिक शिक्षा के स्कूलों पर व्यय की अपेक्षा मौलिक स्कूलों में प्रति छात्र व्यय कम होता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हाल में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां

3601. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष

के रूप में नियुक्त किये गये गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम, उनकी उपलब्धियां और शैक्षणिक योग्यतायें क्या थीं ;

(ख) इन नियुक्तियों से संबंधित नियम क्या हैं ; और

(ग) क्या इन नियुक्तियों के लिये मंत्रिमंडल अथवा किसी अन्य प्राधिकार की मंजूरी लेनी आवश्यक है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2576/68]

चौथी योजना में शिक्षा के लिये राशि का नियतन

3602. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में शिक्षा के लिये नियत की गई राशि 1,500 करोड़ रुपये से घटाकर 900 करोड़ रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नियत राशि में की गई इस कटौती के परिणामस्वरूप कौन-कौन सी योजनायें छोड़ दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) शिक्षा संबंधी चौथी आयोजना को अभी अन्तिमरूप दिया जाना है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन पत्तन

3603. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टीमरों के गुजरने के लिये कोचीन पत्तन पर शुष्क गोदी, जल तथा 'बंकर' आदि का प्रबन्ध करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). गुजरते हुये स्टीमरों के लिये अलग से सूखी जगह व पानी देने का या कोयला रखने की जगह की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी कोचीन पत्तन के चौथी योजनाओं के प्रस्तावों में सूखे जगह जो पत्तन के तैरते हुए पोतों और गुजरते हुए स्टीमरों की आवश्यकताओं का प्रबंध करेगा उनके निर्माण की व्यवस्था की गई है ।

कोयला रखने के बारे में बंदरगाह के अन्दर इंतजाम किया गया है जिसका इस्तेमाल कोचीन पत्तन पर माल ले जाते हुये और गुजरते हुए स्टीमरों दोनों से किया जाता है । तेल कंपनियों की अपने भंडार की टंको जो टापू में होती है पत्तन ने इस आशय से सभी घाटों को पाइप लाइनें दे रखी हैं । तेल कंपनियों ने जहाज जो प्रवाह में है उनको कोयला रखने की जगह बड़ी नावों में रखी है । यह समझा जाता है कि भारतीय तेल निगम बंदरगाह के बाहर गुजरते हुए जहाजों को मौसम को स्थिति के अनुसार अपनी नावों में तेल देने में समर्थ होंगे । पानी के संबंध में पत्तन के पास घाटों में पानी निकालने का बंबा तट पर है जिससे घाटों पर माल का प्रबन्ध करने वाले जहाज को पानी मिल जाता है प्रवाह के जहाजों को पत्तन बड़ी नावों से पानी देता है ।

लखनऊ में अल्पसंख्यकों का सम्मेलन

3604. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री अकिंचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस वर्ष अक्तूबर महीने के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में पुलिस मंत्रालय के तत्वावधान में हुए अल्पसंख्यकों के उत्तर प्रदेश सम्मेलन के दो दिवसीय अधिवेशन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा और उत्थान के लिये उस सम्मेलन में क्या-क्या विचार व्यक्त किये गये और क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की निराधार शंकाओं और भय को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधिवेशन ने पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां तथा अन्य अल्पसंख्यकों के एक महासंघ की स्थापना का निश्चय किया था जो आपस में एकता बढ़ाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(ग) सरकार पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की दशा को सुधारने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रही है । विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्जीवित किया गया है ।

विदेशी नागरिकों के दार्जिलिंग जाने पर प्रतिबन्ध

3605. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० लकप्पा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों पर लगे यात्रा सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध हाल ही में हटा लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने और देश में अन्य पर्यटक केन्द्रों की यात्रा करने के लिये विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दार्जिलिंग की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्धों में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फौरेनर्स (रिस्ट्रिक्टेड एरिया) आर्डर, 1963 के अनुसार दार्जिलिंग की यात्रा करने के इच्छुक विदेशियों को स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। 1965 में सभी भारतीय दूतावासों को यह अधिकार दिया गया कि वे एक सप्ताह तक दार्जिलिंग में ठहरने के लिये वीजा दे सकते हैं। भारत में पहुंचने पर विदेशी पंजीकरण कार्यालय (फौरेनर्स रजिस्ट्रेशन आफिस) से भी आवश्यक परमिट लिया जा सकता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय

(i) विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर जहां पर्यटक पहले से आते हैं उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं में सुधार करना;

(ii) यात्रियों को इन स्थानों को गंतव्य स्थान के रूप में आकृष्ट करने के उद्देश्य से कोवालम, गुलमर्ग तथा गोवा का समेकित आधार पर विकास;

(iii) हवाई अड्डों पर अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था;

(iv) देश में स्थल यात्राओं के लिये अधिक संतोषजनक तथा समुचित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था;

(v) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान द्वारा अधिक होटल-शय्याओं की व्यवस्था;

(vi) वन्य पशु तथा शिकार पर्यटन का विकास;

(vii) पर्यटन सुविधाओं में सुधार एवं वृद्धि करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों, व निजी क्षेत्र को अनुदानों तथा ऋणों द्वारा सहायता प्रदान करना, जिससे पर्यटन के आधारभूत उपादानों की सुव्यवस्था के लिये यात्रा व्यवसाय में विनियोजन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके;

(viii) पर्यटक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था के उद्देश्य से प्रशिक्षित एवं योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों का एक संवर्ग स्थापित करने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना;

(ix) विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली और अधिक यूनिटों का खोलना तथा मौजूदा यूनिटों में प्रचार कार्य अभियान को और अधिक बढ़ाना;

(x) 14 देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा शुल्क को समाप्त करना; और

(xi) अस्थायी लैंडिंग परमिट की वैधता की अवधि को पहले के 72 घंटों के मुकाबले में बढ़ाकर 7 दिन कर देना ।

हिप्पियों की गिरफ्तारी के लिये औपचारिकताओं का पालन किया जाना

3606. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी दूतावासों ने भारत में अधिकारियों से कहा है कि यदि किसी हिप्पी को गिरफ्तार किया जाता है अथवा दण्ड दिया जाता है तो उन्हें संबंधित दूतावासों को सूचना देने की औपचारिकताओं का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो भारत में और विशेषतया राजधानी में हिप्पियों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि किन परिस्थितियों में हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिप्पियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि राजधानी में काम करने वाले मैजिस्ट्रेट उनके कृत्यों की इस अभूतपूर्व वृद्धि से परेशान हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को प्रभावी रूप से संभालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः प्रश्न का संबंध उन घुमक्कड़ विदेशी राष्ट्रिकों से है जो सामान्यतः स्वीकृत स्तरों की वेश-भूषा आदि के अनुरूप नहीं रहते हैं । उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) से (घ). ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारत में या विशेषतया राजधानी में हिप्पियों की संख्या में चौकन्ना करने वाली वृद्धि हुई है; और न कोई ऐसी सूचना है कि उनके द्वारा किये गये अपराध इतने बढ़ गये हैं जिससे दण्डनायक-गण के लिए समस्या उत्पन्न हो गई हो। फिर भी, ऐसे विदेशियों द्वारा अपराधों के कार्य को कम करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

एक मस्जिद को मन्दिर में बदलना

3607. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1968 के एक मराठी दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के कल्याण जिले में दुर्गादी किला में एक मस्जिद में दुर्गा की मूर्ति स्थापित करके उसे एक मन्दिर में बदलने का यत्न किया था;

(ख) क्या उन्हें इस बारे में एक संसद्-सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र का पता है;

(ग) क्या सरकार ने इस सारी घटना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रपति को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हम महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मालूम कर रहे हैं कि क्या उन्हें प्राप्त हुआ है।

(ग) तथा (घ). मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

कलकत्ता में हुए झगड़ों के बारे में प्रतिवेदन

3608. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक बंगाली दैनिक समाचार-पत्र 'जुगान्तर' ने अपने 10 अगस्त, 1968 के अंक में परिवहन कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच बार-बार होने वाले झगड़ों के कारणों की जांच करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित किये गये राय चौधरी आयोग के प्रतिवेदन का सारांश प्रकाशित किया था;

(ख) क्या उन्हें पता है कि 'जुगान्तर' द्वारा प्रकाशित इस प्रतिवेदन के सारांश के अनुसार आयोग ने बार-बार होने वाले इन झगड़ों के लिये पुलिस कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन का पूरा विवरण जनता की जानकारी के लिये अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 10 अगस्त, 1968 को प्रकाशित 'जुगान्तर' के अंक में श्री राय चौधरी की रिपोर्ट का सार बताया जाने वाला एक लेख छपा था। रिपोर्ट के समाचार-पत्र में छपे हुए विवरण में पुलिस पर संघर्ष के आरोप लगाये गये हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है क्योंकि श्री राय चौधरी ने केवल एक कार्यकारी जांच की थी न कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच की थी। रिपोर्ट प्रकाशित करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

24 परगना जिला में लाठी प्रहार

3609. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 सितम्बर, 1968 को पुलिस ने पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में अलीपुर के कलक्टर के कार्यालय के अहाते के अन्दर जनता पर लाठी प्रहार किया था;

(ख) क्या इस लाठी प्रहार के परिणामस्वरूप एक अतिरिक्त जिलाधीश सहित अनेक व्यक्ति और कुछ सरकारी कर्मचारियों को चोटें आईं;

(ग) यदि हां, तो (एक) पुलिस को किन परिस्थितियों में लाठी प्रहार करने के लिये बाध्य होना पड़ा और (दो) पुलिस को लाठी प्रहार करने का अधिकार किसने दिया;

(घ) क्या सरकार इस सारे कांड की न्यायिक जांच कराने का आदेश देने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 सितम्बर, 1968 को अलीपुर के कलक्टर के कार्यालय के अहाते में छोटे दुकानदारों के बीच एक छोटे झगड़े ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया जिसमें कुछ बाहर के व्यक्ति भी शामिल थे। स्थिति पर काबू पाने के लिये पुलिस को लाठी-प्रहार करना पड़ा था। कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिनमें से एक अतिरिक्त जिला दण्डनायक को लगा। पुलिस दल के सब-इन्सपेक्टर इन्चार्ज ने लाठी-प्रहार का आदेश दिया था। मण्डलायुक्त द्वारा घटना की जांच की गई है और कोई अदालती जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है।

पश्चिमी बंगाल की सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3610. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सतर्कता आयोग द्वारा हाल ही में भारतीय प्रशासनिक

सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित अनेक सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे उन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा आरोप लगाये गये हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं; और

(घ) भारत सरकार ने इनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सतर्कता आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों सहित पश्चिम बंगाल में कुछ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं।

(ख) श्री जी० गोम्स, भा० प्र० से०
श्री एस० सेन गुप्त, भा० प्र० से०
श्री पी० एल० धर, भा० पु० से०
श्री एस० के० सिंह, भा० पु० से०

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध ये आरोप हैं :—

श्री जी० गोम्स — अनुपातहीन रकमें तथा बस परमिटों का अनियमित जारी करना,

श्री एस० सेन गुप्त —टेस्ट रिलीफ फंड का अनियमित प्रयोग और रवीन्द्र भवन समिति, बंकुरा के लिये एकत्रित की गई निधि का अनियमित प्रयोग,

श्री पी० एल० धर —अनियमित तथा अनैतिक रीति में सम्पत्ति का अर्जन,

श्री एस० के० सिंह —जिला पुलिस कल्याण निधि के लिये अनधिकृत धन एकत्रित करना तथा सहकारी भंडारों की निधि को जिला पुलिस कल्याण निधि में अनियमित परिवर्तन करना।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं। तथापि, उच्च-न्यायालय के आदेशों के अधीन श्री पी० एल० धर, भा० पु० से० के विरुद्ध जांच स्थगित कर दी गई है।

डा० खुराना को नोबल पुरस्कार मिलना

3611. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री अब्दुल गनी दार** :
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञान के लिये 1968 के तीन

नोबल पुरस्कार विजेताओं में से एक व्यक्ति डा० हरगोविन्द खुराना को भारत में कोई उपयुक्त पद नहीं मिला था और न ही उन्हें इस देश में अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध हुई थीं और इन कारणों से उन्हें अमरीका जाने और वहां बसने के लिये बाध्य होना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले भारत में इन सुविधाओं के अभाव के कारण ही इस देश को नोबल पुरस्कार से वंचित होना पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार अब भारत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लगातार देश छोड़कर विदेशों में चले जाने की समस्या के प्रति जागरूक है और यदि हां, तो इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिये क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). डा० हरगोविन्द खुराना को पहले कम से कम दो अवसरों पर वरिष्ठ नियुक्तियां देने की पेशकश की गयी थी परन्तु उन्होंने उन पेशकशों को स्वीकार नहीं किया था ।

(ग) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों को भारत लौटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए की गयी कोशिशों को 2 अगस्त, 1968 को लोक-सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के भाग (ग) में पहले ही बताया जा चुका है । वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविज्ञों तथा इंजीनियरों को रोजगार के और अधिक अवसर तभी मिल सकते हैं जब आर्थिक प्रगति जल्दी हो ।

Consultative Committee for Bihar

3612. **Shri Valmiki Chaudhary** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the subjects discussed at in the sitting of the Consultative Committee for Bihar held in Patna during the first week of October and the decisions taken thereon ; and

(b) the action taken so far in regard to those decisions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) the first meeting of the Cunsultative Committee on Bihar Legislation was held at Patna on the 10th October, 1968. The minutes of the meeting are placed on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-2577/68]**

(b) The proceedings of the meeting have been forwarded to the State Government for taking necessary action.

मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का पढ़ाया जाना

3613. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में हिन्दी पढ़ाने के लिये बड़ी संख्या में एक शिक्षक वाले स्कूल खोलने की सरकार की योजना है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राजनीतिक दल इस योजना की क्रियान्विति होने देने के विरुद्ध हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार और क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। जो लोग स्वयं हिन्दी भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा एक अध्यापक वाले कुछ अतिरिक्त हिन्दी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। सभा की प्रार्थना भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कुछ राजनैतिक दलों द्वारा विरोध किये जाने के समाचार समाचार-पत्रों में छपे हैं यह विरोध इस गलतफहमी के कारण हैं कि भारत सरकार अपनी ओर से स्कूल खोल रही है और न कि स्वेच्छिक संगठन द्वारा। इस गलतफहमी को अब दूर किया जा चुका है और केन्द्रों के चलाने का अब विरोध नहीं किया जा रहा है।

सिल्वर आक्साइड जिंक सैल प्रणाली का विकास

3614. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल एलेक्ट्रो-कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराई सिडी ने सिल्वर आक्साइड जिंक सेल प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तकनीकी नोट अप्रैल, 1968 में उद्योग के लिए भेज दिया गया था। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की इस प्रक्रिया को प्रकाश में लाने लिए कई फर्मों के साथ बातचीत चल रही है।

तमिलनाड में मन्दिरों का पुनरुद्धार

3615. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाड में कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार के लिये यूनेस्को से सहायता मांगी है;

(ख) क्या यूनेस्को ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यूनेस्को से इस काम के लिये किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यूनेस्को ने श्रीरंगम स्थित श्री रंगानाथा स्वामी मन्दिर के पुनरुद्धार के बारे में परामर्श देने के लिये 1966 में लगभग तीन सप्ताह के लिये एक विशेषज्ञ को लगाया था। वह चालू वर्ष में दो विशेषज्ञों (एक तीन महीनों के लिये तथा दूसरा तीन सप्ताह के लिये) तथा इस काम के लिये 12,000 डालर के मूल्य के उपकरणों की व्यवस्था की गई है। वह संस्था

एक ऐसे प्रकाशन के लिये, जिसमें मन्दिर में किये जाने वाले काम को दर्शाया गया हो तथा उसके सांस्कृतिक हित और मूल्य की व्याख्या की गई हो, 3000 डालर देने के लिये सहमत हो गई है। 1969 में यह आशा है कि यूनेस्को एक विशेषज्ञ की सेवायें चार महीने तक तथा 12,000 डालर के उपकरण की व्यवस्था करेगा।

दिल्ली प्रशासन का लापता अवर सचिव

3616. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का एक अवर सचिव 15 अक्तूबर, 1968 से लापता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका पता लगा लिया गया है;

(ग) यह अवर सचिव किन परिस्थितियों में लापता हुआ है; और

(घ) जांच का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

More Powers for States

3617. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the statement of Sant Fateh Singh regarding giving of more powers to the States ;

(b) whether it is also a fact that some Akali leaders of the Master Tara Singh Group in Punjab are thinking of an independent Punjab State also ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the State Government the All India Akali Conference held at Batala on September 28 and 29, 1968, the Akali Party (Sant Group) passed a resolution demanding greater autonomy for the States. The State Government have further reported that the erstwhile Master Group of Akali Dal had demanded Sikh Homeland. However, after the merger of both groups on October 6, 1968, Sant Fateh Singh President of the S. A. D. declared publicly that he was not in favour of sikh homeland ;

(c) Government do not think that any basic changes in the existing constitutional provisions relating to relations between the Centre and the States are called for.

कलकत्ता में सशस्त्र डकैतियां

3618. **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कलकत्ता में कुल कितनी

सशस्त्र डकैतियां हुई हैं;

(ख) इन डकैतियों में कुल कितना धन लूटा गया;

(ग) इस बारे में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उस राज्य में ऐसी सशस्त्र डकैतियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) 2

(ख) 5,11,278 रु० की हानि हुई बताई जाती है ।

(ग) 25

(घ) कलकत्ता पुलिस के गुप्तचर विभाग द्वारा इन दोनों मामलों में जांच की जा रही है ।

(ङ) पुलिस द्वारा कलकत्ता में बैंकों और डाकघरों की सुरक्षा तथा विभिन्न सार्वजनिक और निजी उपक्रमों के रोकड़ ले जाने पर भी विशेष बल दिया गया है । प्रभावित क्षेत्रों में सड़क-गश्त भी बढ़ा दी गई है । जहां कहीं आवश्यक होता है, कानून के अनुसार निवारक कार्यवाही भी की जा रही है ।

चुराई गई पुस्तकों सम्बन्धी जांच समिति

3619. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद द्वारा स्थापित की गई चुराई गई पुस्तकों सम्बन्धी जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही को गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) उत्तर नकारात्मक हो तो कब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस समिति की अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसी कोई समिति नहीं बनायी थी । अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से पुस्तकों का गायब हो जाना

3620. **श्री गणेश घोष :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री शारदा नन्द :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से 1961 से लगभग 2,00,000 पुस्तकें गायब हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई है ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3621. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री के० हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में महानदी पर पुल

3622. **श्री दीपा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उड़ीसा के फूलबनी और ढेंकनाव जिलों में ढालपुर, पुलसर, बांध और काईकता में महानदी पर पुल बनाने के लिये हाल में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों के निर्माण पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) यह काम कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी नहीं। प्रस्तावित पुल राज्य मार्ग पर पड़ेंगे। अतः राज्य सरकार ही मुख्यतः इन पुलों के निर्माण से संबंधित है। फिर भी माननीय सदस्य से हवाला मिलने पर राज्य सरकार से कुछ आवश्यकीय आंकड़े देने की प्रार्थना की गई ताकि भारत सरकार मामले की जांच कर सके। राज्य सरकार से पूर्ण सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देना

3623. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मुख्य मंत्रियों को इस आशय का पत्र लिखा है कि वे साम्प्रदायिक शान्ति को बढ़ावा देने के लिये अल्पसंख्यक समुदायों को सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये विशेष प्रयत्न करें ;

(ख) क्या ऐसी कार्यवाही के कारण और अधिक निहित हित पैदा नहीं हो जायेंगे, जिससे और अधिक अशान्ति फैलेगी ; और

(ग) क्या इस कार्यवाही के कारण बहुसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लिये प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर 19 मई, 1968 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। सामान्य सहमति यह थी कि वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों के पालन को ध्यान में रखते हुए सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और यह कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उचित अवसर दिये जायें।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

Power for Central Reserve Police to Launch Prosecutions

3624. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Murasoli Maran :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring forth a legislation to empower the Central Reserve Police not only to make arrests but also to launch prosecutions ;

(b) whether the State Governments have been consulted in the matter ; and

(c) if so, the reactions of various State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such proposal.

(b) and (c). Do not arise.

Bus Permit to Uttar Pradesh Harijan Transport Society

3625. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bus route permit has been given to Chaudhary Lilaram Rajoria by the R. T. A., Meerut Division, in August, 1968 on behalf of the Uttar Pradesh Harijan Transport Society ;

(b) if so, whether the R. T. A. had enquired about the registration of the said Society ;

(c) whether Government have received any memorandum against the said person in connection with irregularities ;

(d) if so, the reasons for issuing permit to such bogus Society or person ; and

(e) the action Government now propose to take in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) According to the Government of U. P., no bus permit was given to Chaudhary Lilaram Rajoria by the R. T. A., Meerut, in August, 1968, on behalf of U. P. Harijan Transport Society. However, a bus permit was issued in the name of the Harijan Transport Cooperative Society on an application made by Shri S. Ganpat Hussain Rajoria in August, 1968, after inviting objections. No objection was, however, received.

(b) According to the State Government, during the course of hearing, the Regional Transport Authority had enquired about the registration of the said society and was informed that it was a registered society.

(c) to (e). The State Government have not received any such memorandum so far ; but the R. T. A. has been informed **vide** an application dated 7.10.68 that the society had not been registered. The matter is being enquired into.

Regist ered

To

The Secretary,
Regional Transport Authority,
Meerut.

Ref :— Grant of permit on Khurja Sikandrabad and
Sikandrabad-JhajjarJewar routes.

Sir,

It is reliably learnt that the Regional Transport Authority has granted a stage carriage permit to Harijan Transport Cooperative Society Khurja on any of these routes. This is not a registered cooperative society and there was no record in support of its registration before the RTA at the time of the consideration of applications on the route.

It is requested that the said permit be issued only after documents regarding its registration, Members list and Byelaws are taken in office file because we would be agitating the matter in appeal and also with higher authorities.

Dated 7.10.68 Sd./-Nathu Singh, (In English)
Bulandshahr

Attested

Sd/-XXX
Regional Transport Officer,
Meerut.

जम्मू में एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप

3626. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1956 को जम्मू में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तथा एक पुलिस अधीक्षक ने एक 25 वर्षीय अविवाहित लड़की के साथ बलात्कार किया ;

(ख) क्या उस राज्य के पुलिस महानिरीक्षक ने इस मामले की जांच की है और उन अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह सूचित किया गया है कि 18 अक्तूबर, 1968 को 2 पुलिस अधिकारियों ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ।

(ख) जम्मू व काश्मीर सरकार के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने मामले की जांच की थी । इस समय दोनों अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एक अधिकारी के विरुद्ध जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा तथा दूसरे अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं ।

भारत में नगरीय अनुसंधान कार्य

3627. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नगरीय अनुसन्धान कार्यक्रम कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली से तथा सायट, हैदराबाद के सहयोग से प्रायोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस अनुसन्धान के लिए फोर्ड फाउण्डेशन भी कुछ धन देता है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तथाकथित अनुसंधान के परिणामस्वरूप उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों, छावनियों, तथा हवाई अड्डों की विस्तृत सर्वेक्षण योजनायें तथा मानचित्र अमरीका पहुंच गये हैं तथा महत्वपूर्ण मूल्यवान जानकारी भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे विदेशी विशेषज्ञों ने एकत्रित करके दूसरे को दे दी है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केलीफोर्निया, अमरीका की स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था ने स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर नई दिल्ली तथा लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण संस्था हैदराबाद के सहयोग से एक नगरीय अनुसंधान परियोजना चालू की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कोई निषिध अथवा सुरक्षात्मक मानचित्र और सामग्री प्राप्त नहीं की गयी अथवा भारत से बाहर नहीं भेजी गयी।

(घ) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

ARC for more Powers to State Governors

3629. **Shri Ramavatar Shastri : Shri Valmiki Choudhary : Shri K. P. Singh Deo : Shri Sita Ram Kesri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Study Team appointed by the Administrative Reforms Commission has made recommendations to the effect that more powers be conferred on the State Governors so that they may be able to play a more effective role in the administration of the States ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the details of other recommendations made by the Study Team and the decisions taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The recommendations of the Study Team on state level administration appointed by Administrative Reforms Commission are contained in its report submitted to the Commission, copies of which have been placed in the Parliament Library. These are intended to assist the Commission in arriving at its own conclusions. The Commission has yet to submit its recommendations on the subject to the Government. The question of the Government considering the recommendations of the study team does not arise at this stage.

नेफा में सिविल प्रशासनिक पदों पर इन्फीरियर ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति

3630. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा क्षेत्र के जिलों तथा उप खण्डों के सिविल प्रशासनिक पदों पर और आसाम के अन्य जिलों के जिन पदों पर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं ; उन पर मूलतः स्थानीय तथा इन्फीरियर ग्रेड के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अधिकारियों को नेफा क्षेत्रों से बाहर आसाम में अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कुशल प्रशासन के सिद्धान्त के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सिविल प्रशासन के सम्बन्ध में नेफा को भी अन्य क्षेत्रों के समान ही समझेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । नेफा में इस समय वरिष्ठ पदों पर भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी नियुक्त हैं ।

(ख) से (घ). जी हां, श्रीमान् । इसका कारण यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आसाम संवर्ग के साथ कोई संयुक्त संवर्ग नहीं है । अब चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का संघ राज्य क्षेत्रों का एक संवर्ग है अतः नेफा की भी वही स्थिति है जैसी अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की । नेफा में यथासमय संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ।

आसाम में उप-राज्य

3631. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह मान लिया है कि आसाम राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के आन्दोलन-कर्ताओं को सन्तुष्ट करने के लिये आसाम में एक उप-राज्य बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा तथा आधार क्या है ;

(ग) इस उप राज्य को चलाने के लिए कितने वार्षिक व्यय की आवश्यकता होगी तथा क्या यह व्यय उस उप-राज्य के संसाधनों से पूरा किया जायेगा अथवा उसके लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ; और यदि हां, तो यह सहायता कितनी होगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस राज्य में अथवा अन्य किसी राज्य में ऐसे उप-राज्य बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). असम राज्य में स्वायत्त राज्य के बनाने की योजना 11 सितम्बर, 1968 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति में घोषित की गई थी । विज्ञप्ति की एक प्रति, जिसमें योजना का ब्योरा है, पहले ही 29 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है । योजना को तैयार करते समय सरकार के सामने मार्ग-दर्शी विचार यह था कि पहाड़ी लोगों की राजनैतिक अकांक्षाओं के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता के

अनुसार तथा असम राज्य के अन्य भागों में बसे अन्य लोगों की भलाई के लिए, राज्य की समुचित एकता को सुरक्षित रखा जाय।

(ग) इस अवस्था में ठीक-ठीक राशि बताना सम्भव नहीं है जो स्वायत्त राज्य को चलाने में लगेगी तथा कितना व्यय उसके अपने साधनों से पूरा किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

हिमालय में भूतत्वीय अनुसंधान संस्था

3632. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय में विद्यमान खनिज सम्पत्ति का पता लगाने के लिये हिमालय में भूतत्वीय अनुसंधान संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). हिमालय में भूतत्वीय अनुसंधान संस्थान पहले ही स्थापित हो चुका है और इसका अस्थायी मुख्य कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में दिलचस्पी लेने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से हिमालय के भूतत्वों, उनके खनिज तथा धातु संसाधनों, नदियों की प्रणालियों, गलेश्वरों वगैरह के अध्ययन को बढ़ावा देना है। सोसायटी पंजीकरण (अधिनियम 1860 के xxi) के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में इस संस्था का पंजीकरण किया गया है। इस संस्था के कार्यों की भूतत्वों में रुचि रखने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 सदस्यों से सम्बन्धित शासी निकाय द्वारा व्यवस्था की जाती है। डा० डी० एन० वाडिया, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर तथा भारत सरकार के भूतत्वीय सलाहकार शासी निकाय के अध्यक्ष तथा इस संस्था के अवैतनिक निदेशक हैं। इस संस्था का सम्पूर्ण खर्चा सहायता अनुदान देकर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने की योजना

3633. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डल संघ ने बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन्जीनियरों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने का क्या तरीका रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डल संघ ने अपने सदस्यों को सुझाव दिया है कि प्रत्येक औद्योगिक एकक को संयंत्र में प्रशिक्षण के लिए वृत्तिकाओं पर यथासम्भव अधिक से अधिक इंजीनियरों को लेना चाहिए। सिविल इन्जीनियरों के मामले में निर्माण उद्योग को भी ऐसा ही करने की सलाह दी गई है। संघ की समिति ने यह राय व्यक्त की है कि यह एक अच्छी योजना होगी यदि उद्योग प्रत्येक एक करोड़ रुपए के उत्पादन पर कम से कम दो इन्जीनियरों को खपा सके।

(ग) इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में सृजित नियोजन के अतिरिक्त अवसरों के सम्बन्ध में निश्चित सूचना प्राप्त करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में 22 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1720 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पारादीप पत्तन पर अतिरिक्त माल गोदी

3634. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन के न्यास बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि चतुर्थ योजना में प्रस्तावित एक माल गोदी के अतिरिक्त दो और माल गोदियों का निर्माण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). पारादीप पत्तन के न्यास बोर्ड ने 25-10-1968 को अपनी 10 वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ संकल्प किया कि सरकार से दो और माल गोदी के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करने की प्रार्थना की जाय। पत्तन के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों को अभी बनाया जा रहा है।

शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत

3635. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने सरकार के साथ अपनी हाल ही की

बातचीत में सरकार को सुझाव दिया है कि काश्मीर के मामले पर शेख अब्दुल्ला के साथ नये सिरे से बातचीत की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार श्री नारायण के सुझाव से सहमत हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना मत व्यक्त किया है कि सरकार को शेख अब्दुल्ला के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। मामले पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करने की आवश्यकता होगी।

सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करना

3636. **श्री सिद्द्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 से अब तक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों से स्पष्ट पता लगता है कि सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें मनमाने अधिकारों का उपयोग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रक्रियाओं तथा नियमों में सुधार करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक राज्य के अधीन सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में संबंधित राज्य सरकार उनकी वरिष्ठता के लिए नियम बनाने में सक्षम है। केन्द्रीय सिविल कर्मचारियों के संबंध में, उनको छोड़कर जो ऐसी सेवाओं अथवा पदों पर हैं, जिनके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अलग नियम बनाये गये हैं, वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांत गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55 आर० पी० एस०, दिनांक 22 दिसम्बर, 1959 में समाविष्ट हैं जिसकी एक प्रपिलिपि सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2578/68**] ऐसी सूचना नहीं है कि इस कार्यालय ज्ञापन में समाविष्ट सिद्धान्तों का किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्डन किया गया है। किसी मंत्रालय के अधीन सेवाओं/पदों के लिए नियम उसी मंत्रालय द्वारा बनाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विशेष सेवा अथवा पद के वरिष्ठता-निर्धारण के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों के निर्णयों के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है तथा शीघ्रातिशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

C.I.D. Watch on Movement of Opposition Leaders

3637. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have posted C.I.D. Police at Kanpur, Etawah, Allahabad and

Lucknow Stations for keeping a secret watch on the movements of Opposition Leaders ;

(b) if so, the number of such Police Officials as also their designations ; and

(c) the purpose behind it and the reasons for this check ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information furnished by the State Government, no C.I.D. personnel has been posted at these places with the specific jobs of watching the movements of opposition leaders.

(b) and (c). Do not arise.

संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों की पदालि

3638. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारियों की कौन सी पदालियां बनाई जा चुकी हैं अथवा बनाने का विचार है ;

(ख) उन पदालियों का ब्योरा क्या है, प्रत्येक पदालि में कितने अधिकारी हैं और जिन संघ राज्य क्षेत्रों के लिये ये पदालियां बनायी गई हैं, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि किन्हीं संघ राज्य क्षेत्रों को उनमें शामिल नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और उन संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण कैसे होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2579/68]

इंडियन एयर लाइन्स के विमानों में पठन सामग्री अथवा समाचार-पत्रों की अपर्याप्त व्यवस्था

3639. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में पठन सामग्री और समाचार-पत्रों की व्यवस्था अपर्याप्त है और यात्रियों को बार-बार मांग करने पर भी वे नहीं मिलते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंग्रेजी न जानने वाले यात्रियों को भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र नहीं दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विमान में सीटों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए, उन समाचार-पत्रों के अतिरिक्त जो प्रत्येक यात्री के लिए एक

प्रति के हिसाब से लिये जाते हैं, विभिन्न समाचार-पत्रों की 10 से 40 तक प्रतियां प्रत्येक विमान में ले जायी जाती हैं। कई सेक्टरों में कुछ क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र भी ले जाये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास परिषद

3640. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में पर्यटन विकास परिषद की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद द्वारा पारित संकल्पों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 2580/68]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा यूगोस्लाविया की संघीय परिषद के बीच वैज्ञानिक सहयोग का कार्यक्रम

3641. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और यूगोस्लाविया की संघीय परिषद के बीच वैज्ञानिक गतिविधियों में तालमेल के बारे में वैज्ञानिक सहयोग के दो वर्षीय कार्यक्रम पर 17 अक्तूबर, 1968 को बैलग्रेड में हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०**2581/68]

केरल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के सिपाहियों की डाकुओं से साठगांठ

3642. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस के कुछ सिपाही, जब वे केरल में ड्यूटी पर थे, डाकुओं से मिल गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका मध्य प्रदेश के डाकुओं के कुछ गिरोहों के साथ सम्बन्ध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । 9 अक्तूबर, 1968 को त्रिवेन्द्रम में सी० आर० पी० कैम्प से एक हैड कांस्टेबल तथा तीन कांस्टेबल फरार हो गये थे ।

(ख) उनमें से तीन 14 अक्तूबर, 1968 को ग्वालियर में रोक लिये गये थे तथा इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ में उनमें से दो मारे गये तथा एक पकड़ा गया । चौथा फरार व्यक्ति बाद में 24 अक्तूबर, 1968 को पकड़ा गया था ।

(ग) फरारों में से एक जो अब हिरासत में है, के परिवार के दो सदस्य भिण्ड के आपराधिक गिरोह के बताये जाते हैं ।

मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल की पराजय

3643 **श्री विश्वम्भरन् :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल की पराजय के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूदों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का स्तर सुधारने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सरकार ने पुनर्गठित अखिल भारतीय खेल परिषद से मेक्सिको ओलिम्पिक में भारतीय दल के घटिया प्रदर्शन के कारणों की जांच करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा गया है । परिषद 5 दिसम्बर, 1968 को होने वाली अपनी बैठक में इस मामले पर विचार करेगी ।

उत्प्रवासी वैज्ञानिकों का भारत लौटना

3644. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के भूतपूर्व महा-निदेशक, डा० हुसैन जहीर ने कहा है कि अधिकारपूर्ण स्थिति में कोई एक दर्जन वैज्ञानिकों की ईर्ष्या तथा उनका अभिमानी रवैया अति प्रतिभाशाली उत्प्रवासी वैज्ञानिकों को देश में लौटने में रुकावट बना हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). सरकार ने, समाचार-पत्रों में प्रकाशित डा० एस० हुसैन जहीर द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखा है । सरकार ने देश से प्रतिभा के निकास को कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं उनमें से कुछ निम्नांकित हैं :

(1) वैज्ञानिकों के पूल का निर्माण ।

(2) उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के लिए अधिसंख्य पदों के निर्माण की अनुमति ताकि उन्हें भर्ती की लम्बी क्रियाविधि के पूरा किए बगैर नियुक्तियां प्रदान की जा सकें ।

(3) बहुत सी संस्थाएं किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी पर उसकी अनुपस्थिति में विचार करने और कभी-कभी चयनात्मक आधार पर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(4) उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के ब्योरे में मासिक तकनीकी जनशक्ति बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां सारे भारत में लगभग 3,000 संगठनों को निःशुल्क वितरित की जाती हैं ।

बम्बई-पूना प्रदेश में भूकम्प

3645. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-पूना प्रदेश में बार-बार भूकम्प आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 11 दिसम्बर, 1967 के बड़े भूकम्प के बाद जिसने कि दक्षिण पश्चिमी भारत के एक बड़े क्षेत्र को प्रकम्पित किया, बम्बई-पूना प्रदेश में समय-समय पर भूकम्प के झटके आते रहे हैं ।

(ख) ये भूकम्प, जिनमें से अधिकांश छोटे हैं, 11 दिसम्बर, 1967 के मुख्य भूकम्प के परिणामी प्रकम्प हैं, और कोयना प्रदेश में भूमिगत दरारों के ऊपर भू-पृष्ठीय पुनःसमंजन के कारण आते हैं ।

(ग) कोयना भूमि की जांच करने तथा उस प्रदेश में भूकम्पों के कारण होने वाले नुकसान से जान व माल के बचाने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है । समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है ।

ग्रामों की सड़कों का विकास

3646. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री जं० व० सिं० बिष्ट :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले बीस वर्षों में ग्रामों में सड़कों के विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में कुल कितने मील सड़क बनाई गई है अथवा चतुर्थ योजनावधि में कितने मील सड़कें बनाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि धन की कमी के कारण ग्रामों में वर्तमान सड़कों की उचित मरम्मत नहीं हो रही है ; और

(घ) क्या चौथी योजना में विशेषरूप से ग्रामों की सड़कों के विकास के लिये कोई राशि निर्धारित की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). देहाती सड़कों के विकास और मरम्मत के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें सम्बन्धित हैं। निम्नांकित तालिका में तीसरी योजना काल में देहाती सड़कों (जिले की और गांवों की दूसरी सड़कें) के निर्माण पर प्रगति दिखाता है :—

वर्ष	जिले की दूसरी सड़कें	गांव की सड़कें (लाख कि० मि० में)	योग
1950-51	0.81	1.66	2.47
1955-56	0.87	2.42	3.29
1960-61	1.01	3.83	4.84
1965-66	1.22	5.59	6.81

यह दिखाता है कि तीनों योजना में देहाती सड़कों की लम्बाई में तिगुनी वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार द्वारा अपनी-अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाली देहाती सड़कों के लिए धन की आवश्यकता पर हाल ही में अपने प्रतिनिधियों के साथ विचार हो रहा है और इस विचार-विमर्श के पूरा हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

पालम हवाई अड्डे पर (लौंज) विश्राम-कक्ष

3647. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पालम हवाई अड्डे पर चल रहे

निर्माण-कार्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये (लौंज) विश्राम-कक्ष बहुत छोटा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये अस्थायी रूप से बनाये गये छोटे विश्राम-कक्षों में टेलीफोन, चाय की दुकान तथा शौचालय तक की कोई सुविधा नहीं है और यदि कोई यात्री ऐसी किसी सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उसे वापिस आने पर हर बार एक रुपये का निर्धारित प्रवेश शुल्क देना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यह कठिनाई इस कारण उपस्थित हुई है क्योंकि निर्माण-कार्य बिल्डिंग को बिना बन्द किये किया जा रहा है। अस्थायी शौच-स्नानादि सुविधाएं एवं एक वाटर-कूलर उपलब्ध है तथा उनके स्थान अंकित हैं। टेलीफोन तथा रेस्टोरेंट जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दिसम्बर, 1968 के अन्त तक और भी टेलीफोन उपलब्ध हो जायेंगे। फिलहाल जिन वास्तविक यात्रियों के पास विमान टिकट होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लाउन्ज में लौटने के लिये प्रवेश-शुल्क नहीं देना पड़ता।

(ग) चल रहे निर्माण-कार्यों के जनवरी, 1969 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है, तथा उसके उपरांत समस्त आवश्यक सुविधाओं से सम्पन्न लाउन्ज उपलब्ध हो जायेंगे।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा दिये जाने वाले भोजन के बारे में शिकायतें

3648. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें बहुत खराब भोजन, विशेषतः शाकाहारी भोजन मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). शाकाहारी भोजन के प्रकार एवं मात्रा के बारे में शिकायतें मिली हैं। भोजन को अधिक अच्छा बनाने तथा विभिन्न रुचि के लोगों की तुष्टि के लिये नये प्रकार के खाने प्रस्तुत करने के निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं। खान-पान संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को खान-पान प्रबंध संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया गया है। पाचकों एवं अन्य कर्मचारी-वर्ग को भी यथा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किराये में वृद्धि

3649. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो भाड़ा कब और कितने प्रतिशत बढ़ा है; और

(ग) भाड़ा बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप वायुयानों और उनके फालतू पुर्जों की लागत रुपयों में बढ़ गयी जिसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के परिचालनों की लागत में भी तदनुरूप वृद्धि हो गयी। इस प्रकार की वृद्धि के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिये 1967 में आसाम क्षेत्र को छोड़ कर जहां कि वृद्धि 5% तक सीमित रखी गयी, इंडियन एयरलाइन्स के सभी सेक्टरों पर किराये और माल भाड़े की दरें 15% बढ़ा दी गयीं।

त्रिपुरा में कर्मचारियों की नियुक्ति

3650. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार के कार्यालयों में नौकरी के स्थानों पर त्रिपुरा में उपलब्ध स्थानीय योग्य व्यक्तियों की बजाय त्रिपुरा से बाहर के, विशेषतया पड़ौसी राज्यों के लोगों को रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में स्थानीय तथा अन्य लोगों की नियुक्ति के बारे में सामान्यता अपनाई जाने वाली नीति क्या है; और

(घ) त्रिपुरा के सरकारी कार्यालयों तथा राज्य के अन्य उपक्रमों में स्थानीय तथा बाहर के लोगों का अनुपात क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अन्य बातों के समान रखते हुए, त्रिपुरा सरकार के कार्यालयों में पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय उम्मीद-वारों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी, जब योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों में नियुक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर या विभागीय पदोन्नति समितियों के अनुमोदन से, पड़ौसी राज्यों के, विशेषकर पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों से की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा सार्वजनिक नियोजन (निवास की शर्त) नियम; 1959 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थानीय उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की गई है जिसके अनुसार

कोई पद जिसका वेतनमान न्यूनतम तीन सौ रुपये से अधिक न हो ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता जो गत तीन वर्षों से लगातार त्रिपुरा में नहीं रह रहा हो। फिर भी प्रशासक असाधारण हालातों में इन उपबन्धों में ढील देने के लिये सक्षम है। सेवा संवर्गों जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भी स्थानीय अधिकारियों के लिये पदोन्नति-कोटा पदों के भरने तथा सीधी भरती कोटा पदों पर मुकाबला करने के लिये अवसर हैं।

त्रिपुरा सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त स्थानीय और बाहर के व्यक्तियों के प्रतिशत से सम्बन्धित सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

नजफगढ़, नई दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र के विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का प्रयोग

3651. **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा आयोजित 6 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में सरकार ने केन्द्रीय रक्षित पुलिस का प्रयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा किन परिस्थितियों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग किया गया था;

(ग) क्या औद्योगिक विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस के प्रयोग के विरोध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय रक्षित पुलिस की कुछ टुकड़ियों को, जिन्हें दिल्ली के पुलिस महा-निरीक्षक के अधीन रखा गया था, 6 सितम्बर, 1968 को नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताली कामगारों द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाया गया था।

(ग) और (घ). तथाकथित जनरल मजदूर यूनियन (रजि०), करमपुरा, नई दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी, श्री साधु सिंह के नाम से भेजा गया एक पत्र दिनांक 29 जून, 1968 को प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली में कुछ मजदूर संघों के विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के आरोप लगाये गये थे। जांच करने पर, उन आरोपों को निराधार पाया गया।

Arms with Pro-Pak and Pro-Sheikh Elements in J and K

3652. **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Swell:**
Shri Yashpal Singh: **Shri Chengalraya Naidu:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pro-Pak and pro-Sheikh elements in Jammu and Kashmir have accumulated massive piles of arms and explosive material with a view to disturb internal peace of the state;

(b) whether it is also a fact that the Police have seized a large quantity of arms and explosive material after arresting a gang of such people recently;

(c) whether it is further a fact that the persons arrested have admitted that they received money from the Government of Pakistan and the Pakistan High Commissioner in India for collecting the said arms and ammunition; and

(d) if so, the action taken by Government with a view to check the activities of such elements?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) The Jammu and Kashmir Government have reported that a few persons were apprehended recently and some explosives were recovered.

(c) No, Sir.

(d) The State Government is vigilant in the matter.

न्यूयार्क में एयर इंडिया का माल कार्यालय

3653. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क नगर में एयर इंडिया का कोई माल कार्यालय नहीं है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को माल बुक कराने के लिये हवाई अड्डे पर जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इच्छुक यात्रियों की इस असुविधा को दूर करने तथा उनके अतिरिक्त खर्च को बचाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). न्यूयार्क नगर में एयर इंडिया का कोई माल (कार्गो) कार्यालय नहीं है, और न इस तरह का कोई प्रस्ताव ही है क्योंकि माल को बुक करने की सुविधाओं की वर्तमान मांग इस प्रकार के कार्यालय को खोलने, जिस पर कि बहुत व्यय आयेगा, के औचित्य को सिद्ध नहीं करती । नगर में माल बुक करने के लिए एक एजेन्ट के साथ कुछ प्रबन्ध करने के प्रश्न की कारपोरेशन द्वारा जांच की जा रही है ।

Advertisements for Filling up Reserved Posts

3654. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although in the advertisements released for different posts by Government, it is mentioned that the posts are reserved for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes yet it is also mentioned there that in case suitable candidates are not available, the posts would be filled up by other candidates;

(b) whether it is also a fact that even when suitable candidates belonging to the said Castes are available, other candidates having recommendations are appointed against these posts;

(c) the number of posts reserved for the members of the said Castes in the posts advertised by the U.P.S.C. from 1966-67 till date which were not filled up by the candidates belonging to these Castes; and

(d) whether Government propose to appoint the candidates belonging to the said Castes on the posts reserved for them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) Yes, Sir. This procedure is generally being adopted with a view to avoid delay and expenditure in recruitment.

(b) No, Sir.

(c) Information is being obtained from the various Ministries and Departments and it would be laid on the Table of the House in due course.

(d) The Government appoint candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the posts reserved for them if they are found suitable for the posts at the relaxed standards. If suitable candidates are not found even at the relaxed standard, the posts are dereserved and general candidates are appointed in the vacancies subject to the condition that the reservation is carried forward for two subsequent recruiting years.

सेंट्रल रिजर्व पुलिस को राज्यों में भेजने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

3655. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, श्री हनुमन्तैया ने 4 नवम्बर, 1968 को मद्रास में बताया था कि आयोग राज्यों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस भेजने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और वह केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में उचित सिफारिश करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सिफारिशें इस बीच प्रस्तुत कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासन सुधार आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 4 नवम्बर, 1968 को मद्रास में संवाददाताओं द्वारा प्रशासन

सुधार आयोग के अध्यक्ष संसद सदस्य श्री के० हनुमंतैया से पूछा गया था कि क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक राज्य में ठहराया जाना राज्य के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है। श्री हनुमंतैया ने उत्तर दिया कि इस प्रकार का मतभेद पहले कभी नहीं उठा था। फिर भी, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्धों पर अपने प्रतिवेदन में इसकी अधिक जांच पड़ताल करेगा।

(ख) आयोग ने केन्द्र राज्य सम्बन्ध पर अपना प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक को दिल्ली में भूमि का नियतन

3656. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम की 4 नवम्बर, 1968 की बैठक में की गई इस मांग का पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर संघचालक श्री एम० एस० गोलवलकर को 99 वर्ष के पट्टे पर 1400 वर्ग गज भूमि का अनुचित अलाटमेंट की जांच कराई जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 4 नवम्बर, 1968 को दिल्ली नगर निगम की बैठक में जांच के लिये कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी (उक्त भूमि नगर निगम, दिल्ली द्वारा आवंटित नहीं की गई थी और न ही यह भूमि उसकी है)। तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मौजा झण्डेवालान में 14,300 वर्ग गज भूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर संघचालक श्री एम० एस० गोलवलकर के पास पट्टे पर है। यह भूमि श्री गोलवलकर द्वारा बद्री भगत झंडेवालान मन्दिर समिति से ली गई है। भूमि 1 अगस्त, 1947 को ली गई थी।

कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को सहायता की मात्रा

3657. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ के महासचिव श्री बिंदा प्रसाद राय 'बिरिन्दर' के 23 अक्तूबर, 1968 के इंडियन नेशन' (पटना) के कालम 4 पृष्ठ 5 में प्रकाशित इस बयान को देखा है कि केन्द्रीय सरकार कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को सहायता की मात्रा के बारे में अपनी नीति का निर्णय करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के बारे में अपनी नीति को अन्तिम

रूप दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). राज्यों को समूची केन्द्रीय सहायता योजना तथा गैर-योजना कार्यक्रमों और वचनबद्ध व्यय के लिए दी गई है। यह निर्णय किया जा चुका है कि अध्यापकों अथवा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि करने को योजना कार्यक्रम नहीं समझा जायेगा। गैर-योजना अथवा वचनबद्ध व्यय के लिए सहायता वित्त आयोग की सिफारिश पर दी जाती है। यह अध्यापकों के वेतन में वृद्धि जिससे राज्य सरकार पर प्रभाव पड़ सकता है, सहित गैर-योजना अथवा वचनबद्ध व्यय पर विचार करता है।

सर्वे आफ इंडिया

3659. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वे आफ इंडिया में कितने निदेशक और कितने उप-निदेशक हैं और 1962 से लेकर 1968 तक प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को इनमें कितने असैनिक और कितने सैनिक अधिकारी थे और इन दो श्रेणियों के अधिकारियों की संख्या में कोई असंतुलन है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों में असैनिक अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से हाल में की गई पदोन्नतियों का पुनरीक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सर्वे आफ इंडिया में निदेशकों और उप-निदेशकों की संख्या और 1962 से लेकर 1968 तक प्रति वर्ष 1 अप्रैल को सैनिक और असैनिक अधिकारियों की संख्या के बारे में जानकारी देंने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2582/68]

भर्ती के नियमों के अनुसार सर्वे आफ इंडिया की प्रथम श्रेणी की समूची सेवा में असैनिक और सैनिक अधिकारियों की समान संख्या होने का उपबन्ध है। उस सेवा में पांच श्रेणियां हैं अर्थात् डिप्टी सुपरिन्टेंडिंग सर्वेयर, सुपरिन्टेंडिंग सर्वेयर, डिप्टी डायरेक्टर, डाइरेक्टर और सर्वेयर जनरल की। सेवा की ऐसी प्रत्येक श्रेणी में असैनिक अथवा सैनिक अधिकारियों के लिये कोई आरक्षण नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में सुगठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाती है। यह बात किसी समय एक श्रेणी के अधिकारियों की संख्या दूसरी श्रेणी के अधिकारियों से अधिक हो जाती है चाहे वह उप-निदेशक अथवा निदेशक की श्रेणी की होती है, संयोजन भाव है। इसलिये विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की गई पदोन्नति का पुनरीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के विरुद्ध दमनचक्र का समाचार

3660. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 सितम्बर के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" में यह प्रकाशित हुआ था कि उच्च जातियों के जमींदारों द्वारा एक और हिंसात्मक दमन चक्र चलाये जाने के डर से वल्लाभी ग्राम (आन्ध्र प्रदेश में खम्मम जिला) के हरिजन अपना गांव छोड़ के भाग गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन हरिजनों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में जिला खम्मम ग्राम वल्लामी में गत आम चुनावों के पश्चात् हरिजनों और अन्य जाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध विकृत हो गये थे। 6 अगस्त, 1968 को कुछ हरिजन अन्य जाति के व्यक्ति की भूमि में अनधिकृत रूप में घुस गये, जो अपने साथियों सहित स्थल पर तुरन्त पहुंचा और पीछा करके हरिजनों को भगा दिया। बदले के लिए हरिजनों ने अन्य दल पर पत्थर फेंके। यह बतलाया जाता है कि अन्य जाति के कुछ व्यक्तियों ने हरिजन बस्ती पर आक्रमण किया और उनके मकानों तथा कुछ अन्य वस्तुओं को क्षति पहुंचाई। उसी रात कुछ हरिजन अन्य जाति के व्यक्ति के घर में घुस गये और उस पर प्रहार किया जिसके परिणाम-स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अन्य जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448/147/324 के अन्तर्गत और हरिजनों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 448/324/302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। अन्य दल की प्रतिकारात्मक कार्यवाही के डर से कुछ हरिजनों ने गांव से भागना आरम्भ कर दिया। हरिजनों को सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए ग्राम में पुलिस की एक टुकड़ी नियुक्त की गई। जिला प्राधिकारियों द्वारा ग्राम का दौरा भी किया गया। हरिजनों को काम-धन्धा देने के लिए ग्राम के लिए एक प्रवेश मार्ग कार्य भी स्वीकृत किया गया। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए कुछ धन स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् राजस्व के राज्यमंत्री ने भी ग्राम का दौरा किया और दोनों दलों में मेल मिलाप कराया।

Centre-State Relations

3661. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are thinking afresh in regard to the Centre-State relations ; and

(b) if not, the reasons for which Government are not rectifying the atmosphere of instability developing in Kerala as a result of various speeches made by Shri Namboodiripad, the Chief Minister of Kerala ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government do not think that any basic changes in the constitutional provisions relating to Centre-State relations are called for.

(b) The Central Government have made clear their approach to various issues raised by the Chief Minister of Kerala as and when necessary.

Strike in Kerala

3662. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Kerala themselves adopt the method of observing strikes ;

(b) whether the pressure from the extremist Marxists is the reason therefor ;

(c) whether there is always a fear of breach of peace in Kerala as a result of this ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the people, factories and Central Government employees work there peacefully ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The State Government have intimated that they do not adopt the method of observing strikes.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The Central Government addressed all State Governments on November 8, 1967 drawing their attention to the constitutional obligations of the State Governments to ensure proper functioning of the Central agencies and offices and security of Central Government properties, its installations and institutions in the different States.

केरल में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का भेजा जाना

3663. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई पत्र मिला है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में केरल में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का भेजा जाना अनुचित था और संविधान के संघीय सिद्धान्तों की भावना के विरुद्ध था; और

(ख) क्या गृह मंत्रालय तथा केरल सरकार के बीच इस सम्बन्ध में हुआ पत्र-व्यवहार सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने केरल में बिना पूर्व परामर्श के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर इस आधार पर आपत्ति उठाई थी कि इससे केन्द्र और केरल के बीच अबाध सम्बन्ध कायम रखने में सहायता मिलने की आशा नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

Surrender of Mizo and Naga Hostiles

3664. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Mizo and Naga hostiles who surrendered themselves before the Indian

Security Forces and the officers of the State Government during the months from July to October, 1968 separately ; and

(b) the action taken by Government against these hostiles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Nomination of I. A. S./I. P. S. Officers

3665. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I. A. S. and I. P. S. Officers nominated by the President on the recommendations of the Government of Jammu and Kashmir to the Services of that State since the 6th June, 1967 ;

(b) the educational qualifications of the nominated persons ;

(c) whether Government would look into the fact that some of these nominated persons were convicts and some others had been arrested in connection with the Kashmir Conspiracy case ; and

(d) if so, the reasons for such nominations and the action proposed to taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 26 State Civil Service officers and 13 State Police Service officers have been appointed to the I. A. S. and the I. P. S. respectively against the promotion quota provided for in the State Cadre of Jammu and Kashmir since the 6th June, 1967.

(b) A statement showing the educational qualifications of these officers is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2583/68]**

(c) One officer appointed to the I. A. S. was alleged to have been involved in the Kashmir Conspiracy case. The case was later on withdrawn and the officer was exonerated of the charges against him.

(d) He was eligible for appointment to the I. A. S. and was found suitable by the Selection Committee as well as the Union Public Service Commission for appointment to the I. A. S.

Olympic Games at Mexico

3666. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of players sent by India to the Olympic Game at Mexico and the amount of foreign exchange spent on them ;

(b) whether it is a fact that a sub-Committee had recommended to send 32 players ;

(c) whether the number of players sent there was larger than the number recommended by the sub-Committee ;

(d) whether it is also a fact that Shri G. C. Paliwal of Rajasthan, who leads India and Asia in games and whose name was recommended by 15 Members of Parliament and the Chairman of the All India Council of Sports and who wanted to go at his own expense, was not sent there ;

(e) if so, the reasons thereof ; and

(f) whether it is a fact that such sportsmen as are not recognised in India and are not leading in any game, have been sent there ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a)

Number of players sent to Olympic Games at Mexico	..		27
Amount of foreign exchange released	..	Rs.	29,160.00

(b) and (c). The sub Committee of the All India Council of Sports had recommended 25 players. Two additional players were allowed on strong representation from Indian Olympic Assocoiation.

(d) and (e). Presumably the reference is to Shri J. C. Paliwal, Hony. Secretary, Basketball Federation of India. If so, it may be stated that he wanted to go to Mexico as a delegate. The proposal was not supported by the sub-Committee of the All India Council of Sports in view of foreign exchange difficulties and so could not be accepted by Government.

(f) No, Sir.

भारत के मुख्य पुरालेख विद (ए० पी० ग्राफिस्ट), मैसूर द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

3667. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य पुरालेख विद (ए० पी० ग्राफिस्ट), मैसूर द्वारा नियमित रूप से कोई पत्रिकाएं, बुलेटिन अथवा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो 1960-61 से लेकर अब तक प्रकाशित प्रकाशनों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों को संसद् सदस्यों में परिचालन किया जाता है अथवा क्या ये केवल कुछ कार्यालयों अथवा विभागों के लिए ही तैयार की जाती हैं; और

(घ) 1960-61 से लेकर अब तक इस विभाग पर प्रतिवर्ष कुल कितना आवर्ती खर्च होता रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1960-61 से अब तक प्रकाशित प्रकाशनों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2584/68]

(ग) जी नहीं । रिपोर्टें, प्रकाशन प्रबन्धक, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा जनता को विक्रय की जाती हैं ।

(घ) 1960-61 से 1967-68 वर्षों तक मुख्य पुरालेखविद (ए० पी० ग्राफिस्ट) के

कार्यालय पर हुआ वर्षवार खर्च नीचे दिया गया है :

वर्ष	राशि
	रुपये
1960-61	1,61,123
1961-62	1,69,914
1962-63	1,70,525
1963-64	1,69,574
1964-65	1,66,625
1965-66	1,97,283
1966-67	1,59,002
1967-68	1,48,876

दिल्ली-कलकत्ता रात्रि विमान सेवा

3668. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता के बीच रात्रि विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 11 नवम्बर, 1968 से इण्डियन एयरलाइन्स ने रात्रि हवाई डाक सेवा आरम्भ की है जिससे दिल्ली और कलकत्ता को नागपुर से होकर हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है । दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधी रात्रि हवाई सेवा परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दीमापुर, नागालैंड में हवाई अड्डा

3669. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड में दीमापुर के स्थान पर एक नया हवाई अड्डा खुलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा इस नये अड्डे पर सेवा आरम्भ करने के फलस्वरूप लीलाबाड़ी की दैनिक सेवा पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें इस प्रस्ताव के विरुद्ध जनता और स्थानीय प्रशासन की प्रबल भावनाओं का पता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दीमापुर में पहले से एक विमान-क्षेत्र है जो भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में है । इस शहर में एक नया विमान-क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का दीमापुर को हवाई सेवा द्वारा जोड़ने का एक प्रस्ताव है । ऐसा हो जाने पर विमानों की कमी के कारण लीलाबाड़ी के लिए इस समय चल रही विमान सेवाओं की संख्या को प्रति सप्ताह सात से घटाकर छः कर देना आवश्यक हो जायेगा ।

(घ) इडियन एयरलाइन्स लीलाबाड़ी की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतया जागरूक है तथा वे उस क्षेत्र में संचार व्यवस्था को विक्षुब्ध न होने देने का हर प्रयत्न करेंगे, बशर्ते कि विमान उपलब्ध हों ।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परीक्षा की नई प्रणाली

3670. **श्री रामचरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं की परीक्षा प्रणाली इस वर्ष से बदल दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नई प्रणाली के अनुसार परीक्षाएं वर्ष में चार बार होंगी और औसत अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो इसका पूरा ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को, यदि वे अन्य दो परीक्षाओं में सफल न हों, सफल घोषित नहीं किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लोक सभा में दिनांक 9 अगस्त, 1968 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 416 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) जी नहीं, विद्यार्थियों की तरक्की उनके द्वारा सभी सत्र कार्य, और पूरे वर्ष की उपस्थिति में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर निर्भर करेगी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श

3672. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों को दिये गये विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए, केन्द्र पर राज्यों की बदली हुई निर्भरता को

ध्यान में रखते हुए, सरकार केन्द्र और राज्यों के बीच नियमित विचार-विमर्श के लिए कोई संगठनात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : समान हित के विभिन्न मामलों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच नियमित परामर्श करने के लिए पहले ही प्रबन्ध विद्यमान हैं ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की समीक्षा समिति

3673. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की समीक्षा समिति के कार्यक्रमों तथा सिफारिशों को लागू करने का है; और

(ख) यदि समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना है तो क्या सरकार का विचार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है । अन्तिम रूप से स्वीकार हुई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागाओं के साथ मुठभेड़

3674. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अक्तूबर, 1968 को प्रातःकाल माओ सब-डिवीजन के तुंगम खुनन क्षेत्र में छिपे नागा मिलीशिया तथा भारतीय सुरक्षा सेना के बीच भारी गोलाबारी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुए और इस घटना की संक्षेप रूपरेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). 20 अक्तूबर, 1968 को लगभग 4.30 बजे सुरक्षा दल की एक टुकड़ी पर तुंगम खुल्लन को लौटते समय नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाई गई । जवाब में टुकड़ी ने गोली चलाई किन्तु विद्रोही बचकर भाग गये । बताया जाता है कि दो विद्रोही घायल हुए हैं । सुरक्षा दल में कोई हताहत नहीं हुआ । क्षेत्र की तलाशी पर एक स्टेन मैगजीन और 9 मि० मि० के 10 गोले बरामद किये गये ।

प्रेस पर सामाजिक नियंत्रण

3675. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के अनुसार ही

प्रेस पर सामाजिक नियंत्रण लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य कारण हैं जिनके कारण ऐसी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इम्फाल (मनीपुर) में 'डेटोनेटरों' का पकड़ा जाना

3676. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल, मनीपुर में एक 'हाइड आउट' से हाल में 4000 'डेटोनेटर' पकड़े गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इतने 'डेटोनेटरों' से इम्फाल का नगर उड़ाया जा सकता था?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हाल में पुलिस ने इम्फाल के निकट 4,000 से अधिक डेटोनेटर बरामद किये हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

आसाम में सशस्त्र विद्रोह के लिये विदेशी प्रोत्साहन

3677. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय गोहाटी में बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें नक्सलबाड़ी की तरह का सशस्त्र विद्रोह करने का आह्वान है तथा जिनसे मालूम होता है कि इसमें विदेशी शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पता लगाया है कि ये पोस्टर कहां से निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जुलाई, 1968 में गोहाटी नगर तथा इसके उप-नगरीय क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोह समर्थन करते हुए असमियां में कुछ हस्तलिखित पोस्टर पाये गये । ऐसे ही हस्तलिखित पोस्टर 31 अक्तूबर, 1968 को मालीगांव में भी देखे गये ।

(ख) राज्य सरकार इन पोस्टरों के उत्पत्ति स्थान तथा प्रकाशकों का पता लगाने के लिए प्रभावपूर्ण पूछ-ताछ कर रही है और विश्वास किया जाता है कि यह उग्रवादी तत्वों का कार्य है ।

सीमावर्ती लद्दाख जिले पर व्यय

3678. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1968 तक की अवधि में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सीमावर्ती

लद्दाख जिले पर कितना प्रशासनिक व्यय हुआ तथा उसमें से कितने प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार ने किया था और कितने प्रतिशत राज्य सरकार ने किया था; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इस सीमावर्ती जिले पर कितना योजना व्यय किया गया था तथा उसमें से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कितना-कितना व्यय वहन किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2585/68]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा रियायती किराया

3679. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री बृजराज सिंह कोटा** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्ययन दल ने देश के अन्दर इसकी अनेक सेवाओं के लिए रियायती किराये की सिफारिश की है;

(ख) क्या इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट अभी कारपोरेशन को प्रस्तुत नहीं की गई है। लेकिन दल अन्य बातों के साथ-साथ कुछ सेक्टरों पर हवाई यातायात की अभिवृद्धि की दृष्टि से नियत किए गए किरायों/दरों की सिफारिश करते हुए दो अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली में नेशनल फिटनेस कोर के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3680. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1968 को नेशनल फिटनेस कोर ने विकेन्द्रीकरण की अपनी मांग पर जोर देने के लिए रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, स्थित अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। प्रदर्शन का उद्देश्य कोर के विकेन्द्रीकरण के विरोध में अपनी मांग पर बल देना था।

(ख) जी हां।

(ग) इस बारे में भारत सरकार के निर्णय को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2586/68]

विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियां

3681. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री किरित विक्रम देव बर्मन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोग मिजो लैंड में लुशाई से मिलने वाले त्रिपुरा क्षेत्र में सक्रिय हैं और पुलिस स्टेशनों पर हमला कर रहे हैं तथा मैदानों में रहने वाले लोगों को अपनी भूमि खाली करने की धमकी दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) असम के मिजो पहाड़ियां जिले से लगे हुए त्रिपुरा के जम्मूई पहाड़ियां क्षेत्र में दो पुलिस चौकियों पर मिजो विद्रोही के आक्रमण तथा अन्य आकस्मिक गतिविधि देखने में आई हैं। बांटे गये कुछ पर्चों में गैर-आदिम जातियों को अपनी भूमि खाली करने की धमकियां देते हुए चेतावनी दी गई है।

(ख) मिजो विद्रोहियों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के ड्राइवरों को कम देखाई देना

3682. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सायंसेस के लिए डा० राजेन्द्र प्रसाद सेन्टर की राष्ट्रीय अंधापन निवारण समिति के तत्वाधान में हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के 1286 ड्राइवरों में से जिनकी दृष्टि की जांच की गयी थी, 672 ड्राइवरों की नजर कमजोर पाई गई थी और उनमें से 85 प्रतिशत ड्राइवरों की आंखों में कुकरे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अंधता निवारक के लिए नेशनल सोसाइटी ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है और अभी तैयार नहीं है। सोसाइटी ने यह भी कहा है कि 20 नवम्बर, 1968 के स्टेट्समैन में

सोसाइटी द्वारा किये गये डो० टी० यु० के ड्राइवरों की आंखों की जांच के बारे में समाचार मद बिना किसी अधिकार प्राप्त किये प्रकाशित किया गया और सही आंकड़े नहीं हैं, सोसाइटी रिपोर्ट की एक प्रति जब यह तैयार हो जायगी दिल्ली परिवहन अधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

Indian Women Sent Maid-Servants to Foreign Countries

3683. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are certain centres around Bombay from where Indian women are sent to foreign countries as maid-servants ;

(b) whether it is also a fact that the said trade is now being done on a larger scale; and

(c) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being ascertained from the Government of Maharashtra and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Freedom of Churches in India from Subordination and Control of Foreign Christian Missions

3684. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the All Iadia Nationalist Christians Association has demanded that in the interest of Indian Christians, the churches in India be freed from subordination and control of foreign christian missions;

(b) whether the Association has also demanded the expulsion of foreign Christian missionaries from the country in view of the security of India ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Certain memoranda to this effect have been received from time to time from that Association also as from an organisation calling itself the Indian National Church, to which that Association is affiliated.

(c) The policy of Government is one of progressive Indianisation of foreign missions in India. The Government do not propose and see no reason to issue orders of expulsion except where a foreign missionary is found indulging in undesirable activities.

मनीपुर को राज्य का स्तर देना

3685. **श्री मेघचन्द्र :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन केन्द्रीय मंत्रियों जिन्होंने 21 तथा 22 अक्तूबर, 1968 को मनीपुर का

दौरा किया था प्रधान मंत्री को बताया है कि मनीपुर की जनता को बहुत आकांक्षा है कि उस क्षेत्र का पद ऊंचा किया जाये तथा राज्य का स्तर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने मनीपुर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को बताया है कि मनीपुर के लिए राज्य का स्तर दिये जाने के प्रश्न को न उठाये ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री ने 21 और 22 अक्तूबर, 1968 को मनीपुर का दौरा किया था। गृह मंत्री ने दिल्ली लौटने पर प्रधान मंत्री को मनीपुर को राज्य के स्तर की मांग से अवगत कराया जिसकी आवाज उस संघ राज्य क्षेत्र के उनके दौरे के दौरान उठाई गई थी।

(ख) सरकार का मनीपुर के वर्तमान स्तर में अभी कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रधान मंत्री ने उस प्रतिनिधि मण्डल को बतलाया कि सरकार मनीपुर को पूर्ण राज्य का स्तर देने पर विचार नहीं कर सकती किन्तु संघ राज्य क्षेत्र का विकास अवश्य ही गौर करने और उस पर पूर्ण विचार किये जाने योग्य है।

(घ) 30 अगस्त, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6752 के उत्तर में जैसा कि पहले ही बताया गया है, मनीपुर के लिए राज्य के स्तर की मांग पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस संघ राज्य क्षेत्र के वित्तीय साधन अपने प्रशासनिक व्यय वहन करने के लिये पर्याप्त विकसित हो जायें। इस समय संघ राज्य क्षेत्र योजनेत्तर राजस्व व्यय को वहन करने के लिये भी बहुत सीमा तक केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करता है।

Dacoit Problem in Madhya Pradesh

3686. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the dacoit problem has taken an extremely serious shape in Madhya Pradesh and its solution is beyond the power of the State Government;

(b) whether it is also a fact that a number of persons were kidnapped and killed during the last one year; and

(c) whether Central Reserve Police would be deployed to ensure public safety in view of such a serious situation in which lives of the common people are not safe in that State?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla). (a) to (c). The information is being ascertained from the Government of Madhya Pradesh, and will be laid on the table of the Sabha on receipt.

Compulsory Free Education

3687. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to import compulsory free education to the boys and girls of the country below the age of 14 years ;

(b) whether Government would consult the State Governments also to implement this scheme ; and

(c) if so, the time by which a decision would be taken regarding the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). A statement is given below ;

Statement

Facilities for free primary education (age-group 6-11) already exist in all States, except in some special schools charging fees in the country and some schools in the urban areas of West Bengal. Most of the States have made education free for children in the age-group of 11-14 years also.

Compulsory Education Acts have also been enacted by almost all States. However, under the present social and economic conditions it has not been considered practicable to enforce them. Instead, efforts are made to ensure attendance by the provision of suitable incentives and other persuasive measures.

Prices of Publications Published by N. C. E. R. T.

3688. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Jeev Vigyan-Part I' and 'Bhautiki-Part I' for class *VI*, published by the National Council of Educational Research and Training is being sold at different prices by the Delhi Administration and the N. C. E. R. T. ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to remove this difference in prices ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Both books have been printed by both the NCERT and the Delhi Administration. The copies printed by the Delhi Administration are priced higher than those by the National Council.

(b) and (c). The National Council brought out these books in two editions and priced them according to its established formula. Copies from these editions are being supplied mainly to Central Schools in Delhi and outside. The Delhi Administration that has accepted the books as textbooks has brought out its own edition but with a different price structure.

The precise reasons for the difference in price and the need for uniformity are being examined by the National Council in consultation with the Delhi Administration.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के लिए सेवा सम्बन्धी नियम

3689. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियम कब तक बन जायेंगे ;

(ख) इस खर्च पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) उस कार्य को पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि के नियमों को पहले ही अन्तिमरूप दिया जा चुका है। अन्य सेवा शर्तों के बारे में प्रारूप तैयार कर लिया गया है और वे विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय परिषद् में विभागीय तौर पर सेवा नियमों का प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया गया है इसलिए अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना नहीं है।

हिप्पियों द्वारा जासूसी

3690. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आने वाले कई हिप्पी जासूसी की कार्यवाहियां कर रहे हैं ;

(ख) क्या किसी हिप्पी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) क्या अमरीका की सेंट्रल इंटैलिजेंस एजेंसी का इसमें कोई हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि हिप्पियों की कोई जासूसी कार्यवाहियां उनके ध्यान में नहीं आई है। उपरोक्त राज्यों तथा चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्कूल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड

3691. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना के बारे में

सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हा, तो बोर्ड का गठन किस प्रकार होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). स्कूल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित स्थान

3692. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई बनाई गई विभिन्न अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती/नियुक्ति के लिए नियम इस प्रकार बनाये गये हैं कि भर्ती के आरम्भिक क्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान रक्षित करने का उपबन्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ सेवाओं में जिनमें नियमों के अन्तर्गत आरम्भिक क्रम में खुली आंशिक भर्ती का उपबन्ध है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कुछ प्रतिनिधित्व देने के लिए वही सिद्धान्त लागू करने का कोई उपबन्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व लगातार कम होने का एक कारण इस प्रकार स्थान सुरक्षित न करना है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). विभिन्न सेवाओं के लिये वे नियम, जो सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाये जाते हैं, सेवा के प्राथमिक गठन के समय तथा तत्पश्चात् अनुरक्षण की अवस्था में पदों के लिए भर्ती की प्रणाली निर्धारित करते हैं । किसी सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय विभागीय उम्मीदवारों पर, उन्हें खपाने के लिए और इसलिए भी कि आवश्यक अनुभव तथा पृष्ठ-भूमि वाले व्यक्तियों को लेना इष्टकर होता है, विचार किया जाता है । प्रारम्भिक गठन के समय विभागीय उम्मीदवारों द्वारा जिस हद तक रिक्तियां नही भरी जातीं, सम्बन्धित सेवा के लिए नियमों के अधीन, यदि ऐसी व्यवस्था हो, तो सीधी भर्ती की जा सकेगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में आदेश ऐसी सीधी भर्ती पर तभी लागू होंगे ।

जहां तक अखिल भारतीय सेवाओं का सम्बन्ध है, केवल भारतीय वन सेवा का अभी हाल

में गठन हुआ है । प्रारम्भिक गठन की अवस्था में सेवा में भर्ती विभिन्न राज्य वन सेवाओं के उन अधिकारियों तक ही सीमित थी जो राजपत्रित सेवा की अवधि पर आधारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते थे । प्रारम्भिक भर्ती के लिये बनाये गये विनियमों के अधीन भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र राज्य वन सेवा अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए एक विशेष चयन मण्डल स्थापित किया गया था । स्पष्टतः उपयुक्तता का निर्णय करने के लिये कसौटी योग्यता ही हो सकती थी और ऐसा ही निर्धारित भी किया गया था और यह अनुभव किया गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये किसी आरक्षण से असंगतियां और व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । किसी भी दशा में विशेष चयन मण्डल ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के मामलों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया और उनकी योग्यता का मूल्यांकन निम्न स्तर मानदण्डों को लागू करके किया ।

(ग) और (घ). किसी सेवा के लिए यदि प्रारम्भिक गठन के समय रिक्तियों के किसी अनुपात में सीधी भर्ती की जाती है तो ऐसी सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू होंगे जब तक कि ऐसे पदों के लिये इसमें अनुदेशों के अनुसार आरक्षण के क्षेत्र से विशेष रूप से छूट न दी गई हो । तथापि उन सेवाओं के बारे में जिनके नियमों में प्रारम्भिक गठन के समय आंशिक सीधी भर्ती के लिये प्रावधान है, सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है ।

जहां तक भारतीय वन सेवा का सम्बन्ध है, प्रारम्भिक गठन की अवस्था में आंशिक खुली भर्ती के लिए नियमों में प्रावधान नहीं था । भारतीय वन सेवा में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निःसन्देह आरक्षण है ।

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने छठे प्रतिवेदन में बताया था कि नई सेवाओं के प्रारम्भिक गठन अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण का न होना सेवाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि न होने का एक कारण था । फिर भी, आयुक्त का अनुमान ठीक नहीं था । सामान्यतः स्थिति यह थी कि सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय विभागीय उम्मीदवारों को जो ऐसे पदों पर आसीन हैं या उनका उन पदों पर धारणाधिकार है, जो नई सेवा में संवर्गित कर दिये गये हैं, खपाने के लिये विचार किया जायेगा । अतः सेवा में उसके प्रारम्भिक गठन के समय सम्मिलित पद रिक्त नहीं समझे जा सकते, जिनके लिये आरक्षण किया जा सके ।

(च) सेवाओं के प्रारम्भिक गठन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण प्रदान करने के लिये जबकि विभागीय उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है, उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नियमों के संशोधन का प्रश्न नहीं उठेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
ब्रिटेन द्वारा आयात जमा योजना का लागू किया जाना

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Imposition of Import Deposit Scheme by Britain and the reaction of the Government of India thereto".

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1968, को ब्रिटेन सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य भविष्य में ब्रिटेन के भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिये ब्रिटेन में आयात पर प्रभाव डालना है। आयात जमा योजना उनमें से एक है। इस योजना में मुख्य उपबन्ध यह है कि ब्रिटेन के कुल आयात के लगभग 40 प्रतिशत मूल्य के सामान आयात करने वालों को छः मास के लिये सरकार के पास आयातित सामान के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। मोटेतौर पर इस योजना के अन्तर्गत निर्मित माल जिनमें कपड़ा भी शामिल है, आते हैं; परन्तु कच्चा माल, अन्न, खाद्य पदार्थ, तेल तथा तेल के उत्पाद इसमें शामिल नहीं हैं। चाय, पटसन का धागा, कपड़ा, पटसन के थैले, नारियल जटा और चटाइयां इस योजना के अधीन नहीं आतीं।

इस योजना से हमारे निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है ताकि इसके प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा सकें। लन्दन में हमारे उच्चायुक्त ने ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार की चिन्ता व्यक्त कर दी है और उन्हें बता दिया है कि कुछ और वस्तुओं को इस योजना से मुक्त कर दिया जाये।

हमने इस विषय पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री माइकल स्टुअर्ट से उनकी दिल्ली की यात्रा के दौरान बातचीत की थी। हमने उन्हें यह जता दिया था कि विकासशील देशों के व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस उद्देश्य से वे आगे कार्यवाही करें और उन्हें यह भी बता दिया गया था कि इस योजना को हमारे मिलों और हथकरघों के कपड़े तथा कुछ अन्य कच्चे सामान तथा सहायक सामान पर लागू न किया जाये। उन्होंने कहा था कि इस बातचीत को दृष्टि में रखते हुए इस मामले पर ब्रिटिश सरकार आगे विचार करेगी।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): This import deposit scheme will adversely affect our imports. There was a serious monetary crisis in Europe. Britain has therefore adopted this scheme to tide over it. We have long-term agreements with Britain for the export of our textile goods. Has not Britain violated these agreements by taking up this steps? There is a provision in the GATT agreement that the developed nations will take steps to safeguard the exports from developing countries. Has not this step violated the GATT agreement as well? Has our Government drawn the attention of the British Foreign Secretary towards these things and if so, what are his reactions thereto?

Shri Dinesh Singh: We had drawn his attention to all these important points.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : जैसे ब्रिटिश सरकार ने इस योजना की घोषणा की, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन ने 'गैट' करार का उल्लंघन किया है। उन्होंने दूसरा वक्तव्य दिया, जिसे अब दोहराया जा रहा है, कि हम ब्रिटिश सरकार से बातचीत कर रहे हैं। आज वाणिज्य मंत्री ने जो थोड़ी बहुत आशावादी तस्वीर पेश की है, वह भी केवल भ्रान्ति ही है क्योंकि श्री स्टुअर्ट के समाचार-पत्रों में निकले वक्तव्य से यह स्पष्ट-सा ही हो जाता है।

इसे दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी अपने इस रुख पर कायम है कि आयात जमा योजना से गैट एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है ? यदि उनका उत्तर हां में है तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय कर रही है कि ब्रिटेन अपने वचन का पालन करे। यदि ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी बातचीत सफल नहीं होती तो क्या सरकार अगस्त, 1968 में किये गये करार को वापस लेगी जिसके अन्तर्गत हम स्वेच्छा से श्वेत चादरों तथा अन्य चादरों का ब्रिटेन को निर्यात कम करने के लिये राजी हो गये थे, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमने यह करार ब्रिटिश सरकार के आग्रह पर किया है, क्योंकि इन चादरों की ब्रिटेन में बहुत मांग थी जिसके कारण ब्रिटिश माल पर बुरा असर पड़ रहा था ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे नहीं पता माननीय सदस्य किस वक्तव्य की ओर निर्देश कर रहे हैं कि इससे 'गैट' करार का उल्लंघन हुआ है। इस कदम से 'गैट' करार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं मैं यहां पर इस मामले में इस समय नहीं जाना चाहता। क्योंकि हमें आशा है कि 'गैट' को बीच में लाए बिना ही शायद कुछ हल निकल आए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे पास 'टाइम्स आफ इंडिया' की एक कतरन है। इसके अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के सचिव श्री के० बी० लाल ने नई दिल्ली में व्यापार सलाहकार परिषद् की अन्तिम बैठक में इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आशा है कि ब्रिटेन 'गैट' के अन्तर्गत अपने वचनों के उल्लंघन में कोई कदम नहीं उठाएगा।

श्री दिनेश सिंह : मैं उस बैठक में उपस्थित था और वाणिज्य सचिव ने केवल यही कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया है कि अपनी आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये वे जो भी आन्तरिक उपाय करेंगे, जहां तक संभव होगा, उनसे विकासशील देशों के व्यापारिक हितों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार इस योजना को ऐसे चलाए जिससे विकासशील देशों के व्यापारिक हितों पर बुरा असर न पड़े।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोचीन पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के 1966-67 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2556/68]

नागरिकता (संशोधन) नियम, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के बारे में प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2029 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 2030 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2503/68]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2026 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2557/68]

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2027 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2558/68]

(तीन) भारतीय वन सेवा (सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन

विनियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2031 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2505/68]

(3) 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के बारे में दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के प्रतिवेदन (दो चरणों में) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 2555/68]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के बारे में दिल्ली के उप-आयुक्त के प्रतिवेदन के साथ साक्षियों के बयान सभा-पटल पर नहीं रखे जा रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। ऐसे बयान सभा से छिपा कर नहीं रखे जाने चाहिये। इसलिये आप मंत्री महोदय से उन्हें सभा-पटल पर रखने के लिये कहें चाहे ऐसा करने में एक-दो दिन लग जायें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दोनों प्रतिवेदनों को पढ़ने के बाद यदि माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि साक्ष्य भी उन्हें उपलब्ध किया जाये तो आपकी अनुमति मिलने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : चाहे वाद-विवाद सूखे के बारे में रहा हो चाहे बाढ़ या चीनी के बारे में रहा हो, हम उस पर नियत समय से दुगना समय लेते रहे हैं। परन्तु कल कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि वैदेशिक कार्य, योजना, इस्पात के सौदों सम्बन्धी रिपोर्ट और सीमा सुरक्षा के बारे में वाद-विवाद होगा। अब हमारे पास केवल दो सप्ताह का समय है, जिसमें उपरोक्त सभी विषयों पर चर्चा होनी है। मुझे तो शक है कि हम चीनी का विषय भी ले पायेंगे। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति अपनी अगली बैठक में निर्णय करेगी।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य-सभा ने अपनी 25 नवम्बर, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कल्याण संबंधी समिति में सम्मिलित होती है

और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया गया है :

(1) श्री दयालदास कुर्रे
(2) श्री बी० टी० केमपाराज
(3) श्री गणेशी लाल चौधरी
(4) श्री के० एस० चावडा
(5) श्री बी० डी० खोबरागड़े
(6) श्री नेकी राम
(7) श्री ई० एम० सांगमा
(8) श्री एम० बी० भद्रम
(9) श्री मान सिंह वर्मा
(10) श्री लोकनाथ मिश्र

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) विधेयक, 1968
(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक
DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I lay on the Table of the House a copy of the Report of Joint Committee on Delhi Rent Control (Amendment) Bill, seeking to amend Delhi Rent Control Act 1958.

साक्ष्य

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, I also lay on the Table of the House a copy of evidence tendered to the Joint Committee on Bill further to amend Delhi Rent Control Act 1958.

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON GOVERNMENT BUSINESS

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 9 दिसम्बर, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(1) आज की कार्य सूची के शेष सरकारी कार्य पर विचार

(2) श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी के संकल्प पर चर्चा, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अध्यादेश, 1968 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा और आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक 1968 पर विचार और उसे पारित करना।

(3) न्यायालय विधेयक, 1968 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

(4) निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा और मतदान :

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे) 1968-69
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1966-67
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पंजाब) 1968-69
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी) 1968-69

(5) नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक, 1968 पर विचार और उसका पारित किया जाना।

(6) जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, 1968 पर, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में आगे विचार और उसका पारित किया जाना।

(7) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 1968 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

(8) मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1968 के 5 बजे म० प० नियम 193 के अधीन सर्वश्री मधु लिमये और जार्ज फरनेन्डीज द्वारा (इस्पात के सौदों सम्बन्धी) जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में उठाये गये प्रश्न पर चर्चा।

(9) नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बुधवार, 11 दिसम्बर 1968 को आगे विचार।

(10) सीमा पर पाकिस्तानी और चीनी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर चर्चा।

कार्य-मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE (THIRTY-SEVENTH) REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के सामने कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। यह कार्य मंत्रणा-समिति का प्रतिवेदन है, सरकार या किसी अन्य का नहीं। अब इस पर चर्चा करना उचित न होगा। इसी प्रकार की चर्चा में हम कल का सारा दिन खराब कर चुके हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, it is a fact that this is the decision of Business Advisory Committee. But I opposed it there also. Government is bringing forward a bill which is not at all necessary and is not fulfilling the assurance it had given for bringing a bill of a very urgent nature, namely Company Donations Bill. Secondly, I want to point out that Shri Joshi belonging to my party did not get time yesterday. So I request that the time limit should be fixed for every speaker so that every Member desiring to speak may participate in the Debate.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सरकार से कहें कि वह अपने आश्वासन को पूरा करने से अब पीछे क्यों हट रही है। श्री लिमये ने ठीक ही कहा है। सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने के बारे में विधेयक लाने का आश्वासन दिया था।

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : मेरा यह निवेदन है कि चीनी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा पूरी की जाये जिससे किसानों को लाभ हो। कम्पनियों द्वारा चन्दा देने के बारे में विधेयक लाने में भी सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिये।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : The essential services Maintenance Bill took five hours yesterday, though it was opposed at the very introduction stage. I think there are some solid grounds on which it is being opposed. On the other hand the Company Donations Bill is not being brought though Government gave assurance to bring that Bill in the House very soon. Secondly I thank you for the time which you gave for discussion on U. P. teachers' strike. During the discussion Government gave assurance that all the arrested teachers will be released. But my information is that they have not so far been released.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह एक गंभीर बात है। सरकार ने पार्टियों को कम्पनियों द्वारा चंदा दिये जाने विषयक विधेयक सभा में लाने का आश्वासन दिया था। वह पूरा किया जाना चाहिये। क्या संसद् की इस भांति अवहेलना करना उचित है?

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : श्री मधु लिमये ने जो बात उठाई है, वह बिल्कुल ठीक है। दल के नेता को दस मिनट और दूसरे सदस्यों को पांच-पांच मिनट मिलने चाहिये।

साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चर्चा आधे घंटे की है अथवा लम्बे समय के लिये अध्यक्ष भी तभी नियंत्रण रख सकता है जबकि प्रत्येक राजनीतिक दल अनुशासनबद्ध हो। यह बात सभी दलों पर समान रूप से लागू होती है।

Shri Rabi Roy (Puri) : Sir, I would like to draw your attention to a matter raised by Shri Madhu Limaye. The matter should again be referred to the Business Advisory Committee. Since a promise was made, it should be honoured.

Shri Sheo Narain (Basti) : The teachers of Uttar Pradesh who have been jailed, should be released. They are willing to hold talks. The matter should be settled mutually. It is in the interest of the whole country.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अत्यावश्यक सेवाएं विधेयक आगामी सप्ताह नहीं लाया जाना चाहिये। इससे सात घंटे बच सकते हैं और चीनी के बारे में वाद-विवाद तथा केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर चर्चा पूरी की जा सकती है।

Shri Rabi Roy : I have moved an amendment to refer it to the Business Advisory Committee.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने सभी मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। फिर भी माननीय सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : The leader of the House should also say something on this question.......... (**Interruptions**).

डा० राम सुभग सिंह : मैंने संयुक्त समाजवादी दल के नेता को जो आश्वासन दिया है, उससे मैं पूर्णतया वचनबद्ध हूं। जहां तक चीनी के मामले पर चर्चा का सम्बन्ध है, कार्य मंत्रणा समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० राम सुभग सिंह का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 26 वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर 1968 को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बीमा (संशोधन) विधेयक—जारी

INSURANCE (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियन्त्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने के लिए तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिए विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

श्री वेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि यह विधेयक राष्ट्रीय नीति के तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति करता है परन्तु विधेयक में प्रस्तावित सामाजिक नियंत्रण द्वारा नीति के मुख्य उद्देश्यों को छुआ नहीं गया है। मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय नीति के चार मुख्य उद्देश्यों की ओर दिलाना चाहता हूं अर्थात् संसाधनों को जुटाना, कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना, बीमा व्यापार में विदेशी हितों को रोकना तथा साधारण बीमे का विस्तार।

अभी कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर साधारण बीमे का विस्तार नहीं किया गया है, इस समय केवल धनी व्यक्ति अथवा विशेष हितों वाले व्यक्ति ही साधारण बीमा कराते हैं। अभी तक साधारण बीमा व्यापार का फसलों के बीमे तथा लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों पर विस्तार नहीं किया गया है।

शक्ति के संकेंद्रण को रोकने तथा संसाधनों आदि को जुटाने के चार मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि साधारण बीमा के राष्ट्रीयकरण का कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही मैं यह नहीं कहता कि साधारण बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण बहुत आसान बात होगी। हमें देखना होगा की जीवन बीमा निगम को साधारण बीमा व्यापार में भी सफलता मिले। सरकार को यह नीति बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि सरकारी विभाग तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं आग आदि साधारण बीमे जीवन बीमा निगम से ही करायें।

सामान्य बीमा का प्रीमियम भी कम किया जाना चाहिए, इसके साथ ही एजेंसी की कमीशन भी कम की जा सकती है। नियंत्रक को दी जाने वाली शक्तियां इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिये कि संसद सदस्य नियंत्रक को परामर्श दे सकें। परामर्शदाता समिति में संसद सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनका सम्बन्ध जीवन बीमा समवायों से न हो और जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखें।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The question of social control on insurance companies was first raised in 1962. The then Minister of Finance and the Present Deputy Prime Minister and Minister of Finance said that if those companies did not show improvement, we would be forced to consider the question of their nationalisation. He repeated the same thing in 1964. I would like to know the improvements which have been made in the affairs of insurance companies that the Government is now backing from that proposition.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The Capitalist representatives have tried to impress that nationalisation will not be in the interest of this industry as has been the case with the industries nationalised so far. I concede that the nationalised industries do not deserve commendation but it is due to the lack of proper policy on the part of the Government. It is only because of such a policy that the Public Sector is not proving a success.

The Protagonists of private sector have also a hand in causing the failure of public sector. But inspite of all that we will have to admit that the things in public sector are not as bad as in the private sector. Out of 30 or 40 Companies doing General insurance business, I take the solitary example of Ruby General Insurance Company owned by the Birlas. If an enquiry is conducted into the affairs of this Company and the company is exonerated of all the charges, I will not raise the question of nationalisation throughout my life.

The resources of general insurance companies should not be utilised for the selfish use of those engaged in the Private Sector. Those resources should be utilized for public sector undertakings. The Government is asking for loans from foreign countries. I, therefore, see no reason for the hesitation of the Government to utilize 100 to 125 crores of Rupees lying with general insurance companies.

I have some doubts about the operation of the insurance business even after nationalisation. The money belonging to nationalised institutions is employed in Private Sector, which, in turn, donates money to Congress Party.

I would request the Government to implement the policy of nationalisation of general insurance and not bring this ineffective bill, which only aims at providing for a few defeated congressmen as directors and controllers. The Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon?

As the general public is involved this Bill should be circulated for eliciting public opinion. The Controller, who has been vested with these powers, has often been complaining that he has no power to interfere in the cases of bungling in various companies. Even if more powers are given to the controller, he will not be in a position to exercise any control over these companies.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह कहना कि वह नियंत्रक, जो सदा यह शिकायत करता रहा है कि वह कदाचार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है, अब अधिक शक्ति नहीं मांग सकता, बड़ा विचित्र तर्क है। ऐसे कदाचार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ही तो उसे ये शक्तियां अब दी जा रही हैं। यदि फिर भी वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करे तो हम उसका दोष कह सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस विधेयक में अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई बीमा कम्पनी ठीक ढंग से काम नहीं करती तो उसे सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। इसी प्रकार यदि कोई कम्पनी बीमाधारियों अथवा अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हो और जहां इनके हितों की रक्षा करने के लिए तथा सार्वजनिक हित में ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो सरकार अधिसूचना जारी करके उस कम्पनी को अपने अधिकार में ले सकती है।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने यह देखा है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने मेरे पहले भाषण पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण मूर्ति ने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य बीमे के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं, जैसे सामान्य बीमे और जीवन बीमे में कोई अन्तर ही न हो। उनके विचार में यदि जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया है तो सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण अवश्य कर दिया जाना चाहिए। परन्तु वास्तव में इन दोनों में कुछ मूलभूत अन्तर है। इस अन्तर को समझे बिना इस समस्या को समझा नहीं जा सकता है।

जीवन बीमा एक दीर्घावधि ठेका होता है। इसकी अवधि 60 वर्ष तक भी हो सकती है। इस प्रकार के बीमे में काफी धनराशि जमा होती रहती है और मृत्यु होने पर यह गारंटी का काम करता है और जीवन बीमा कम्पनी को होने वाली प्रीमियम की आय से कई गुना अधिक धनराशि जमा रखने की आवश्यकता होती है। फिर इसमें दीर्घावधि पूंजी नियोजन की भी बात है। परन्तु सामान्य बीमा एक अल्पावधि ठेका है और अधिकांश मामलों में तो केवल एक या दो वर्ष का ही ठेका होता है। इसके बाद यदि वह ठेका जारी रखना हो तो वह पुराना ठेका नहीं चल सकता, उसके लिए एक नया ठेका किया जाता है। विमान यात्रा में तो केवल कुछ घण्टों का ठेका होता है। जीवन बीमा में प्रीमियम को आय से कई गुना अधिक धनराशि सुरक्षित रखनी पड़ती है। परन्तु सामान्य बीमे में वार्षिक प्रीमियम की 40-50 प्रतिशत धनराशि रखी जाती है।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि जीवन बीमा में जीवन बीमा कम्पनी की अंशपूंजी में कुछ धनराशि लगाकर धन लगाने वाला जीवन बीमाकर्ता की इतनी बड़ी निधि पर नियंत्रण रख सकता है परन्तु सामान्य बीमा के विषय में यह बात लागू नहीं होती। जीवन बीमा और सामान्य बीमा में पर्याप्त अन्तर है।

सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इसके राष्ट्रीयकरण से हमें योजनाओं आदि के लिए काफी धनराशि मिल जायेगी। मैंने यह पहले ही बता दिया है कि सामान्य बीमें के अन्तर्गत अल्पावधि के ठेके होते हैं और धनराशि अधिक जमा नहीं होती। सामान्य बीमे पर प्राप्त प्रीमियम केवल आय ही नहीं होती अपितु इसके साथ अन्य कई प्रकार के

खर्च भी होते हैं जैसे एजेन्टों को कमीशन देना, दावों की धनराशि का भुगतान करना आदि। अतः प्रीमियम की राशि से कोई बड़ी धनराशि जमा नहीं होती।

Shri George Fernandes (Bombay-South): It has been stated in the accounts of General Insurance Companies that Investments form a good part of the total assets of general insurance business. At the end of 1966 the figures stood at Rs. 44 crores and rose to Rs. 47.5 crores at the end of 1967. Of the total investments, Government Securities accounted for Rs. 8.6 crores and investments in shares and debentures in India in the private sector for Rs. 37.8 crores.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर): श्री जार्ज फरनेन्डीज ने वह आंकड़े भी सम्मिलित कर लिए हैं जिनके सम्बन्ध में जोखिम की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्हें असमाप्त जोखिम की जानकारी नहीं है।

Shri George Fernandes: It has just been stated that the risk expires every year.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहा गया है कि नियोजन के योग्य 75 करोड़ रुपये की धनराशि है जिसमें से 15 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के हैं और 15 करोड़ रुपये विदेशियों के हैं आदि आदि। ये आंकड़े प्रीमियम की आय से सम्बन्धित हैं, नियोजन के योग्य आय से सम्बन्धित नहीं। प्रीमियम की आय से काफी धनराशि खर्च भी होती है। जीवन बीमा और सामान्य बीमा में इतना अन्तर है कि जीवन बीमा के पूंजी निवेश में प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है जबकि सामान्य बीमा में केवल लगभग 5 करोड़ रुपये की होती है। अतः दोनों में अन्तर स्पष्ट है।

व्यापार में लगी धनराशि की तुलना में यह धनराशि काफी है। व्यापार जोखिम का होने के कारण लाभ की धनराशि निश्चित नहीं है।

ब्रिटेन, जो सामान्य बीमे का घर समझा जाता है, में सामान्य बीमा कम्पनियों की दशा अच्छी नहीं है। उन्हें हानि हो रही है।

सामान्य बीमे में धोखाधड़ी का भी खतरा है। यदि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो यह विवाद का विषय बनेगा और दावों की संख्या में भी वृद्धि हो जायेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): बीमे में हमेशा जोखिम होता है। आपको अनुमानित जोखिम लेना पड़ता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जीवन बीमा और सामान्य बीमे में यही अन्तर है। सामान्य बीमे में जोखिम है और लाभ भी कम है और जीवन बीमे की तुलना में इसमें धोखेधड़ी की अधिक

गुंजाइश है। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर हमें सब दृष्टिकोण से विचार करना होगा। सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये इसकी आवश्यकता है या इसके द्वारा कोई सामाजिक प्रयोजन की प्राप्ति होगी और तब सरकार राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक प्रस्तुत करेगी। इससे कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी और इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

हमें सामाजिक प्रयोजनों की प्राप्ति इस विशेष व्यापार पर आवश्यक नियंत्रण करना होगा। जोखिम के लिए बिना कोई भी व्यापार पर्याप्त लाभ नहीं दे सकता।

सरकारी क्षेत्र में सामान्य बीमे के क्षेत्र में विस्तार की मांग की गई है। हमने इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को लिखा है। हम चाहते हैं कि वे सरकारी क्षेत्र में स्थित सामान्य बीमे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में अपना सामान्य बीमा दें।

सलाहकार समिति का मुख्य कार्य 'दरों, लाभ, और शर्तों' को विनियमित करना है। इसका अभिप्राय यह है कि इस सलाहकार समिति द्वारा सामान्य बीमा कम्पनियों की प्रीमियम दरें और पालिसी सम्बन्धी शर्तें विनियमित की जायेंगी। इस प्रकार की समिति काफी समय से कार्य कर रही है और उन्हें 1950 में मान्यता भी दे दी गई थी। अन्तर केवल इतना ही है कि पहले इन समितियों में केवल गैर-सरकारी पदाधिकारी होते थे लेकिन अब इन समितियों में नियंत्रक भी होगा जो ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा।

समिति के कार्य में कोई अन्तर नहीं आया है।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि इस समिति में विदेशी बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों को क्यों शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि इस समिति के निर्णय के अनुसार जहां तक प्रशुल्क दरों का सम्बन्ध है विदेशी बीमाकर्ता भी इसके लिये बाध्य हैं। लेकिन उनका प्रतिनिधित्व देश के व्यापार में लगे उन शेयर से अधिक नहीं है। चूंकि उन्हें इस व्यापार का काफी अनुभव है अतः हम उनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं।

इस समिति के सीमित कृत्य हैं। यह लाभांश दरों आदि के बारे में निर्णय करती है। इस समिति का प्रथम कार्य वैज्ञानिक आधार पर आंकड़े एकत्रित करना होगा।

समिति का क्षेत्र बहुत तकनीकी है। इसके लिये प्रशिक्षण और पृष्ठभूमि की आवश्यकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि नियंत्रक को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सलाहकार समिति के क्षेत्राधिकार में नियंत्रक के सभी कर्त्तव्य नहीं आते। समिति उसकी सलाह मानने के लिये भी बाध्य नहीं है। कुछ व्यक्ति यह चाहते हैं कि नियंत्रक के निर्णयों को समिति के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा

जान बूझकर नहीं किया गया है ताकि नियंत्रक, जिसका कार्य सांविधिक है, अपना कार्य उचित प्रकार से करे।

अधिनियम के बारे में कार्यवाही करने का मुख्य दायित्व नियंत्रक का है। सलाहकार समिति ऐसा निकाय नहीं है जिसके विरुद्ध अपील न की जा सके। यह किसी प्रश्न पर सूचित दूसरा विचार प्रकट करती है। यद्यपि इसके विचारों पर नियंत्रक द्वारा उचित ध्यान दिया जाता है लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जिसके परिणामस्वरूप यह नियंत्रक का स्थान ग्रहण कर ले। केन्द्रीय सरकार को अपील करने का उपबन्ध किया गया है और उस उपबन्ध से बीमाकर्त्ता को पंच फैसले के मनमाने निर्णय के विरुद्ध आश्वासन मिलता है।

किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पूर्व न केवल नियंत्रक बल्कि समिति के सदस्यों की रायों पर विचार किया जायेगा।

अतः समिति के सब सदस्यों के विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी निर्णय पर आने से पूर्व नियंत्रक को सलाहकार समिति से अवश्य सलाह लेनी होगी ।

जहां तक नियंत्रक को अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रश्न है, ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जब सरकारी फाइलों को देखने की आवश्यकता होती है। नियंत्रक या अध्यक्ष यह देख सकता है कि सरकार ने अन्य कम्पनियों के और अन्य मामलों में क्या कार्यवाही की है। इन सब मामलों में गैर-सरकारी अध्यक्ष की पहुंच हो सकती है।

अपीलीय न्यायाधिकरण का भी प्रश्न उठाया गया है। यदि अपीलीय प्राधिकार से अपील की जाती है तो प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब हो सकती है। हम इस अधिनियम के उपबन्धों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना चाहते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : केन्द्रीय सरकार में अधिकारी गुरू होता है और इस प्रकार नियंत्रक शिष्य हुआ और यदि कोई सुझाव शिष्य से प्राप्त होते हैं तो गुरू उनका समर्थन ही करेगा। वे आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं और उनमें से किसी निर्णय के विरुद्ध की गई अपील का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय सरकार अपीलीय निकाय है। अपील सरकार से की जाती है, अधिकारियों से नहीं।

यह भी कहा गया है कि नियन्त्रकों को अधिक अधिकार दिये गये हैं। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि उनको दिये गये अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। यदि विधेयक को ध्यान से पढ़ा जाये तो ज्ञात होगा कि उन्हें प्रयोजन के लिये पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। यह कहना ठीक नहीं कि नियंत्रक को अधिकार नहीं देने चाहिए।

माननीय सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण ने यह शंका व्यक्त की है कि राजनीतिज्ञों को बीमा नियन्त्रक न नियुक्त किया जाये । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि बीमा नियन्त्रक का पद 1939 से, जब मूल बीमा अधिनियम लागू हुआ था, चला आ रहा है । इस पद पर नियुक्ति के लिये कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं । उन पर पूरा उतरने वाले को ही नियुक्त किया जाता है । अतः इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए ।

एक बात यह कही गयी थी की विदेशों में पुनः बीमे से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है । यह सुझाव दिया गया था कि इसे बन्द किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं । हमारे देश के लिये अकेले ही बीमा व्यवस्था करना बहुत कठिन होगा । विश्व भर में सामान्य बीमे के सम्पर्क को फैलाना बहुत लाभप्रद रहता है । हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां हैं जिनके बारे में जोखिम का भार वहन करना एक देश के लिये कठिन कार्य है । पुनः बीमे से हमें बड़े पैमाने पर होने वाली हानि की स्थिति में राहत मिलती है । फिर पुनः बीमे से विदेशी मुद्रा की आय भी होती है । एक बात मैं मानता हूं कि हमें अनावश्यक पुनः बीमा नहीं करना चाहिए । इस प्रकार हमें इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए ।

सर्वेक्षणकर्ताओं और हानि निर्धारकों के लिये तकनीकी योग्यता प्राप्त होने के बारे में उपबन्ध किया जा रहा है । उनके लिये सात वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा । बाद में कार्य आरम्भ करने वालों के बारे में भी कुछ किया जायेगा । श्री देसाई ने कहा है कि इस विधेयक के प्रावधान जीवन बीमा निगम पर भी लागू होने चाहिए ।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम निगम को कोई विशेष दर्जा नहीं देंगे । सभी सम्बन्धित उपबन्ध उस पर भी लागू होंगे ।

संशोधन रखे गये हैं कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । इस प्रकार के संशोधन पहले भी रखे गये थे और अस्वीकृत हो गये थे । संयुक्त समिति ने सभी पहलुओं पर विचार किया है । रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में लोगों ने संयुक्त समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में सुझाव दिये थे । अतः अब इसे परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक को परिचालित करने सम्बन्धी संशोधन संख्या 1,2,3 तथा 15 सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1,2,3 तथा 15 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियन्त्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये बीमा अधिनियम,

1938 में और संशोधन करने के लिये तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने के लिये विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करेंगे। खण्ड 2 से 5 तक खण्ड के बारे में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

खण्ड 6

श्री बेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 4,5,6,7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 31,32,33 तथा 34 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 49, 50 तथा 51 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज और श्री स० मो० बनर्जी के संशोधन संख्या 75,76 तथा 77 संशोधन संख्या 49,50 तथा 51 की भांति ही हैं।

श्री बेणीशंकर शर्मा (बांका) : समिति में चर्चा के लिये जो समय दिया गया था वह अपर्याप्त था। कुल प्रीमियम तथा शुद्ध प्रीमियम के बारे में समिति में पूरी चर्चा नहीं हुई थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। मैं सभा के समक्ष यह रखना चाहता हूं। कुल प्रीमियम तथा शुद्ध प्रीमियम में बहुत अन्तर होता है। हमारा इरादा था कि छोटी कम्पनियों की सहायता की जाये। जिन कम्पनियों की प्रीमियम आय 1 करोड़ रुपये है उनकी वास्तव में इतनी आय नहीं होती। उनको पुनः बीमा पर व्यय करना पड़ता है। अतः शुद्ध प्रीमियम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री नम्बियार : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खण्ड पर चर्चा के लिये अधिक समय दें। अब एक करोड़ रुपये कुल प्रीमियम होने पर 10 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे जबकि पहले 20 लाख रुपये जमा करने का उपबन्ध था। यह परिवर्तन ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 41 वें प्रतिवेदन पर प्रस्ताव

MOTION Re. FORTY-FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो 4 दिसम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो 4 दिसम्बर 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति सम्बन्धी संकल्प—जारी

RESOLUTION RE. STATUS OF JAMMU AND KASHMIR—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : समय के बढ़ाये जाने से अब हमारे पास एक घण्टा 35 मिनट इस संकल्प के लिए शेष है। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : लगभग 25 मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम 10 मिनट प्रस्तावक को देने हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक घण्टा बचता है। अस्तु, अब श्री मुकर्जी अपना भाषण शुरू करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, गत अवसर पर मैं संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाये जाने संबंधी संकल्प का विरोध कर रहा था। एकता पर हम सब बल देते हैं परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में एकता भिन्नता को मान लेने पर ही आ सकेगी। संविधान में अनुच्छेद 370 उसी भिन्नता का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि काश्मीर में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। साथ ही हमें याद रखना चाहिये कि भारतभूमि के लिये मर मिटने में भी मुसलमान पीछे नहीं रहे हैं। किसी मुसलमान नेता ने ठीक ही कहा था कि हिन्दू का शव जलाया जाता है और उसके फूल नदियों में बहा दिये जाते हैं। परन्तु मुसलमान का शव तो भारत भूमि में दफनाया जाता है। वह तो मृत्यु के पश्चात् भी इस भूमि को नहीं छोड़ता। यह भाव देशभक्ति से ओत प्रोत है। काश्मीर के जैन-उल-अबेदिन और अकबर जैसे वीरों का नाम भारत के इतिहास में रोशन रहेगा। यह भी सच है कि काश्मीर के

निवासियों के मन में भारत सरकार के प्रति अविश्वास और घृणा का भाव है । परन्तु इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि काश्मीर के लोगों को भारत से प्रेम भी है । इस दृष्टि से काश्मीर की समस्या एक बड़ी ही नाजुक समस्या है और फिलहाल कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिये, जिससे वर्तमान संतुलन की स्थिति ही डावांडोल हो जाये । भिन्नता की यह समस्या कई रूपों में हमारे सामने है । नागालैंड की समस्या, मिजो लोगों की समस्या, आसाम के पुनर्गठन की समस्या आदि । ऐसी प्रत्येक समस्या को, जिसमें भिन्नता की रक्षा और देश की एकता के प्रश्न एक साथ जुड़े हैं, विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न ढंग से सुलझाना होगा । भारतीय संस्कृति की रक्षा भी तभी हो सकेगी । इन विभिन्नता के तथ्यों से हम आंख नहीं बन्द कर सकते ।

यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 तर्कसंगत है । किन्तु क्या जीवन ही तर्कसंगत है ? हमें देखना यह है कि वर्तमान व्यवस्था विद्यमान परिस्थितियों में कहां तक ठीक बैठती है ? क्या इस अनुच्छेद के हटाने मात्र से देश की स्थिति में कोई सुधार होगा ? इस प्रश्न पर हमें सभा में बैठकर निर्णय नहीं करना चाहिये । यह अनुच्छेद रहे या हटे, इस बात का निर्णय काश्मीर निवासियों पर छोड़ना ही उचित है । इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जो अच्छा काश्मीरी है वही अच्छा भारतीय भी होगा । मुझे अच्छा भारतीय होने के लिये पहले अच्छा बंगाली बनना पड़ेगा । व्यक्तित्व का यह दोहरापन अनिवार्य रूप से सभी में होता है । प्रत्येक काश्मीरी को अपने काश्मीरीपन को भारतीय के साथ समन्वित करना होगा ।

मैं प्रसन्न हूं कि श्री बाजपेयी ने इस समस्या का मनोवैज्ञानिक आधार पर समाधान खोजने की बात कही है । परन्तु श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा सुझाया गया यह समाधान, कि काश्मीर के सीमान्त क्षेत्र में सेवा निवृत्ति प्राप्त सैनिक बसाये जाने चाहिये, इस समस्या का मनोवैज्ञानिक समाधान नहीं है । तभी तो इस समाधान में काश्मीर के मुख्य मंत्री श्री सादिक को साम्प्रदायिकता की गंध आई है । अतः ऐसे सुझाव नहीं दिये जाने चाहिये जिससे कोई गलत फहमी पैदा हो और स्थिति और अधिक जटिल हो जाये ।

काश्मीर के सम्बन्ध में कई दोषों की चर्चा की जाती है । मेरे विचार से काश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है वहां व्याप्त निर्धनता । एक औसत काश्मीरी के पास शीत से बचने के लिए उपयुक्त कपड़ें नहीं होते । उसे तो हर समय सिगड़ी (अंगीठी) का सहारा लेना पड़ता है । यही कारण है कि गरीब काश्मीरी अन्य सुविधाओं जैसे शिक्षा आदि का लाभ नहीं उठा पाते अतः मेरा अनुरोध है कि काश्मीर से निर्धनता दूर करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये । काश्मीर में ठीक योजना के आधार पर वहां के निवासियों को निर्धनता से मुक्त करके ही उनके दिल जीते जा सकते हैं । इसके लिये श्री बक्शी, श्री सादिक और शेख अब्दुल्ला को भी एक स्थान पर बैठकर उपाय खोजने चाहिये । यही एक रास्ता है काश्मीर को पूर्णतः लोकतांत्रिक बनाने का । शेख अब्दुल्ला 1964 में श्री जवाहरलाल नेहरू से मिले परन्तु उस समय उन दोनों में क्या बातें हुई थीं, यह अब तक भी रहस्य बनी हुई है । मैं यह चाहूंगा कि उस रहस्य को अब खोला

जाये । एक पत्रकार सम्मेलन में शेख अब्दुल्ला ने कहा बताते हैं कि यह है कहना कि "मैं काश्मीर को स्वतंत्र बनाना चाहता हूं या काश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता हूं, एकदम मूर्खता है ।" उसी पत्रकार सम्मेलन में उनसे पूछा गया था कि "अब चीन और भारत दो देश बचते हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि आप काश्मीर को चीन के साथ मिलाना नहीं चाहेंगे । इसलिये आइये हम एक साथ बैठें और इस बात पर विचार करें कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से साथ-साथ कैसे रह सकते हैं । " मुझे श्री बाजपेई के इरादे में कोई सन्देह नहीं है । वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो भारतीय शिष्टता के विरुद्ध जाये । फिर भी मैं कहूंगा कि काश्मीर के स्टेटस को बर-करार रखा जाय । काश्मीर समस्या का हल तभी निकल सकता है जब हम मिलकर बातचीत करें और सरकार विशेष कदम उठाए जिससे काश्मीर में कल्याण सम्बन्धी उपायों पर अमल हो सके । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें काश्मीरी लोगों के दिलों को जीतना है उनका और हमारा देश एक है उनके दिल जीत करके ही हम उन्हें अपने साथ मिला सकते हैं ।

Shri Ahmed Aga (Baramula) : Sir, everyman nowadays seemes to be obsessed with Kashmir and feels as if he is omniscient about the affairs of Kashmir. Shri Gopalaswami Ayyangar had observed in the constituent Assembly that this provision was entrenched in the constitution due to the peculiar situation faced by us and that was that large part of Indian territory was under adverse possession and some people had alienated from us. I fail to understand the logic of abrogating Article 370 when the process of integration is on the ascent in Kashmir. If Article 370 is abrogated that would mean incorporation of Kashmir. There is a grace if the people of Kashmir themselves implement the central laws. In fact Article 370 is working as a bridge between this state and the rest of the country and we should not disturb it.

The charge that the telephone bill of the State Chief Minister amounted to Rs. 2 lakhs is not correct. This amount includes arrears as well. The actual bill of the Chief Minister on an average does not exceed Rs. 3000 a month which is quite justified in view of the high position held by him.

Shri Prakash Vir Shastri has suggested that Jammu and Kashmir, Punjab and Himachal Pradesh should be merged into one State. It is unpracticable. When Punjab has separated itself from its own part Haryana, how can we think that it will be willing to be merged with the other two states ?

The real problem of Kashmir is an economic one. It should be tackled from that point of view. The farmer in Kashmir remains idle for about eight months in a year and employment has to be found for him so that he can earn his livelihood. We have to undertake projects for economic development which should include, among other things, generation of more power and full exploitation of minerals.

So far as the question of Kashmir becoming an integral part of India is concerned, we are already an integral part of India. Under our Constitution in section 3 we have said that Kashmir, is an integral part of India. What more we can do ? So the real problem of Kashmir is the economic development of the State.

Shri S. M. Joshi (Poona) : The resolution moved by Shri Vajpayee is an important one and

the circumstances obtaining at present in our country make it still more important. Shri Vajpayee through this resolution wants complete integration of Kashmir with the rest of the country.

The question of national integration has assumed such an alarming proportion that it is useless to think about its piece-meal. We should think over it in the context of the whole country, that Shri Vajpayee will agree with me. We can keep the integrity of this country intact only through democratic means.

We have always believed in unity in diversity. Our different cultures, languages and traditions prove that ours is a nation which has its different and diverse aspects. The uniting force has been the feeling of understanding amongst the people for each other. The question of national unity has become very important in the existing circumstances. We should consider this question unitedly, in our traditional manner. We must remember that no law or force can achieve national unity. This will have to be achieved through goodwill and understanding for each other.

The people of Kashmir are our kith and kin, they fought with us during the freedom struggle. We should not forget these things. The people of Kerala have returned a communist Government to power. Why is it so ? Without finding the causes we cannot find any solution. Had we adopted a right policy towards our border states, we would not have been faced with the situation that we are facing today. What can be right in the case of Maharashtra, cannot be right in the case of Kashmir as well at least not now. After full integration it may be possible but not now. So we have to face the realities.

It is strange that the State of Kashmir have their own Preventive Detention Act. It is said that Shri Sadiq is a progressive man. But I do not know why Shri Shishupal, General Secretary of the Federation of Government Employees was arrested ? About land also I want to say something. For a civil aerodrome land will have to be made available there. In some states old laws are still in force. Kashmir may be one such state. We shall have to change these old laws.

There are different religions, languages and modes of living in our country. Excepting that the Central Government having some sort of discrimination in regard to the arrests of Government employees as also in regard to withdrawal of cases against them, in different states, we all are supposed to be one and only one people of our nation. I am one of the great supporters of the Muslims, but they may admit or not, that many of them voiced for Pakistan and India was divided in 1947. We have aroused in them a deep love for this country. The Hindus here should behave in such a way that the Muslims never think that their patriotism for India is discounted. We have about 5 crores of Muslims in India and they are as good Indians as the Hindus are. No doubt there are many Muslims who do not have a true love for India but side by side many of our Muslim brethren are very patriotic to India. So both Hindus and Muslims should understand each other and the Muslims should try to cast such an impression on the people of this country that they too are as good citizens of this country as the Hindus are. Such an understanding will help the nation to achieve an everlasting unity and national integration.

So, we should not act in a hasty way lest we should harm the interest of our democracy. And, therefore, we should not press for a vote on this issue.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : भारत के मानचित्र में जम्मू और कश्मीर राज्य का स्थान बड़े ही सामरिक मत्हव का है। यह एक सीमावर्ती राज्य है तथा इससे चार बाहरी देशों की सीमायें लगती हैं जिनमें से दो अर्थात् पाकिस्तान और चीन की ओर से तो बड़ा ही खतरा है।

अब देखना यह है कि यह प्रदेश शेष भारत से किस सीमा तक आबद्ध है तथा कितना हमें इस ओर करना है। इस राज्य में भारतीय पुलिस तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का स्तर एकसा है तथा वहां की पुलिस पर किस सीमा तक केन्द्र का नियंत्रण है। जो विशिष्ट दर्जा इस राज्य को दिया गया है इसके पीछे ऐतिहासिक आधार है तथा इस राज्य में कई कठिन समस्याएं भी हैं जिन्हें हल किया जाना है। क्या इस अनुच्छेद 370 को हटा देने से ये समस्याएं हल हो जायेंगी या फिर क्या यह राज्य का शेष भारत के साथ और अधिक विलय किया जा सकेगा ? वास्तव में ऐसे सुझाव तो उस राज्य की सरकार की ओर से आने चाहिएं। ऐसी इच्छा वहां के लोगों द्वारा व्यक्त की जानी चाहिए। और हम ऐसी भावना वहां के लोगों में जाग्रत करें। इस संदर्भ में कोई बात थोपी नहीं जानी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि हम इस बारे में और थोड़ा सब्र करें। अभी हमारी भी कई त्रुटियां रहती हैं।

उस राज्य में भारतीयों की कुछ गतिविधियों, जैसे वहां उद्योग स्थापित करने, वहां भूमि खरीदने आदि पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबन्ध हटाए जाने चाहिएं। दूसरे वहां बेरोजगारी है ; वहां की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। वहां आप चावल बहुत ही सस्ता बेचते हैं। यदि आप वसूली के मूल्यों को उत्पादन की दर से ऊंचा रख कर बिक्री की दर कम रखें तो कोई हर्ज नहीं परन्तु इसके विपरीत यदि आप केवल बिक्री की दर ही कम रखेंगे तो इससे कृषकों को हानि होगी।

शेख अब्दुल्ला सदैव ही स्वतंत्र कश्मीर की मांग करते रहे हैं। यह बात न केवल उनके भाषणों से बल्कि इससे भी सिद्ध होती है कि सरकार ने कई बार उन्हें इसलिए बन्दी बनाया है कि वह देश की एकता को खतरा पैदा करते रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि श्री शेख को बेकार में ही हीरो बनाने का प्रयत्न न किया जाये। अब वैसे भी वह स्वयं में परिवर्तन ला रहे हैं क्योंकि अपने पिछले सम्मेलन से उन्हें अनुभव हो गया है कि उनकी दाल-गलने वाली नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक स्थिति पर ध्यान देने के साथ-साथ, इस राज्य के लोगों में भी एकता को सुदृढ़ करने की ओर प्रयत्न किये जायें।

इस विशिष्ट राज्य में तथा देश के शेष भागों में भी प्रजातंत्रवाद को पूर्णतया सफल बनाने में शिक्षा का बड़ा महत्व है। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से हमारे यहां केवल क्लर्क ही पैदा होते हैं। परिणाम यह है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि निजी स्वार्थों के बारे में ही सोचता है। मेरा सुझाव है कि सारे देश तथा काश्मीर राज्य में समुचित शिक्षा-प्रणाली का गठन करने के लिए सभी दलों का निकाय बनाया जाये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि ठीक तो यही होगा कि हम इस अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दें जोकि स्वयं हमारे संविधान में भी एक अस्थाई स्थिति रखता है। परन्तु हम कोई भी काम जल्दबाजी में न करें क्योंकि यह एक सीमावर्ती प्रदेश है तथा हमें हर प्रकार से सावधान और सतर्क रहना है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : वर्ष 1948 से ही चली आ रही सरकार की अदूरदर्शिता की नीति ने जम्मू और काश्मीर राज्य की समस्या को निराधार रूप में ही बहुत बढ़ा-चढ़ा दिया है। यही भूल वर्ष 1965 के पाकिस्तानो आक्रमण के समय भी सरकार ने की। हमारे वीर जवानों ने बड़ा त्याग और बलिदान करके कार्गिल और हाजी-पीर को विजय किया परन्तु बाद में हमें वहां से निकलना पड़ा और वह भी केवल इस भ्रामक ताशकन्द-समझौते के कारण जिसका कि पाकिस्तान ने आरम्भ से ही उल्लंघन किया है। यह दोनों पक्षों की ओर से किया गया समझौता था परन्तु हम इसे केवल एक तरफा ही लागू कर रहे हैं। यही हमारी भूल है।

जम्मू और काश्मीर राज्य के बारे में हम हर समय इसके संवैधानिक इतिहास और कानून की बातें करते हैं जिससे वहां के निवासियों के मन में एक राजनैतिक संदिग्धता पैदा होती है और इसके लिए स्वयं हम ही इसके उत्तरदायी हैं। यह सब कुछ इस कारण होता है कि हम पाकिस्तान को खुश करने की नीति पर चल रहे हैं।

काश्मीर भारत का एक अखण्ड भाग है। इसके बारे में हम इधर-उधर क्यों बातें करते फिरते हैं? हम असम और नागालैंड के बारे में तो इधर-उधर बातें नहीं करते फिरते हालांकि चीन नागालैंड में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है तथा वह भी नागालैंड के विद्रोही नागाओं को इसी प्रकार सैनिक सामग्री की सहायता दे रहा है जैसे पाकिस्तान हमारे यहां घुसपैठिये भेज रहा है। परन्तु हम नागालैंड के बारे में चीन से तो कोई बात नहीं करते। तो फिर जम्मू और काश्मीर राज्य के बारे में विदेशों से क्यों बात-चीत करते हैं? मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती।

इससे देश में देश तथा समाज विरोधी तत्व जन्म लेते हैं। शेख अब्दुल्ला इन्हीं तत्वों का प्रमाण हैं। श्रीनगर में, उनके भाषाणों का अर्थ स्पष्टतः ही हिंसा भड़काना है। पिछली बार सिखिस्तान की मांग करने वाले मास्टर तारासिह के विरुद्ध हमने सख्त कार्यवाही की परन्तु शेख अब्दुल्ला जोकि हमारे देश की अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्यवाही नहीं कर रहे। काश्मीर तो हमारे प्रजातंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रादेशिक अखण्डता का प्रतीक है जिन्हें शेख अब्दुल्ला चुनौती दे रहे हैं।

शेख अब्दुल्ला ने अपने पुत्र के विवाह के सम्बन्ध में लन्दन जाने के लिये पासपोर्ट मांगा है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वह लन्दन जाकर वहां तथाकथित काश्मीर-समस्या का मामला नहीं उठायेंगे?

जम्मू व काश्मीर राज्य के लिये इस समय देखे गये इस विशेष दर्जे के लिए जो कारण हैं यदि वह राजनैतिक हैं तो यह बात भारतीय संघ के गठन की जड़ तक पहुंचती है परन्तु यदि यह दर्जा केवल वहां की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया गया है तो सरकार अपने इस कार्य में बुरी तरह असफल रही है। वह प्रदेश कदाचित सबसे गरीब लोगों का प्रदेश है। वैसे तो भारत भर के लोग बड़े गरीब हैं तथा यहां के पूंजीपति उनका शोषण करते हैं। भारत के शेष भाग में तो सवर्ण हिन्दू लोग असहाय और विपत्ति ग्रस्त लोगों का शोषण कर रहे हैं तथा जम्मू व काश्मीर राज्य में वहां के मुस्लिम पूंजीपति ऐसा कर रहे हैं। भारत का शासन आजकल सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में है तथा इन लोगों की वृत्ति ही ऐसी है।

पाकिस्तानी नेताओं में भारत-विरोधी भावनाएं कूट-कूट कर भरी हुई हैं तथा भारत के प्रति उनके दिल में प्रतिहिंसा के भाव हैं। परन्तु हमें उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है।

कुछ लोगों का मत है कि जम्मू व काश्मीर राज्य की स्वायत्ता का विस्तार किया जाये। इससे उनका अभिप्राय यदि यह है कि इस राज्य को सिक्किम अथवा भूटान जैसा दर्जा दे दिया जाये, तो फिर यही बात नागालैंड आदि क्षेत्रों के साथ भी करनी होगी। परन्तु स्वायत्ता के विस्तार का अर्थ होगा अपनी संघीय शक्ति को कमजोर करना। वैसे भी हमारा यह संघीय गठन दिन प्रतिदिन ढीला पड़ता जा रहा है।

पिछले आम चुनावों के दौरान कुछ उम्मीदवारों के चुनाव पत्र रद्द किये जाने आदि के बारे में कुछ गम्भीर आरोप हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस राज्य के प्रति लगाये जा रहे आरोपों के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला का मुंह बन्द करने तथा लोगों के दिलों से भी उनके सन्देह मिटाने के लिये सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में मध्यावधि चुनाव करा दे।

अनुच्छेद 370 के अधीन इस राज्य को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है तथा वहां के लोगों को कुछ विशेष रियायतें भी हैं। मेरा सुझाव है अपनी गलती से संविधान में रखे गये इस अनुच्छेद को अभी समाप्त करना उचित नहीं होगा। यदि हम इस समय जल्दबाजी करके इसे समाप्त करेंगे तो लोगों के दिलों में इसके विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। अत: इसको धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए और यह कार्य इस राज्य के तथा शेष भारत के लोगों के मध्य विशेष समझ-बूझ के आधार पर किया जाना चाहिये।

इस राज्य में व्याप्त प्रजातंत्र तथा मानव हितों की अवहेलना के बारे में भी अनेक शिकायतें हैं। वहां के लोग बड़े गरीब तथा उपेक्षित हैं। सरकार वहां की जनता का ध्यान करने के बजाय वहां के नेताओं में अधिक रुचि लेती है। सरकार ने सदा यही भूल की है कि वह गरीब जनता की ओर न देख वहां के समृद्धिशाली नेताओं का ही चयन करती है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्री हेम बरुआ की कुछ बातों से मैं सहमत हूं। यह सच है कि भारत और काश्मीर के पूंजीपति सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं यह

स्वीकार करता हूं कि अभी समय नहीं आया है कि हम अनुच्छेद संख्या 370 को समाप्त कर दें। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमने काश्मीर राज्य को अपने में मिलाया तो हमारे समक्ष देश के विभिन्न राज्यों का विकास करने का एक विशाल कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा संविधान लिखते समय जम्मू और काश्मीर राज्य को कुछ विशेष रियायतें दी गई थीं। अतः अभी इस अनुच्छेद को समाप्त करने का समय नहीं आया है क्योंकि इस दिशा में अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है। हमें जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों की भावनाओं को भी जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह बात केवल इसी राज्य के लिये नहीं है बल्कि भारत में ओर भी अन्य प्रदेश हैं। भारत में केवल एक ही राष्ट्रीयता के लोग नहीं हैं। इस देश में विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

एकता एक सहज प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। कश्मीर की जनता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, इस तर्क का भी विशेष महत्व है। हम डंडे का प्रयोग करके एकता स्थापित नहीं कर सकते। हमें काश्मीर की जनता के साथ अपने सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने चाहिये और इस बात पर विचार करना चाहिये कि वहां पर विशेष प्रकार की स्थिति क्यों है। इन विशेष परिस्थितियों को समाप्त करके वहां की जनता की इच्छा से एकता स्थापित करनी चाहिये। इस कार्य में किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी चाहिये। हमें कश्मीर की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये अन्यथा ऐसा करने से लाभ की बजाय हानि होगी। कश्मीर की समस्या का वहां की जनता के साथ बातचीत करके, उनकी इच्छा जानकर और उन्हें स्वेच्छा से शेष भारत के साथ मिलाकर समाधान किया जा सकता है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (Khargone): The people of India cannot forget that Kashmiris and Pakhtoons have not accepted two-nation theory. The Muslims of Kashmir had fought the Pakistani forces at the time of their aggression on India. The problem of Kashmir has become more complicated because we depended on big powers. Had we maintained our contacts with the masses of Kashmir, the problem could have easily be solved.

I want to place a different point of view before the House. Kashmiri language is related to Sanskrit and I want to know the number of schools in which this language is being taught? We cannot have integration by just building castles in the air. It is not proper to say that the elections in India are not fair because such uttrances help Pakistan. We should withdraw our Kashmir case from Security Council. We cannot claim the sympathy of Britain and other countries because India have routed out the British imperialism from the entire world.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): We should not overlook reality. Had the people of Kashmir desired to integrate themselves with Pakistan, no one could have stopped them. But the leaders of Kashmir had announced that they do not believe in two-nation theory.

In view of this the question of integration with Pakistan does not arise at all. At the time of partition when innocent people were being killed in West and East Punjab not a single person had suffered even slightly in Kashmir because we treat Hindus as our elder brothers. Moreover none of the Kashmiris had raised the slogan of referendum. It was Pandit Jawahar Lal Nehru who raised it. Thereafter the circumstances changed. The convention of Kashmir was convened with the approval of the Central Government in which leaders of all the political parties were invited. In convention no one has said any thing against India.

I am very sorry to point out that whenever a law is enacted the words "except Jammu and Kashmir" are mentioned therein. I have moved an amendment in this regard. I want to ask one thing that if Kashmir belong to India then why should we have withdrawn from those areas twice during the life time of Panditji and once at the time of Shastriji ? I would suggest this Resolution should be referred to the State Assembly of Jammu and Kashmir and that they may exercise their opinion in the first instance. Personally I am in favour of abrogating Article 370 provided it serves any national interest but it would not be proper to treat Sheikh Abdullah as a traitor because he is a great patriot of our country.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस संकल्प में मुख्य बात यह है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिये । प्रस्तावक के विचार में काश्मीर की समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या है जिस पर राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है । यह एक यथार्थवादी मूल्यांकन है । जहां तक अनुच्छेद 370 को हटाने का सम्बन्ध है सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार बता दिये हैं । इस अनुच्छेद के तीन खंड हैं । यह ठीक है कि खंड 1 (क) अब फालतू है । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 238 का हवाला दिया गया है जो संविधान में अब है ही नहीं । अतः वह तो समाप्त ही हो गया । अब प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति खण्ड 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते । खण्ड 3 के अधीन राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके यह घोषणा कर सकते हैं कि अमुक खण्ड अब प्रभावी नहीं होगा । परन्तु ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य की संविधान सभा द्वारा इस प्रकार की सिफारिश किया जाना आवश्यक है । परन्तु अब कोई संविधान सभा नहीं है और इस प्रकार की सिफारिश करने का अब प्रश्न ही नहीं उठता । अतः इस खण्ड के अधीन शक्ति के प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है । अब अनुच्छेद 370 का जो शेष भाग रह गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह भारतीय संविधान और कश्मीर के मामलों के बीच पुल का काम करता है । अनुच्छेद 370 (ख) में लिखा है कि उक्त राज्य के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संघ-सूची और समवर्तीसूची के जिन विषयों को राज्य की सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति उन विषयों को तत्स्थानी विषय घोषित कर दें, जो भारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिनके बारे में डोमीनियन विधान मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक तथा उक्त सूचियों के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी । पिछले वर्षों में इस भाग का काफी प्रयोग किया गया है । इस राज्य का अध्यक्ष पहले सदर-ए-रियासत होता था । परन्तु अब वहां पर भी अन्य राज्यों की तरह राज्यपाल ही है । इस प्रकार पहले इस राज्य के मुख्य कार्यकारी

को प्रधान मंत्री कहा जाता था परन्तु अब उसे मुख्य मंत्री ही कहा जाता है। इसी प्रकार अब इस राज्य को भी सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है, फिर हमारे अधिनियम के अनुसार उस राज्य से संसद का प्रतिनिधि भी चुना जायेगा। अतः अनुच्छेद 370 एक पुल का काम करता है और हमें इस पुल को तोड़ना नहीं चाहिये। मैं प्रस्तावक की भावनाओं का आदर करता हूं। जो लोग यह सोचते हैं कि कश्मीर का भविष्य भारत के भविष्य से भिन्न है वे बिलकुल गलत सोचते हैं। भारत और कश्मीर का भाग्य एवं भविष्य एक है। इसी के साथ हमें अयथार्थवादी नहीं बनना चाहिये और अनुच्छेद 370 को हटाने की बात नहीं कहनी चाहिये।

यदि लोग समझते हैं कि लोगों को वहां जा कर भूमि खरीदने का अधिकार होना चाहिए और यदि इसीको भारत की एकता का अर्थ समझा जाता है, तो यह भारत की एकता नहीं, अपितु शोषण की एकता होगी, क्योंकि कुछ धनी व्यक्ति वहां जाकर लोगों का शोषण कर सकेंगे।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ समस्यायें हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार कीजिये। हमें अभी राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है तथा इसके लिये हमने राष्ट्रीय एकता परिषद् बनाई हुई है, जो शेष भारत के लिये भी है। इसका अर्थ यह है कि हम अभी तक पूर्णतया राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं कर सके हैं। परन्तु निःसन्देह हमने राजनीतिक एकता प्राप्त कर ली है। हमारा एक ही संविधान है तथा हमें मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय एकता राजनीतिक एकता और आर्थिक विकास से कुछ भिन्न है। निःसन्देह हम एक राष्ट्र हैं, तथापि हमें राष्ट्रीय जागरूकता, एकता की भावना और राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता पैदा करनी है और इसी का नाम राष्ट्रीय एकता है। अतः हमें यही राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है और इसमें काफी लम्बा समय लगेगा।

इस चित्र का दूसरा रूप भी है और वह यह है कि गत 20 वर्षों में कश्मीर में क्या होता रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने शेख अब्दुल्ला का उल्लेख किया था। हम सब शेख अब्दुल्ला का सम्मान करते हैं, क्योंकि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काश्मीर में धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाया था। वह काश्मीर की जनता की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हैं तथा पाकिस्तानी हमलावरों का उन्होंने मुकाबला किया था। शेख अब्दुल्ला काश्मीर के भारत में विलय के पक्ष में थे तथा इस विलय में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परन्तु दुर्भाग्य से वह उस विगत काल को भूल गये हैं और यही हमारी कठिनाई है। अब वह भाषण दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख अब्दुल्ला एक महान नेता थे और अब भी वह एक महान व्यक्ति हैं। वह स्वयं अपने दिमाग की खोज कर रहे हैं। अतः यह हमारी समस्या नहीं अपितु उनकी समस्या है। श्री जय प्रकाश नारायण ने काश्मीर की राजनीतिक स्थिति की सत्यता उन्हें बताकर, काश्मीर

की महान सेवा की है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि शेख अब्दुल्ला ने न तो श्री जय प्रकाश का समर्थन ही किया है तथा न ही उनकी बात को अस्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि यह पता लगाना उनका अधिकार है कि वे क्या चाहते हैं। परन्तु उन्हें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। जब तक वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक इस सम्बन्ध में प्रगति करना संभव नहीं है। काश्मीर के विकास के हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे।

माननीय सदस्य ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि काश्मीर पर कई सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु इतना अवश्य कहता हूं कि काफी धन खर्च किया गया है तथा ऐसा करके हमने कोई गलती भी नहीं की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : धन खर्च करने में कोई गलती नहीं है, परन्तु उस खर्च की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराज मधोक : हम धन खर्च करने के विरुद्ध नहीं हैं, हम तो धन के बर्बाद किये जाने का विरोध करते हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक संसदीय समिति की नियुक्ति का प्रश्न है, मैं समझता हूं ऐसा करना गलत होगा। उनकी अपनी विधान सभा है, जो इस बात की जांच करती है कि धन कैसे खर्च किया जाता है। विधान सभा की लोक लेखा समिति खर्च की जांच पड़ताल करती है। जब हम किसी अन्य राज्य के लिये संसदीय समिति नियुक्त नहीं करते, तो यह पता लगाने के लिये कि जम्मू तथा काश्मीर में कैसे धन खर्च किया गया है, उस राज्य के लिये ही संसदीय समिति नियुक्त क्यों करें। ऐसा रवैया अपनाने से काश्मीर के लोगों के दिल में भ्रम पैदा हो जायेगा और यह ठीक भी नहीं है। जब अन्य राज्यों के लिये संसदीय समिति नियुक्त नहीं की जाती, तो जम्मू तथा काश्मीर के लिए ही क्यों की जाये।

श्री गार्डलिंगन गौड़ : क्या हमें इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिये कि वहां धन ठीक ढंग से खर्च किया जाता है या नहीं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसकी जांच लेखा महापरीक्षक संगठन द्वारा की जाती है। फिर उनकी विधान सभा है तथा लोक लेखा समिति है, जो इस बात की जांच करती है। केवल जम्मू तथा काश्मीर के लिये संसदीय समिति नियुक्त करना खाईं को और चौड़ा करना होगा। अत: ऐसा करना उचित नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर में हुए चुनावों के सम्बन्ध में भी कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है। चुनाव याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। मुझे श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी के मुंह से यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जम्मू तथा काश्मीर में चुनाव केवल एक दिखावा था।

यदि ऐसा होता, तो वह इस सभा में चुन कर कैसे आते ? जनता ने उन्हें मत दिया है, इसलिये वह यहां चुन कर आये हैं और उन्हें इस सभा में बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है । अत: यह कहना सही नहीं है कि वहां चुनाव केवल एक दिखावा था । जो कुछ गलतियां हुई हैं, उनकी चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई हो रही है ।

काश्मीर के समूचे प्रश्न की ओर हमारा दृष्टिकोण सूझबूझ, साझेदारी और सद्भाव का रहा है । हम इन ही आधारों पर इस समस्या को हल करना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मांग अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की है, परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय अनुच्छेद 370 को समाप्त करना किसी के भी हित में नहीं होगा । अत: मेरा निवेदन है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I am very thankful to the Hon. House that a very keen interest has been shown in my Resolution. Almost all the Hon. Members have emphasised on the abrogation of Article 370 of the Constitution. No doubt it is one of the objectives of my Resolution that Article 370 should be abrogated, but the objective of my Resolution is more wide. It reads, "This House is of opinion that the present anomalous status of Jammu and Kashmir State under which even though the State is an integral part of India, it has a separate Constitution, a separate Head of State and separate Flag should be ended, and the State should be brought fully at par with the other Indian States and to this and the House recommends that all necessary steps, such as abrogation of Article 370, be initiated forthwith". The entire debate has centred round the abrogation of Article 370. It is good from one point of view, because an opinion of the House is formed by mentioning Article 370 again and again and from that point of view I welcome this debate.

I was surprised to note that it has been said that the question of abrogating Article 370 has been raised for the first time in this House, whereas the fact is that a Bill was prosecuted by Shri Parkash Vir Shastri in 1964 for abrogating Article 370. I have only moved a Resolution in the form of a recommendation, whereas that was a Bill and had that been accepted at that time that would have been binding. At that time the Bill was supported by Shri S. M. Banerjee and Shri Sarjoo Pandey. So my submission is that the time have come when you should do something about Kashmir. My Resolution should be accepted.

I have every respect for Prof. Mukerjee. But I was perturbed to hear his speech in regard to this Resolution. There is a definite shift in the policy of the Communist party in regard to Jammu and Kashmir. I do not know whether this shift is a result of the shift in the policy of U. S. S. R. in regard to Jammu and Kashmir and if it is so, it is a serious matter. I fail to understand how a thing can be wrong in 1968, which was right in 1964. I would also like to remind my Hon. friend Shri S. M. Joshi that the Bill of Shri Parkash Vir Shastri regarding abrogation of Article 370 was supported by Dr. Lohia and Shri Madhu Limaye. He has said that though he agreed in principle with the objectives of my resolution, but he favoured a slow action in this regard. I want to tell him that national integration means the winning of the heart and mind of the people. So long as Article 370 is there, there is a suspicion in the hearts of the people of Jammu and Kashmir. It is essential to remove that suspicion, if we want to achieve national integration and that is why I have brought this Bill. The people

of Jammu and Kashmir are in a fix. They do not want limited integration. They are in favour of complete integration. They want to enjoy all those fundamental rights which are enjoyed by the rest of the citizens of the country.

I am thankful to Shri Bakshi Ghulam Mohammad that he has brought to my notice the matter of a Government employee of Jammu and Kashmir. A notice was served on him because he took keen interest in the activities of the Employees' Association. I want to know whether in Jammu and Kashmir Government employees have no right to form Associations? This is not good and this should not be allowed. Government should take steps to end such things. Keeping this in view I have suggested that Article 370 should be abrogated. This can be done by the order of the President. I agree that State Government should be consulted in such matter. But this House has got the right to express its own opinion. Article 370 was an interim provision and not a permanent provision. Now the time has come when it should be abrogated. The framers of the Constitution were very clear in their mind that Article 370 is an interim provision. But now it has became a permanent provision.

It has been said that one third territory of Kashmir is under Pakistan's occupation and the question of Kashmir is pending in Security Council. Pakistan is trying to raise it **de-noro.** So time has not come when Article 370 should be abrogated. If that is done Pakistan will raise a hue and cry. I want to know whether our national integration will be halted by the fear of a hue and cry of Pakistan? She is in the habit of raising a hue and cry, whenever any new measure is made applicable to Jammu and Kashmir. My submission is that because the matter is under Security Council, Pakistan is trying to raise it **de-noro,** international powers are exerting their pressure, it is all the more necessary to abrogate Article 370, so that the psychological barrier between J and K and the rest of India is removed.

So far as the right to purchase land in J and K is concerned, a restriction can be imposed in this regard and there is no necessity of Article 370 for this. A restriction has been imposed in Choota Nagpur at the purchase of land of Adivasis. The same can be done there. We are not in this favour that people in large number should purchase land there. But for imposing any restriction on the purchase of land, there is no need for a constitutional provision.

It is a basic fact that the people of Jammu and Kashmir acceded to India at their own accord. I respect Sheikh Abdullah, because he opposed the two nation theory put forward by Shri Jinha. But now a three nation theory is working there. They want to make Kashmir an independent State. Kashmir is not an independent State. It is an integral part of India.

In addition to this I want to tell the House that in 1947 during partition, nearly 20 thousand refugees came from west Punjab and settled in Jammu. Though so many years have elapsed, these refugees are deprived of right to vote. These citizens of India, who were thrown out of Pakistan, have been made stateless in their own country.

When Muzafarabad was occupied of Pakistan, 20 thousand Hindus and Sikhs left their homes and came to Srinagar. But they were not allowed to settle there, though Muzafarabad was a part of Kashmir province. They were thrown into Jammu. Is it not communalism?

There is Communalism in Jammu and Kashmir. Even the officers who are appointed

by the Union Home Ministry and are deputed to that State have no right of franchise. We know that all this cannot be done by law alone but we sometimes require law for such matters.

My aim to bring this legislation is that the nation may form an opinion about it and the problems of Jammu and Kashmir may come before this House. The Home Minister is evading these in a shrewd manner. The people of Jammu and Kashmir demand a clean, honest and stable administration.

We first of all brought Sheikh Abdullah ; then Bakshi Ghulam Mohammad and now Shri G. M. Sadiq. Such changes make our position ridiculous in the World. Hence we should ponder over these in a calm manner. We should give a proper and equal treatment and clean administration to the people of Jammu and Kashmir.

Some Hon. Members have appealed to me to withdraw this resolution and in agreeing to their wishes, I request you Sir, to permit me to withdraw this resolution.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व मुझे संशोधनों को निपटाना होगा। क्योंकि यह प्रस्ताव वापिस लिया जा रहा है, क्या श्री अब्दुल गनी दार अपने संशोधन पर मतदान चाहते हैं ?

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Since the resolution is being withdrawn, I do not want to press my amendment.

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन, अनुमति से, वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि श्री कंवरलाल गुप्त यहां नहीं हैं, क्या अब श्री वाजपेयी को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है ?

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

The Resolution was, by leave, withdrawn

विदेश व्यापार के सम्बन्ध में संकल्प
RESOLUTION RE : FOREIGN TRADE

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पूर्व यूरोपीय देशों तथा रूस के मामले में अपनाई गई गलत व्यापार पद्धति के कारण भारत के विदेश व्यापार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव की दृष्टि से, यह सभा संकल्प करती है कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में विशेषकर पूर्व यूरोपीय देशों और रूस के साथ व्यापार सम्बन्धी नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाये"।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

भारत द्वारा रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये जा रहे व्यापार के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। सरकारी पक्ष की ओर से हमेशा यह कहा गया है कि 1950 के पश्चात हमें उन देशों से व्यापार के कारण बहुत लाभ हुआ है। कहा जाता है कि 1950 में इन देशों के साथ हमारा निर्यात न होने के बराबर था परन्तु 1965-66 तक वह 18 प्रतिशत हो गया तथा आयात में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई यह भी कहा जाता है कि यदि इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते न होते तो हमारा निर्यात इतना न बढ़ता। तीसरी बात यह कही जाती है कि इन समझौतों के न होने के कारण हमें कच्चा माल, जिसकी हमें आवश्यकता थी, न मिल सकता था।

परन्तु यदि इस मामले पर गहराई से विचार किया जाये तो कुछ और ही प्रतीत होगा। बात यह है कि रूस तथा इन देशों की औद्योगिक उन्नति 1950 तथा उसके पश्चात् आरंभ हुई। 1950 की तुलना में उन देशों का औद्योगिक उत्पादन 1955 में 86 प्रतिशत बढ़ा तथा 1966 में यह 304 प्रतिशत बढ़ा। उन्हें उसके लिये माल खरीदना ही था। यदि वे भारत से नहीं खरीदते तो कहीं और से खरीदना होता। इसलिये उन्होंने हमसे माल खरीद कर कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं की।

दूसरी बात यह है कि वह अपनी व्यापार नीति अपनी राजनीतिक चाल का भाग बनाते हैं। अन्य देशों में तो स्वतंत्र व्यापार की नीति पर चला जाता है। वहां रूस तथा पूर्वी यूरोप देशों की भांति कठोरता नहीं है।

यह दावा किया गया है कि 1950-51 में हमारा निर्यात 7 करोड़ रु० का था जबकि 1967-68 में यह 224 करोड़ रु० का हो गया। यह तो अवमूल्यन के बाद की दर पर है उससे पहले की दर पर तो यह 175 करोड़ रु० का होता है।

एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हम इन देशों को परम्परागत वस्तुएं ही भेजते रहे जैसे चाय, काली मिरच, काजू, चमड़ा, गरम मसाले, काफी, खाल, कच्ची ऊन इत्यादि। इन परम्परागत वस्तुओं का व्यापार 75 प्रतिशत होता है इसलिये जब इन परम्परागत वस्तुओं को हम वहां निर्यात करने लगें तो वे देश जिन्हें हम यह सामान निर्यात करते थे, अन्य देशों से खरीदने लगें। जैसे चाय के मामले में लंका ने हमारा स्थान ले लिया इसी प्रकार जिनको हम पटसन निर्यात करते थे, वे पाकिस्तान से इसे खरीदने लगे।

बाकी की 25 प्रतिशत गैर-परम्परागत वस्तुओं के मामले में गत 18 वर्षों में भारत के व्यापार में परिवर्तन हुआ है जैसे इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात बढ़ रहा है। संसार के अन्य देशों में 38 प्रतिशत माल की खपत होती है जबकि पूर्वी यूरोप के देशों में 26 प्रतिशत की ही

खपत होती है। अन्य देशों को हमारे व्यापार में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इन देशों के साथ यह केवल 2 प्रतिशत ही हुआ।

जब हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो वहां से हमें जो पूंजी प्राप्त होती है उससे हम कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं परन्तु यह बात इन देशों के मामले में नहीं है। यदि हमें पूर्वी जर्मनी से व्यापार में कुछ लाभ हुआ है तो उस राशि से हमें पूर्वी जर्मनी से ही सामान खरीदना होगा और किसी देश से नहीं और जो मूल्य वह देना स्वीकार करें, इसी पर हमें उनसे सामान खरीदना होगा। वहां स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त काम नहीं करता। इसलिये सिवाय इसके कि हम उस राशि से उन्हीं देशों से सामान खरीदें, और कोई चारा हमारे पास नहीं रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय 5.30 बज गये हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आप मुझे 40 मिनट और दें क्योंकि मेरा बहुत सा समय व्यवधान में नष्ट हो गया है।

असम में सरकारी क्षेत्र में दूसरे तेल शोधन कारखाने के बारे में*

Re. SECOND PUBLIC SECTOR REFINERY IN ASSAM*

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : असम में सरकारी क्षेत्र में दूसरे तेल शोधन कारखाने के स्थापित करने के बारे में असम के लोगों में बड़ी दिलचस्पी है। गत अगस्त में श्री हेम बरुआ ने इसी सम्बन्ध में एक तारांकित प्रश्न भी पूछा था परन्तु सरकार ने इस मांग पर विचार करने से इन्कार कर दिया। 23 अगस्त को वहां एक आम हड़ताल हुई और वह बड़ी सफल रही।

असम में एक तेल शोधन कारखाना 1962 में स्थापित किया था परन्तु उसके लिए भी आन्दोलन करना पड़ा था। एस्सो, बर्माशैल तथा काल्टैक्स तेल शोधन कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में हैं परन्तु 1964 में बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई; 1965 में बड़ौदा में कोमाली तेल शोधन कारखाना स्थापित किया और अंकलेश्वर तथा मद्रास के तेल शोधन कारखाने भी अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किये गये।

इन तेल शोधक कारखानों की स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुई है। आसाम के लोगों की मांग है कि राज्य में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाय परन्तु भारत

---

* आधे घण्टे की चर्चा

*Half-an-hour Discussion.

सरकार यह कह कर अस्वीकार करती रही है कि इससे घाटा होगा। जब दिगबोई कारखाना स्थापित किया गया था उस समय इसकी कोई मण्डी नहीं थी। उस समय आसाम में एक भी मोटर गाड़ी नहीं थी। यह आवश्यक नही कि एक कारखाने की स्थापना वहां पर पहले मण्डी पर ही निर्भर हो। हम बड़ी मात्रा में विदेशों से तेल का आयात कर रहे हैं। अत: सरकार की दलील वजनदार नहीं है। तेल की तो विश्व भर में मंडी है।

हमारी कच्चे तेल की खपत इस समय 35 लाख टन है और यह 1970 तक 40 लाख टन हो जायगी परन्तु इसका उत्पादन तो 90 लाख टन हो जायेगा। अत: तेल शोधक कारखाना स्थापित किये जाने की गुंजाइश है। जितना कच्चा तेल हमें निकालना चाहिए उतना हम अभी तक निकाल नहीं रहे हैं। आसाम के कच्चे तेल के शोधन के लिए वहां पर एक शोधक कारखाने की स्थापना आवश्यक है। आसाम स्थित तेल शोधक कारखाने की उत्पादन लागत अन्य राज्यों के तेल शोधक कारखानों की उत्पादन लागत की अपेक्षा बहुत कम है। फिर आसाम में तेलशोधक कारखाने को कठिन शर्तों पर कच्चा तेल सप्लाई किया जाता है। यदि नये कारखाने पर यह शर्तें लागू न हों तो वहां लागत और भी कम होगी। सरकार को आसाम में एक और तेलशोधक कारखाना स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

आसाम में परिवहन की भी एक कठिनाई है। सरकार को आसाम और देश को जोड़ने वाले सम्पर्क लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देना चाहिए। आसाम और सिलीगुड़ी के बीच की पाइप लाइन की क्षमता बढ़ायी जानी चाहिए। सरकार को आसाम की इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये।

✓ **पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) :** माननीय सदस्य ने कुछ आकड़े प्रस्तुत किये हैं। इस समय आयल इण्डिया का तेल उत्पादन 30 लाख टन है। 1970-71 में 13 लाख 50 हजार टन की वृद्धि होने की आशा है। यह रुद्र सागर और लक्वा क्षेत्रों में होगा। पहले ही गोहाटी और दिगबोई में हमारी क्षमता ठीक प्रकार से चल रही है। 1970-71 तक जो वृद्धि होगी उसे बरौनी कारखाने में प्रयोग में लाया जायेगा। आसाम के कच्चे तेल के लिए ही बरौनी में अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि गौहाटी तेल शोधक कारखाने की क्षमता को भी बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है। हां, यदि और अधिक मात्रा में तेल मिलता है तो हमें कारखाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे गौहाटी की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर राज्य सरकार से बातचीत चल रही है।

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है। मूल्यों के प्रश्न पर एक समिति विचार कर रही है। सरकार समझती है कि इस समय आसाम में एक और तेलशोधक कारखाने की स्थापना वांछनीय नहीं है। इस प्रश्न पर पेट्रोलियम संस्था ने भी विचार किया है। सभी प्रकार की जानकारी पर विचार करने के बाद उसका यह निष्कर्ष है कि बरौनी और गौहाटी के वर्तमान कारखानों के विस्तार से अधिक लाभ होगा।

हाल ही में आसाम सरकार ने राज्य में एक और तेलशोधक कारखाना बनाने के बारे में एक पत्र भेजा है। उसमें उसने इस प्रश्न के आर्थिक पहलू पर अपनी दलीलें दी हैं और पेट्रोलियम संस्थान द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी और यदि उचित हुआ तो आसाम में दूसरा कारखाना स्थापित किया जायेगा। हम किसी से अन्याय नहीं करेंगे। आसाम भी हमारे देश का वैसा ही भाग है जैसे कि अन्य भाग। हम आसाम के औद्योगिक विकास में उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : तेल शोधक कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है या उसका आयात किया जा रहा है। हमारा डिगबौय कारखाना समाप्त हो रहा है इसको सहायता दी जानी चाहिए। यदि बरौनी और नूनमति तेल शोधक कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यदि कुछ कच्चा तेल उपलब्ध होता है तो सरकार को यह बचन देना चाहिए कि वह दूसरा तेल शोधक कारखाना आसाम में खोलेगी।

ऐसा करने से न केवल आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित हो सकेगा बल्कि वहां तेल शोधक गैस का कारखाना स्थापित भी न किया जा सकेगा।

कच्चे तेल को पाइप लाइनों से भेजने की तुलना में उसे परिवहन से भेजे जाने पर कम खर्च आयेगा। क्या आसाम की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले को विशेषज्ञों को सौंपेगी ?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : देश में स्थित नौ तेलशोधक कारखानों में से केवल तीन कारखाने ही सरकारी क्षेत्र में हैं बाकी सब कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और उनका प्रबन्ध विदेशी विशेषज्ञों के हाथ में है। यद्यपि प्राकृतिक साधनों के मामले में आसाम का देश में सर्व-प्रथम स्थान है तथापि औद्योगिक विकास के मामले में वह बहुत पिछड़ा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप वहां युवकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार आसाम में तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने की मांग को स्वीकार नहीं करेगी तो उसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान होंगे। सरकार किसी न किसी तरीके से आसाम के लोगों की उचित मांग को ठुकराने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सुरक्षा की भी दलील दी जाती है। यदि हमारे हिमालय क्षेत्र के अग्रिम स्थानों पर चीन हमला कर देता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा ? अतः सुरक्षा की दलील देकर भी आप उनकी वैध मांग को ठुकरा नहीं सकते।

Shri Rabi Roy (Puri) : It is very strange that most of the Oil Refineries have been established by foreign companies. I want to know whether you will give an assurance to the House that you are going to start an Oil Refinery in Assam.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Hon. Minister has stated that Oil Refinery has not been started in Assam because of nonavailability of Crude Oil there. Whether you have made an estimate of unlaped—Crude Oil in the country. If so, the figures, therefor.

It is not possible to be self-sufficient in the matter of oil unless we have Crude Oil in sufficient quantity in our country. In case of getting the Crude Oil and the money necessary for it whether the Government intends to establish Oil Refinery in Assam?

श्री रघुरामैया : भारत सरकार द्वारा जिन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है उसमें मुझे पूरा विश्वास है। भारत सरकार ने आसाम के मामले में भी न्यायोचित नीति अपनाई है। वर्तमान अनुमान के अनुसार आसाम राज्य में दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित करना सम्भव नहीं है। मैं इस बारे में आपको आंकड़े दे रहा हूं। यदि आपके आंकड़े भिन्न हैं तो आप उन्हें मुझे दे सकते हैं। यदि मेरे आकड़ों में कोई त्रुटि होगी तो मैं जांच के बाद शुद्ध आंकड़े दूंगा। मैंने यह नहीं कहा था कि आसाम केवल इतने ही तेल का उत्पादन करेगा। यदि और तेल का पता लगा तो उसके बारे में विचार किया जायेगा।

इस समय न्याय का जो स्तर हम अपना रहे हैं हो सकता है कि वह स्तर कुछ वर्ष बाद न हो। उदाहरण के तौर पर मूल नीति में परिवर्तन हो जाये या कच्चे तेल के मुकाबले पेट्रोलियम का ले जाया जाना कम खर्चीला हो। जब कभी भी कहीं अधिक तेल मिला तो उसका प्रयोग आसाम और देश के हित में किया जायेगा। यदि कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ तो आसाम में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कर दी जायेगी।

श्री बेदब्रत बरुआ : बरौनी और गोहाटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् यदि कच्चा तेल आवश्यकता से अधिक बचा तो क्या सरकार आसाम में एक तेल शोधक कारखाना खोलेगी।

श्री रघुरामैया : आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जायेगा। जहां तक गैस का सम्बन्ध है हम इस बारे में आसाम सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। आसाम सरकार ने वहां पेट्रोलियम-रसायन समूह के स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 1968/18 अग्रहायण, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 9, 1968/Agrahayana 18, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 12-4-69—600.